डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021-2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सर्च करें rojgaraurnirman

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 05.04.2021 वर्ष 14 अंक 07

संभागीय कमिश्नर कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाएं - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी कमिश्नर से चर्चा कर कोरोना की स्थिति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संभाग स्तर पर रोगियों के लिए बेड संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब एक तिहाई जिलों में संक्रमण ज्यादा होने के नाते उन जिलों के संभागीय मुख्यालय पर जरूरी उपचार प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। इन जिलों में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए संभागीय आयुक्त आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वैक्सीनेशन की गति भी तीव्र की जाए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 29 मार्च तक 32 लाख 35 हजार नागरिक वैक्सीन डोज लगवा चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने प्रभार के जिलों का भ्रमण कर कोरोना के उपचार एवं अन्य व्यवस्थाओं को देखें और आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें। रोगियों की जांच, उनके उपचार और आइसोलेशन के प्रबंध, जन-जागरूकता और वैक्सीनेशन कार्यों की समीक्षा भी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर प्रतिदिन कोरोना की जिलेवार समीक्षा की जा रही है। इसी तरह प्रभारी अधिकारी अपने जिले में कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए इनके क्रियान्वयन का भी निरंतर अनुश्रवण करें।

अच्छी प्रैक्टिसेस को अन्य जिले अपनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा जिन जिलों ने जागरूकता से कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है, अन्य जिलों में भी इसका अनुकरण होना चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि खंडवा में रेलवे प्रशासन के सहयोग से जन जागरूकता और कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में सफलता मिली है।

स्व-सहायता समूहों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इसी तरह गुना और बुरहानपुर में संक्रमण को नियंत्रित करने में अच्छी कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन जिलों की तर्ज पर अन्य जिलों में संक्रमण पर अंकुश के प्रयास किए जाने के निर्देश दिए।

प्रदेश में पॉजिटिव प्रकरण

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में 2323 पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में इस समय एक्टिव प्रकरण 965 हैं। कुल 9 मृत्यु रिकॉर्ड हुई हैं। प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 8.2 प्रतिशत है। यह औसत गत 7 दिवस के आधार पर निकाला जाता है। प्रदेश के दो प्रमुख नगरों की चर्चा करें, तो इन्दौर में प्रदेश के कुल प्रकरणों का 28 प्रतिशत और भोपाल में 21 प्रतिशत है। प्रदेश के सात जिलों इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, खरगौन, बैतूल और ग्वालियर में 50 से अधिक नये प्रकरण प्रतिदिन सामने आ रहे हैं।

इसी तरह जिन 11 जिलों में बीस से अधिक प्रकरण रोजाना सामने आ रहे हैं, उनमें बड़वानी, विदिशा, देवास, सागर, उज्जैन, खण्डवा, छिन्दवाड़ा, सीहोर, शाजापुर, धार और राजगढ़ शामिल हैं।

प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की अनुमानित जनसंख्या 71 लाख है। इनमें से 16 लाख 83 हजार अर्थात इस वर्ग के 24 प्रतिशत नागरिकों को वैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है। इसी तरह विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त 45 से 59 वर्ष की आयु के करीब ढाई लाख लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. संजय गोयल, जनसम्पर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी भी बैठक से जुड़े।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सभी कमिश्नर्स से चर्चा कर कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुये।

वैक्सीनेशन में तेजी

प्रदेश में वैक्सीन के पर्याप्त डोज उपलब्ध हैं। अब तक 32 लाख 35 हजार नागरिकों को वैक्सीन लग चुकी है। गत 27 मार्च को 1.1 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। इसके पहले 20 मार्च को सर्वाधिक 3 लाख 57 हजार 500 लोगों को वैक्सीन लगी थी। आने वाले तीन दिवस में प्रदेश के चार लाख नागरिकों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, प्रियारिटी ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।

सीमित लॉकडाउन संक्रमण पर अंकुश लगाने में सहयोगी

समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य जारी रखा जाए। प्रदेश में अधिक संक्रमण वाले नगरों में सीमित लॉकडाउन की व्यवस्था लागू रहेगी। बाजारों में भीड़ पर नियंत्रण से पॉजिटिव प्रकरण भी कम हो रहे हैं। इसलिए सीमित लॉकडाउन की व्यवस्था जिन स्थानों पर आवश्यक है वहाँ जारी रखी जायेगी। पूरे प्रदेश में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए शीघ्र ही अन्य आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

छात्रवृत्ति

तीन लाख विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति

भोपाल, मध्यप्रदेश में पिछले वर्ष पिछड़ा वर्ग के 3 लाख विद्यार्थियों को 419 करोड़ रुपये की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण कार्य स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ष पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये विभागीय बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है।

छात्रगृह योजना के लिये विभागीय बजट में 55 लाख रुपये का प्रावधान

पिछड़े वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें छात्रावास में स्थान अभाव के कारण जगह नहीं मिल पाती है, उनके लिये पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है। विभाग के बजट में इस वर्ष इस योजना के लिये 55 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

परीक्षा संबंधी जानकारियों के लिए हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ

भोपाल, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मंडल हेल्पलाइन सेवा एक अप्रैल से संचालित की जाएगी। विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षकों को टोल फ्री दूरभाष क्रमांक 18002330175 पर परीक्षाओं एवं मंडल से संबंधित अन्य जानकारियां प्रदान की जाएंगी। हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से प्रदेश के हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

खास खबर

सभी परिवारों को नल के माध्यम से मिलेगा पेयजल

भोपाल, जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही हर परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जायेगा। यह बात जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने उमरिया जिले के पाली जनपद के ग्राम कुनकुनी में 15.74 लाख रुपये लागत के सीसी रोड और पुलिया निर्माण के भूमि पूजन के बाद ग्रामीणों को संबोधित करते हुये कही। जनजातीय कार्य मंत्री ने इस मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इसके निराकरण किये जाने के निर्देश दिये।

अंदर के पृष्ठों पर

- **खेल चर्चा-** प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी-** देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं
- **चर्चा में-** प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **पिछला सप्ताह-** देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण

आजादी का अमृत महोत्सव

इस दांडी यात्रा का संदेश है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण

सूरत, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दांडी यात्रा के दौरान गुजरात में सूरत जिले के छापरभाटा में 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आजादी के 75वें वर्ष में आयोजित इस दांडी यात्रा का संदेश है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तथा उसके लिए हम सब का संकल्पबद्ध होना। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, कि मुझे आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी नमक सत्याग्रह की स्मृति में आयोजित, इस दांडी यात्रा में शामिल होने का अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई, सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश का एकीकरण किया और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का नव-निर्माण कर रहे हैं। आज हम सब इस दांडी यात्रा के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर गुजरात के वन एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रमण लाल पाटकर, सांसद श्रीमती दर्शना बेन आदि उपस्थित थे।

श्री चौहान ने कहा कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था और 5 अप्रैल को दांडी नवसारी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर, अंग्रेज शासन द्वारा नमक पर लगाए गए प्रतिबंध को तोड़ दिया था। नमक प्रतीक है वफादारी का, देशभक्ति का तथा आज के संदर्भ में, यह प्रतीक है, आत्मनिर्भरता का। श्री चौहान ने कहा कि उस समय गांधीजी ने दांडी यात्रा के माध्यम से देश को आजाद करने का संकल्प लिया था, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित दांडी यात्रा के माध्यम से हम संकल्प ले रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के एक हजार वर्ष के इतिहास में महात्मा गांधी जी जैसा व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ है, जिन्होंने अहिंसा के पथ पर चलकर देश को आजादी दिलवाई। एक ओर गांधीजी का अहिंसक आंदोलन था, वहीं दूसरी ओर हजारों क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते-हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

वैक्सीनेशन कोरोना से बचने का प्रभावी तरीका - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुये।

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुये कहा है कि प्रदेश में कोरोना के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं, परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी जिलों में निःशुल्क टेस्टिंग, इलाज एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता है। शासकीय अस्पतालों, अनुबंधित निजी अस्पतालों एवं आयुष्मान योजना में चिन्हित अस्पतालों में कोरोना का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। निजी अस्पतालों के लिए भी फीस की सीमा निर्धारित की गई है वे इससे अधिक फीस नहीं ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन कोरोना से बचने का प्रभावी तरीका है। अभी 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को एवं 45 से अधिक उम्र वालों को, जिन्हें कोमोरबिडिटी हो, टीका लगाया जा रहा है। आगामी 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को भी टीके लगाए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कोरोना का वैक्सीन अवश्य लगवाएँ। अभी तक प्रदेश में 31 लाख व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है।

मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना

बैठक में कोरोना की जिलेवार समीक्षा में बताया गया कि मास्क नहीं पहनने तथा सामाजिक दूरी का पालन न करने पर जुर्माना एवं ओपन जेल की कार्रवाई की जा रही है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

27 मार्च

पंद्रह साल पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स

● केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि देश में मौजूद 15 साल पुराने 4 करोड़ वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डिजिटल आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा कर्नाटक में 70 लाख, उत्तरप्रदेश में 56.54 लाख, दिल्ली में 49.93, केरल में 4.64, तमिलनाडु में 33.43 लाख, पंजाब में 25.38 लाख वाहन हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेज दिया है।

● गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार

अब्बास नकवी की उपस्थिति में पणजी के कैंपल स्थित कला केंद्र में स्वदेशी कारीगरों और दस्तकारों के लिए 28वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस अवसर डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि हुनर हाट सरकार की स्वदेशी की प्रतिवद्धता को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। 'हुनर हाट', सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के विचार को भी मजबूती दे रहा है और जरूरतमंद कारीगरों व दस्तकारों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रहा है।

28 मार्च

इरडा ने कोरोना बीमा की समयावधि बढ़ाई

● बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण-इरडा ने कोरोना स्पेशल हेल्थ पॉलिसी जारी करने की तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है। यह तारीख 31 मार्च को खत्म हो रही थी। इरडा ने पिछले साल जून में कम अवधि की कोरोना कवच और कोरोना रक्षक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये थे।

● शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए केंद्रीय विद्यालय की प्रथम कक्षा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, जबकि दूसरी कक्षा और इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए पंजीकरण ऑफलाइन मोड में 8 अप्रैल 2021 से शुरू किए जाएंगे। पहली क्लास के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल 2021 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा और 19 अप्रैल 2021 को शाम 7:00 बजे बंद होगा। एडमिशन के लिए अधिक जानकारी https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in वेबसाइट पर या एंड्रॉइड मोबाइल एप के जरिए भी प्राप्त की जा सकती है।

29 मार्च

बेलारूस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

● बेलारूस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले 190 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मानवाधिकार संगठन केंद्र वियासना की वेबसाइट पर इस आशय की जानकारी दी गई। इससे पहले बेलारूस पुलिस की प्रवक्ता नटालिया ने बताया कि गैर कानूनी रैलियों में हिस्सा लेने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया है।

● पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1-ए का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के अनुसार यह मिसाइल 900 किलोमीटर तक लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बना सकती है। ज्ञात रहे कि पाकिस्तान जनवरी-2021 से अब तक 5 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है।

● प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2024 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइप से पेयजल पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2019 को की गई घोषणा के बाद से अब तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत चार करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पाइप (नल) से पेयजल आपूर्ति का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इस समय कुल ग्रामीण घरों के 1/3 से अधिक (38 प्रतिशत) अर्थात 07 करोड़ 24 लाख ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध हो गया है। गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां शत प्रतिशत ग्रामीण घरों में पाइप से पीने का पानी मिल रहा है। इसके बाद तेलंगाना एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं।

30 मार्च

कोरोना प्रोटोकाल तोड़ा तो लगेगा जुर्माना

● नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने और पुलिस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीजीसीए ने कहा कि जो यात्री सही से मास्क नहीं लगाते और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते उन पर जुर्माना लगाने पर विचार करना चाहिए। डीजीसीए ने पहले ही हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि यात्री हवाई यात्रा के दौरान हर समय मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा था।

● पटना के दीघा और कंकड़बाग क्षेत्र में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क को विकसित करने के लिए डीके सीवेज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीए टेक वाबाग की सहायक) और पीएफएस के बीच वित्तपोषण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। परियोजना में गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे घनी आबादी वाले शहरों में एक पटना के दीघा और कंकड़बाग क्षेत्र में 150 एमएलडी क्षमता के सीवेज शोधन संयत्र के विकास के साथ 453 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क विकसित किया जाना शामिल है। दीघा एसटीपी की क्षमता 100 एमएलडी और कंकड़बाग एसटीपी की क्षमता 50 एमएलडी होगी।

31 मार्च

सरकार ने बढ़ाई डीएल और आरसी की वैधता अवधि

● कोरोना महामारी के चलते सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का फैसला लिया है। इन दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है।

● मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल अप्रैल से जून तक उत्तर और पूर्वी भारत में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। वहीं दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर आदि क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य स्तर से कम रहने का अनुमान है। गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में मार्च महीने में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था।

● केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में 10,900 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसका उद्देश्य देश को वैश्विक स्तर पर खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर खाद्य क्षेत्र से जुड़ी भारतीय इकाइयों को अग्रणी बनाना, कृषि क्षेत्र से इतर रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करना, कृषि उपज के लिए उपयुक्त लाभकारी मूल्य और किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करना आदि हैं।

1 अप्रैल

पैन से आधार लिंक करने की तिथि बढ़ी

● कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। दोनों को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है। पहले यह 31 मार्च, 2021 थी। पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर वित्तीय लेनदेन में परेशानी हो सकती है।

● एक अप्रैल, 2021 से पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले जीएसटी करदाता के लिए 6 अंकों वाला एचएसएन कोड प्रस्तुत करना और करयुक्त वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर रसीद जारी करते वक्त सर्विस अकाउंटिंग कोड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे जीएसटी करदाता जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर है, उन्हें बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) रसीद पर 4 अंकों का एचएसएन कोड देना जरूरी होगा। इस आधार पर जीएसटी करदाता को एक अप्रैल 2021 से अपनी रसीद में एचएसएन/एसएसी की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है।

● नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट में अब 5 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होनी है। समिति ने कहा है कि मामले का हल निकालने के लिए करीब 85 किसान संगठनों से बात की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल घनवट, भूपिंदर सिंह मान, अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को इस समिति का सदस्य बनाया था, लेकिन भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी से नाम वापस ले लिया था।

2 अप्रैल

नया आयकर रिटर्न फॉर्म जारी

● सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए नया आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है। सीबीडीटी ने कहा कि आयकर कानून-1961 में किए गए संशोधनों के अनुरूप ही आयकर रिटर्न फॉर्म में मामूली बदलाव किए गए हैं। यह जरूरी बदलाव आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-7 फॉर्म में किए गए हैं। आईटीआर फॉर्म को दाखिल करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पिछले साल की तरह ही समान है।

● आर्मी वॉर कॉलेज महू ने भारतीय सेना के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अपनी स्थापना के 50 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। यह कॉलेज भारतीय सेना में सभी सामरिक प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है एवं पूरी तरह से भारतीय सशस्त्र बलों के और मित्र देशों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदाई है। कॉलेज युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करने, रणनीति, रसद, समकालीन सैन्य अध्ययन एवं सैन्य सिद्धांत में सुधार का अग्रणी स्थान है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : गूगल से साभार)

APPOINTMENTS

Acropolis, one of the leading educational groups in MP requires faculty for various positions in MBA

Principal & Professor, Associate Professor and Assistant Professor In Areas Of Marketing, Finance, HR, Operations, Business Analytics And Systems

Interested candidates may apply with all self attested testimonials and a passport size photograph, in hard copy within seven days from the date of advertisement to the address given below or email on hrafmr@acropolis.in. Qualifications, experience and salary as per AICTE norms. Faculty selection will be done under college code 28

Acropolis Faculty of Management and Research

ACROPOLIS Enlightening Wisdom | Indore Bypass Road, Manglia Square, Near Toll Plaza, Indore (M.P.) | Ph. : 0731-4730072/77

PANKAJ

R-45446/2021

कौटिल्य एकेडमी

MPPSC

PRE + MAINS

MAINS SPECIAL BATCH ACCORDING TO NEW SYLLABUS

INTERVIEW

12 अप्रैल 2021 से नई बैचेस प्रारंभ

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की पृथक बैचेस

IAS • IPS • MPPSC • CJ-II • SI • BANK • SSC • NDA • CDS

मुख्यालय : भंवरकुआं चौराहा, इंदौर

Call : 94250 68121, 98939 29541

PANKAJ

OUR PRESENCE : INDORE, JABALPUR, BHOPAL, GWALIOR, SAGAR, CHHATARPUR, REWA, SATNA, CHHINDWARA, SHAHDOL, BALAGHAT, UJJAIN, GUNA, SHIVPURI, DHAR, VIDISHA, TIKAMGARH, KHANDWA, BARWANI, NIWARI, KATNI, RATLAM, DAMOH, JHABUA, HOSHANGABAD, SEHORE, BETUL, NARSINGHPUR, BHIND, RAIPUR, BILASPUR, JAIPUR Coming Soon - BURHANPUR, KHARGONE, HARDA

R-45447/2021

वर्ष 38, अंक 14 05.04.2021 से 11.04.2021

रोज़गार और निर्माण

www rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - डॉ. सुधाम खाड़े
- सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह
- कार्यकारी सम्पादक - राजीव तिवारी
- प्रभारी अधिकारी - नरेन्द्र कुमार बनवट (प्रसार एवं विज्ञापन)
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- आकल्पन - हेमंत वायंगणकर, आशा रोमन अरविन्द टोप्पो, सुशील लांडगे
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (रु. पाँच सौ) का डी.डी., मनी ऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें:-

रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011

फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स -4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**

रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली मेडिसिन सेवा

हमें शासकीय अस्पतालों की सेवाओं और स्वच्छता को निरंतर वेहतर वनाना है। प्रदेश में यह धारणा बने कि शासकीय अस्पताल में यदि जगह नहीं मिलेगी तो ही हम प्राइवेट अस्पताल में जायेंगे। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाएं प्रदेश की जनता की पहली प्राथमिकता होंगी। वेहतर व्यवहार, स्वच्छता और सही इलाज मिल जाये तो व्यक्ति यही कहता है कि डॉक्टर तुम भगवान हो। हमारी कोशिश यही है कि तकनीक का उपयोग कर हम संपूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन-जन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं। मुख्यमंत्री प्रदेश के 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ टेली मेडिसिन सेवा और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर 'सुमन' के शुभारंभ अवसर पर वोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के विरुद्ध डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ ने महर्षि दधिचि के समान उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का कहर अभी घटा नहीं है। मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये अनावश्यक भीड़ से वचना जरूरी है। कोरोना का सामना करने के लिये प्रदेश में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। गरीवों का निःशुल्क इलाज हमारी प्रतिवद्धता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को वढ़ने से रोकने में प्रदेशवासियों से सहयोग और सभी सावधानियों का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को साकार रूप देने के लिये प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप वनाया गया है। इसमें स्वास्थ्य प्रमुख घटक है। प्रदेश के कुल वजट का 7.5 प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च होगा। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी न रहे इसके लिये नये मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सहित विशेषज्ञ सुविधाओं का लाभ जन-जन को उपलब्ध कराने के लिये तकनीक का हरसंभव उपयोग किया जा रहा है। टेली मेडिसिन सुविधा और मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य के लिये एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर 'सुमन' वरदान सिद्ध होंगे। प्रदेश में प्राथमिक तथा उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक निःशुल्क वितरित की जाने वाली दवाओं और मेडिकल जांचों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। टेली मेडिसिन जैसी तकनीक की मदद से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी विशेषज्ञ सेवायें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करायी जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छ वातावरण विकसित करने के लिये वर्ष 2015 से काया-कल्प अभियान की शुरुआत की गई है। टेली मेडिसिन सुविधा के अंतर्गत हव पर विशेषज्ञ रहते हैं, जो स्पोक स्तर पर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श देते हैं। वर्तमान में प्रदेश के 51 जिला चिकित्सालयों में प्रदेश हव की स्थापना की गई है, जो 4 हजार 200 उप स्वास्थ्य केंद्रों को टेली कंसल्टेशन दे रहे हैं। अभी प्रदेश में 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह सुविधा आरंभ की गई है। शिशु रोग, स्त्री रोग तथा मेडिसिन विशेषज्ञ हव केंद्रों से चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करायेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पैथोलॉजी और अन्य जांचों की सुविधा भी होगी। राज्य शासन द्वारा प्रति कंसल्टेशन 215 रुपये का भार वहन किया जायेगा। हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच और प्रवंधन प्रदान किये जाने की मॉनीटरिंग के लिये राज्य स्तर पर एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। आम लोगों की स्वास्थ्य की सुविधा के लिये प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। आने वाले दिनों में इसके वेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।

जर्मनी में हुआ अध्ययन पक्षी बढ़ाते हैं खुशहाली

ऐसे लोगों की बड़ी तादात है जो यह चाहते हैं कि उनके दिन की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से हो। पक्षियों की आवाज उन्हें सुकून देती है। अभी हाल ही में हुये अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि पक्षी आपकी खुशियों के साक्षी भी वन सकते हैं। हमारे आसपास के माहौल में पक्षियों की उपस्थिति हमें खुशहाल कर सकती है। जर्मनी में हुये अध्ययन में यह पाया गया है कि पक्षी की व्यापक विविधताओं से घिरे होने पर हमारी संतुष्टि वढ़ जाती है। जर्मन सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोडायवर्सिटी रिसर्च में 2012 के यूरोपीय सर्वेक्षण ऑफ लाइफ सर्वे से डेटा लिया गया। इसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि पक्षियों की प्रजातियों की विविधता किस तरह 26 यूरोपीय देशों में 26,000 लोगों को प्रभावित करती है। फ्रैंकफर्ट में गोएथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और प्रमुख अध्ययनकर्ता जोएल मेथॉस्ट का कहना है कि अध्ययन के परिणामों में हमने पाया है कि सवसे खुशहाल यूरोपीय वे हैं जो अपने दैनिक जीवन में कई अलग-अलग पक्षियों की प्रजातियों को देखते हैं, उनकी आवाजें सुनते हैं या जो निकट प्रकृति परिवेश में रहते हैं और उनके घर के आसपास पक्षियों की प्रजातियों का वसेरा है, एक अन्य शोधकर्ता डॉ. कार्टिन वोहनिंग के मुताविक हमने सर्वे में शामिल लोगों के सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों की भी जांच की। हमने पाया कि विविधता उनके जीवन की संतुष्टि के लिये उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि उनकी अतिरिक्त आय होती है।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

हिन्दी रंगमंच दिवस 03 अप्रैल

व्यापक आधारभूमि पर विकसित हुआ है हिन्दी रंगमंच का रचना - संसार

हिन्दी रंगमंच - शास्त्रीय (संस्कृत), लोक एवं पारसी रंगमंच की पृष्ठभूमि पर विकसित हुआ है। यद्यपि संस्कृत में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जिस- 'नाट्य' शब्द का प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य केवल नाटक तक ही सीमित नहीं था, भरत मुनि ने उसे व्यापक अर्थ में विस्तार दिया था और रंगमंच में अभिनय, नृत्य, संगीत, रस वेशभूषा, रंगशिल्प, और दर्शक आदि भी समाहित थे। भारत में संस्कृत के रंगमंच के कमजोर पड़ जाने के वाद भी लोक रंगमंच की परम्परा अत्यंत सुदृढ़ रही। नौटंकी, रासलीला, स्वांग, रामलीला, नकल, खयाल, यात्रा, यक्षगान, नाचा और तमाशा आदि लोकप्रिय लोक नाट्य रूप रहे हैं। इसी प्रकार पारसी रंगमंच की भी हिन्दी रंगमंच के विकास में ऐतिहासिक भूमिका रही है। जिस समय वंगाल में वर्ष 1870 में व्यावसायिक थियेटर की नींव रखी जा रही थी तव कुछ पारसी मुंवई में नाटक और ललित कलाओं में रुचि लेने लगे। इन्हीं पारसियों ने व्यावसायिक हिन्दी नाटक की स्थापना की पहल की। हिन्दी रंगमंच का प्रारंभ वर्ष 1853 में नेपाल के माटगांव में अभिनित 'विद्याविलाप' नाटक से माना जाता है, किंतु यह नेपाल तक ही सीमित रह गया। वस्तुतः हिन्दी रंगमंच का नवोत्थान वर्ष 1871 में स्थापित 'अल्फ्रेड' नामक मण्डली से हुआ, जिसने भारतेन्दु और राधाकृष्ण दास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत किया। राधेश्याम कथावाचक इस मण्डली के प्रमुख नाटककार थे। इस मण्डली के मंच पर स्त्री चरित्रों की भूमिका पुरुष पात्र ही किया करते थे, इसी वीच कोलकाता के 'मॉडर्न थियेटर' ने मुंवई की पारसी रंगमंच की 'इम्पीरियल' आदि अनेक नाटक कंपनियों को खरीदकर कोलकाता को रंगमंच का केंद्र वना दिया और हिन्दी रंगमंच का एक व्यापक प्रभाव क्षेत्र वन गया। यह उद्भव हिन्दी रंगमंच के लिये एक उपलब्धि था।

रंगमंच के दो केन्द्रों के एकीकरण से हिन्दी रंगमंच के विकास की राह बनी

रंगमंच के उन दिनों के दो केन्द्रों - मुम्वई और कोलकाता के एकीकरण का हिन्दी रंगमंच के विकास में अभूतपूर्व योगदान माना जाता है। इन संस्थाओं के एकीकरण के कारण नारायण वेताव, आगा हस्न कश्मीरी, तुलसीदत्त शैदा, हरिकृष्ण जौहर आदि अनेक नाटककारों का संगम स्थल कोलकाता का 'मॉडर्न थियेटर' हो गया। मुंवई और कोलकाता के इन रंगमंच केन्द्रों के एकीकरण से हिन्दी रंगमंच के विकास की राह वनी। हिन्दी में अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात वर्ष 1868 में वनारस थियेटर के साथ हुआ। वर्ष 1884 में वनारस में 'नेशनल थियेटर' की स्थापना हुई। भारतेंदु के अंधेर नगरी का प्रथम मंचन नेशनल थियेटर में ही किया गया था। वर्ष 1906 में गठित - 'भारतेंदु नाटक मण्डली' की भूमिका हिन्दी रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मण्डली ने लगभग डेढ़ दर्जन नाटकों का मंचन किया जिसमें सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी प्रमुख हैं। इस नाटक मण्डली ने भारतेंदु काल के नाटकों के साथ-साथ प्रसाद के नाटकों को भी सफलतापूर्वक मंचित कर हिन्दी के अपने स्वतंत्र रंगमंच के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। प्रसाद के नाटकों को मंचित कर इस संस्था ने सिद्ध किया कि प्रसाद के नाटक पूर्णतः अभिनेय हैं। आगे चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की - 'विक्रम परिषद' की स्थापना वर्ष 1939 में हुई थी। इसने नाटकों में स्त्री पात्र के लिए स्त्रियों द्वारा ही अभिनय की परंपरा डाली। हिन्दी रंगमंच के विकास में वर्ष 1884 में गठित - 'वलिया नाट्य समाज' की भूमिका भी ऐतिहासिक मानी जाती है। वर्ष 1884 में यहीं पर भारतेंदु ने नाटक पर एक लम्वा व्याख्यान दिया था। उसी समय सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा नीलदेवी नाटकों का मंचन किया गया था। इन नाटकों में पात्रों द्वारा हिन्दी के संवादों को शुद्ध उच्चारित करने पर सवसे ज्यादा जोर दिया जाता था।

हिन्दी रंगमंच के विकास के महत्वपूर्ण कालखण्ड और प्रवृतियां

भारतेन्दु युग में व्यापक पैमाने पर न सिर्फ नाट्यलेखन हुआ वल्कि उनके मंचन के लिए भी प्रेरणा मिली। स्वयं भारतेन्दु नाट्य लेखन एवं अभिनय के केंद्र में एक संस्था की तरह कार्यशील थे। उनके पूर्व पारसी रंगमंच व्यावसायिक स्तर पर सक्रिय था। भारतेन्दु ने सक्रिय होकर पारसी रंगमंच के समानांतर एक अव्यावसायिक रंगमंच का आरम्भ किया। इस कालखण्ड में हिन्दी रंगमंच के विकास में परम्परा का आधुनिकता के साथ समन्वय करते हुए, संस्कृत नाट्य परंपरा के महत्वपूर्ण तत्वों को लोक नाट्य परंपरा के साथ समन्वित कर हिन्दी रंगमंच को गति दी। भारतेन्दु ने अपने नाटकों में पात्र योजना, भाषा और संवाद योजना में रंग संकेतों के माध्यम से अभिनेता का भी ध्यान रखा। हिन्दी रंगमंच के विकास में पारसी रंगमंच की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। पारसी थियेटर शुद्ध व्यवसायिक थियेटर था, इसलिए उसने अपनी मौलिक रंग पद्धतियों का विकास किया। इसमें अंग्रेजी की तुलना में भारतीय लोक रंग, शेरो-शायरी, उर्दू मिश्रित संवाद, भावुकता का आवेग, अतिनाटकीयता, गीत-संगीत की वहुलता, नृत्य, चमत्कारिक, ध्वनि-प्रभाव आदि पर अत्यधिक वल दिया गया। पारसी थियेटर ने रंगमंच को व्यावसायिक स्वरूप दिया, साहित्य व रंगमंच की दूरी कम की और रंगमंच की प्रवृत्ति के अनुकूल भाषा एवं अभिनय शैली विकसित की। इधर सुप्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद के समक्ष मूल चुनौती हिन्दी में गंभीर ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की अनुपस्थिति की थी। उन्होंने गंभीर नाट्य लेखन पर वल दिया एवं रंगमंच को निर्देशक एवं अभिनेता की प्रतिभा पर छोड़ दिया। आगे चलकर मोहन राकेश ने भारतेंदु एवं प्रसाद की नाट्य दृष्टियों के समन्वय के आधार पर ही हिन्दी के अपने स्वाभाविक सांस्कृतिक रंगमंच के विकास पर वल दिया।

कोरोना काल में हिन्दी रंगमंच को मुकम्मल राह सुझाई थी बंसी कौल ने

देश के शीर्ष, चिंतनशील रंगकर्मियों में शामिल स्वर्गीय वंसी कौल ने कोरोना काल में हिन्दी रंगमंच से जुड़ा एक वुनियादी सवाल उठाया था कि थियेटर का क्या होगा आज सवाल यह नहीं, अपितु सवाल यह होना चाहिए कि थियेटर या कलाएं समाज के लिए जो कुछ कर रही थीं, उसका क्या होगा? वंसी कौल दिल्ली के द्वारका स्थित अपने फ्लैट से ही गंभीर रूप से वीमार होने के वावजूद फेसवुक लाइव के अलग-अलग प्लेटफॉर्मों पर रंगकर्मियों खासकर युवाओं से सीधा संवाद कर रहे थे और इस प्रकार उन्होंने कोरोना काल में हिन्दी रंगमंच के दायित्व को एक दिशा दी। उन्होंने भोपाल की अपनी नाट्य संस्था रंग विदूषक के नए-पुराने रंगकर्मियों से प्रवासी मजदूरों की वेहाली पर कविताएं लिखवाईं जिसकी एक रचना वनाकर संगीतवद्ध किया जाएगा। उन्हें पता है कि ये कोई महान रचनाएं नहीं हैं, लेकिन एक संवेदनशील कलाकार के नाते आपको अपने आसपास की ऐसी त्रासदियों के वारे सोचना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, नहीं तो आप काहे के कलाकार?

कोरोना काल में ऑडिटोरियम के उपयोग की अनुमति न मिलने के सवाल पर भी वंसी कौल ने एक राह सुझाई। उन्होंने कहा कि मुमकिन है मैं सड़कों पर मेकैनिकल प्रॉप्स के साथ एक यात्रा निकालूँ, जिसे मैं प्रोसेशनल थियेटर कहूँ और जिसे लोग खिड़कियों से देखें। किसी कॉलोनी या सोसाइटी में ऐसा प्ले करूं जिसे लोग वालकनी से देखें और अव स्मारकों में, विल्डिंग की छतों पर भी फिर से नाटक के वारे में सोचा जाए। इसी राह पर हिन्दी रंगमंच पहले सोशल मीडिया पर फिर अनलॉक होने पर नुक्कड़ नाटक के रूप में सामने आया।

संस्थाएं, जो हिन्दी रंगमंच की विरासत की संवाहक बनीं

हिन्दी रंगमंच का जिक्र कुछ संस्थाओं के विना शायद अधूरा ही रहेगा उसमें से अग्रगण्य संस्थाएं हैं - इप्टा (इंडियन पीपुल थियेटर एसोसिएशन), पृथ्वी थियेटर्स, रंगमण्डल और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। देश की आजादी की लड़ाई और विश्वव्यापी फासीवाद विरोधी आंदोलन के दौर में इप्टा का उद्भव हुआ। इप्टा ने प्रगतिशील नाटकों के मंचन पर वल दिया। इसने लोक मंच के तत्वों को आत्मसात करते हुए नुक्कड़ नाटकों के मंचन को भी लोकप्रिय वनाया। हिन्दी, उर्दू एवं अन्य भारतीय भाषाओं के भी सभी प्रगतिशील एवं वामपंथी लेखक, साहित्यकार बुद्धिजीवी इससे जुड़े हैं। वर्ष 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने 'पृथ्वी थियेटर्स' की नींव रखी। इसकी स्थापना कर उन्होंने हिन्दी रंगमंच को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, साथ ही इप्टा के साथ सहयोग करते हुए हिन्दी रंगमंच की सामाजिक भूमिका को भी पहचाना और स्पष्ट किया। सोलह वर्ष तक पृथ्वी थियेटर्स ने पूरे भारत में आठ नाटकों के कई शो किये। पृथ्वी थियेटर आज भी सक्रिय है। कपूर परिवार की संजना कपूर पृथ्वी थियेटर का संचालन आज भी पूरी प्रतिवद्धता एवं व्यावसायिकता के साथ कर रही हैं। भारत में रंगमंच के विकास को देखते हुए संगीत नाटक अकादमी द्वारा अप्रैल 1959 में 'राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय' की स्थापना की गई। इस विद्यालय ने न सिर्फ देश की महत्वपूर्ण रंग प्रतिभाओं, निर्देशकों, अभिनेताओं को जन्म दिया है, वल्कि हिन्दी के नाटकों के मंचन एवं रंगमंच के विकास में 1960 के वाद ऐतिहासिक दायित्व निभाया है। हिन्दी रंगमंच को नुक्कड़ नाटकों और लोकनाट्य ने भी काफी हद तक समृद्ध किया है। सांस्कृतिक औद्योगीकरण एवं कलाओं के तीव्र व्यवसायीकरण के दौर में हिन्दी रंगमंच को संभाले रखने और उसे संगठित रखने में देश की लव्धप्रतिष्ठित रंग संस्थाओं के साथ ही रंगकर्म से जुड़े तमाम नामवर रंगकर्मियों का भी अमूल्य अवदान रहा है।

हिन्दी रंगमंच में जारी रही है नये मुहावरों और शैलियों की तलाश

रंगमंच के नए मुहावरों एवं शैलियों की तलाश किसी भी अच्छे रंगमंच के विकासमान रहने के लिये जरुरी होती है। नाट्य शिल्प के उपकरण और आधुनिकता तो इसके लिये आवश्यक है ही मगर यह भी सही है कि श्रेष्ठ रंगमंच की पहचान व स्थायित्व अपनी मौलिकता, अपने संस्कारों, विरासत एवं जीवन दर्शन से वनती है। आधुनिक हिन्दी रंगमंच भी फिर वह चाहे जिस नामवर निदेशक का हो वस्तुतः वह अभिनेता की शक्ति में ही विश्वास रखता है। वाह्य उपकरणों में नहीं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी यही दृष्टि प्रस्तावित है। वर्ष 1980 के आसपास से हिन्दी नाटक एवं रंगमंच सारी जटिलताओं, विसंगतियों के वावजूद अधिक सार्थक प्रासंगिक जीवंत एवं मौलिक और साथ ही भारतीय मुहावरे की तलाश करने लगा।

राजा दुबे

(लेखिक, (लेखक, जनसम्पर्क विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं।)

रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

एफसी-18, इंस्टिट्यूशनल एरिया, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092

वेबसाइट: http://dsssb.delhi.gov.in

संख्या एफ.4(376)/पीएंडपी/डीएसएसएसबी/2021/एडीवीटी/4821 दिनांक: 04-03-2021

रिक्ति सूचना

विज्ञापन संख्या 01/21

महत्वपूर्ण नोट: केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख निम्नानुसार है:-

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तारीख: 15/03/2021 (15 मार्च, 2021)
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख: 14/04/2021 (14 अप्रैल, 2021)

रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत निम्नांकित पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं:-

क्र. सं.	पद कोड	पद का नाम	विभाग का नाम	समूह	ग्रेड वेतन	रिक्ति								
						ईडब्ल्यू एस	अना	अपिव	अजा	अजजा	कुल	विकलांग जन	भूपूसै	खेल
1.	1/21	तकनीकी सहायक (लोक स्वास्थ्य)	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	2400	01	0	01	0	0	02	0	0	0
2.	2/21	तकनीकी सहायक (प्रिंटिंग)	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	2400	0	01	01	0	0	02	0	0	0
3.	3/21	तकनीकी सहायक (सिविल)	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	2400	01	05	02	01	01	10	0	0	0
4.	4/21	तकनीकी सहायक (कैमिकल)	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	2400	01	01	01	0	0	03	0	0	0
5.	5/21	तकनीकी सहायक (इंटीरियर डिज़ाइन)	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	2400	0	02	0	0	0	02	0	0	0
6.	6/21	तकनीकी सहायक (ऑटोमोबाइल)	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	2400	01	01	01	0	0	03	0	0	0
7.	7/21	तकनीकी सहायक (प्रोडक्शन)	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	2400	0	0	01	0	0	01	0	0	0
8.	8/21	तकनीकी सहायक (मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स)	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	2400	0	02	01	0	0	03	0	0	0
9.	9/21	तकनीकी सहायक (मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस) हिन्दी	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	2400	0	0	0	01	01	02	01	0	0
10.	10/21	तकनीकी सहायक (इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल)	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	2400	0	0	0	01	01	02	0	0	0
11.	11/21	तकनीकी सहायक (प्लास्टिक्स)	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	2400	0	01	01	0	0	02	0	0	0
12	12/21	प्रयोगशाला अटेंडेन्ट	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	ग	1900	06	30	17	09	04	66	3	0	0
13	13/21	सहायक कैमिस्ट	दिल्ली जल बोर्ड	ख	4600	05	20	09	04	02	40	02	0	0
14.	14/21	सहायक इंजीनियर (ई एंड एम)	दिल्ली जल बोर्ड	ख	4600	01	08	03	01	01	14	01	0	0
15.	15/21	कनिष्ठ इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल)	दिल्ली जल बोर्ड	ख	4200	06	27	16	09	04	62	03	0	0
16.	16/21	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-I	दिल्ली जल बोर्ड	ख	4600	01	06	05	03	01	16	01	0	0
17.	17/21	कार्मिक सहायक	दिल्ली जल बोर्ड	ख	4600	08	36	22	12	06	84	04	0	0
18.	18/21	फार्मासिस्ट (आयुर्वेद)	आयुष निदेशालय	ग	2800	03	12	05	03	01	24	02	0	0
19.	19/21	फार्मासिस्ट (यूनानी)	आयुष निदेशालय	ग	2800	01	05	04	03	01	14	01	0	0
20.	20/21	फार्मासिस्ट (होम्योपैथी)	आयुष निदेशालय	ग	2800	02	19	12	04	07	44	04	0	0
21.	21/21	सहायक निदेशक	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	ख	4800	0	03	0	0	0	03	01	0	0
22	22/21	सहायक ग्रेड - II	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	ग	2400	2	13	7	4	2	28	3	0	0
23	23/21	कनिष्ठ आशुलिपिक (अंग्रेजी)	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	ग	2400	1	8	3	1	0	13	2	0	0
24	24/21	कनिष्ठ इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	ग	4600	8	0	15	0	8	31	02	0	0
25	25/21	वैज्ञानिक सहायक (बायोलॉजी)	फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला	ग	2800	1	1	3	1	0	6	0	0	0
26	26/21	सुरक्षा सुपरवाइजर	दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड	ग	1900	0	6	2	1	0	9	0	1	0
27	27/21	सहायक फोरमैन	दिल्ली परिवहन निगम	ग	2800	15	64	43	23	13	158	7	0	0
28	28/21	कारपेन्टर-द्वितीय श्रेणी	दिल्ली जल बोर्ड	ग	2000	0	2	1	0	1	4	1	0	0
29	29/21	सहायक फिल्टर सुपरवाइजर	दिल्ली जल बोर्ड	ग	1900	01	05	03	01	01	11	0	1	0
30	30/21	प्रोग्रामर	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	ग	2800	0	04	01	00	00	05	0	0	0
31	31/20	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (मूक एवं बधिर)	समाज कल्याण विभाग	ख	4600	02	08	05	03	01	19	01	0	0
32	32/20	विशेष शिक्षक (प्राइमरी)	दिल्ली नगर निगम	ख	4200	54	487	328	164	93	1126	45	0	0

योग्यता, आयु सीमा, शुल्क आदि का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है:- **http://dsssb.delhi.gov.in/current-vacancies/Delhi-subordinate-services-selection-board** उम्मीदवारों को केवल वेबसाइट **http://dsssbonline.nic.in** के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तारीख 14 अप्रैल, 2021 को 11:59 बजे अपराह्न तक है.** इसके बाद वेबसाइट पर लिंक डिसेबल हो जाएगा. किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सिरे से खारिज कर दिए जाएंगे. इसके अलावा उपरोक्त पदों के लिए परीक्षा की तारीख की जानकारी उचित समय पर अलग से दी जाएगी.

उप सचिव (पी एंड पी)
डीएसएसएसबी

विज्ञापन संख्या 01/21

संबद्ध विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार विज्ञापित पदों के नाम, पद कोड, रिक्तियों की संख्या, शैक्षिक योग्यताएं, अपेक्षित अनुभव, वेतनमान, आयु सीमा आदि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-)

पद कोड :-	1/21	पद का नाम:	तकनीकी सहायक (जन स्वास्थ्य)
			प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय
रिक्तियों की संख्या :- (कुल-02) (ईडब्ल्यूएस-01 और अपिव-01)			
शैक्षिक योग्यताएं :-		अनिवार्य :-	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) संबद्ध ट्रेड में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से न्यूनतम दो वर्ष का नियमित डिप्लोमा प्राप्त किया हो **अथवा** संबंधित क्षेत्र में विज्ञान स्नातक डिग्री या समकक्ष.
			नोट:- इस पद की अनिवार्य योग्यता से संबंधित ट्रेड/क्षेत्र मांग-कर्ता विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118 दिनांक 12/09/2019 के अनुसार परिभाषित किए गए हैं: 1. संबंधित ट्रेड अर्थात् सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण में नियमित अवधि का न्यूनतम 2 साल का डिप्लोमा प्राप्त किया हो. 2. संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या समकक्ष का अर्थ है सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण में स्नातक डिग्री.
		वांछनीय :	कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी हो.
अनुभव:-		अनिवार्य:	कुछ नहीं
		वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमान:-		5200-20200 + ग्रेड पे 2400/- ग्रुप: - सी	
आयु सीमा:-		18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारी:-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.-19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.	
यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, पीडब्ल्यूडी (ओएल, पीबी, पी डी एंड बी) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.			
संदर्भ संख्या	एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118		दिनांक 12/09/2019
पद कोड:-	2/21	पद का नाम:-	तकनीकी सहायक (मुद्रण)
			प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग
रिक्तियों की संख्या :- (कुल -02) - (अना -01 और अपिव -01)			
शैक्षिक योग्यता:-		अनिवार्य	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) संबद्ध ट्रेड में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से न्यूनतम दो वर्ष का नियमित डिप्लोमा प्राप्त किया हो. **अथवा** संबंधित क्षेत्र में विज्ञान में स्नातक डिग्री या समकक्ष.
			नोट:- इस पद की अनिवार्य योग्यता से संबंधित ट्रेड/क्षेत्र मांग-कर्ता विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर /1118 दिनांक 12/09/2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है: 1. संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष के नियमित डिप्लोमा का अर्थ है मुद्रण प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या समकक्ष का अर्थ है सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण में स्नातक डिग्री.
		वांछनीय :	कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी हो.
अनुभव:-		अनिवार्य:	कुछ नहीं
		वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमान:-		रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन रुपये 2400/- समूह: - ग	
आयु सीमा:-		18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारी:-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.	
यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, पीडब्ल्यूडी (ओएल, पीडी) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.			
संदर्भ संख्या	एफ.16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118		दिनांक 12/09/2019
पद कोड:-	3/21	पद का नाम:-	तकनीकी सहायक (सिविल)
			प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग
रिक्तियों की संख्या :- (कुल -10) - (ईडब्ल्यूएस -01, अना-05, अपिव-02, अजा-01 और अजजा-01)			
शैक्षिक योग्यता:-		अनिवार्य:	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) संबद्ध ट्रेड में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से न्यूनतम दो वर्ष का नियमित डिप्लोमा प्राप्त किया हो. **अथवा** संबंधित क्षेत्र में विज्ञान में स्नातक डिग्री या समकक्ष.
			नोट:- इस पद की अनिवार्य योग्यता से संबंधित ट्रेड/क्षेत्र मांग-कर्ता विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर /1118 दिनांक 12/09/2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है: 1. संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष के नियमित डिप्लोमा का अर्थ है सिविल इंजीनियरी में न्यूनतम 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या समकक्ष का अर्थ है सिविल इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री.
		वांछनीय :	कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी हो.
अनुभव:-		अनिवार्य:	कुछ नहीं
		वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमान:-		रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन रुपये 2400/- समूह : - ग	
आयु सीमा:-		18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारी:-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.	
यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, पीडब्ल्यूडी (पीडी, ओएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.			
संदर्भ संख्या	एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118		दिनांक 12/09/2019
पद कोड:-	4/21	पद का नाम:-	तकनीकी सहायक (रासायनिक)
			प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग
रिक्तियों की संख्या :- (कुल-03) - (ईडब्ल्यूएस -01, अना-01 और अपिव-01)			
शैक्षिक योग्यता:-		अनिवार्य:	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) संबद्ध ट्रेड में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से न्यूनतम दो वर्ष का नियमित डिप्लोमा प्राप्त किया हो. **अथवा** संबंधित क्षेत्र में विज्ञान की स्नातक डिग्री या समकक्ष.
		वांछनीय :	नोट:- इस पद की अनिवार्य योग्यता से संबंधित ट्रेड/क्षेत्र मांग-कर्ता विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर /1118 दिनांक 12/09/2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है: 1. संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष के नियमित डिप्लोमा का अर्थ है रासायनिक इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या समकक्ष का अर्थ है रासायनिक इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री.
		वांछनीय :	कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी हो.
अनुभव:-		अनिवार्य:	कुछ नहीं
		वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमान:-		रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन रुपये 2400/- समूह : - ग	
आयु सीमा:-		18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारी:-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.	
यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, पीडब्ल्यूडी (पीडी, ओएल, बीएल और ओए) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.			
संदर्भ संख्या	एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118		दिनांक 12/09/2021
पद कोड:-	5/21	पद का नाम:-	तकनीकी सहायक (आंतरिक डिज़ाइन)
			प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग
रिक्तियों की संख्या :- (कुल -02) - (अना-02)			
शैक्षिक योग्यता:-		अनिवार्य:	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) संबद्ध ट्रेड में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से न्यूनतम दो वर्ष का नियमित डिप्लोमा प्राप्त किया हो. **अथवा** संबंधित क्षेत्र में विज्ञान की स्नातक डिग्री या समकक्ष.
		वांछनीय :	नोट:- इस पद की अनिवार्य योग्यता से संबंधित ट्रेड/क्षेत्र मांग-कर्ता विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118 दिनांक 12/09/2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है: 1. संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष के नियमित डिप्लोमा का अर्थ है आंतरिक डिज़ाइन में न्यूनतम 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या समकक्ष का अर्थ है आंतरिक डिज़ाइन/डिज़ाइन में स्नातक डिग्री.
		वांछनीय :	कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी हो.
अनुभव:-		अनिवार्य:	कुछ नहीं
		वांछनीय :	कुछ नहीं

वेतनमान:-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन रुपये 2400/- समूह : - ग		
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारी:-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.		
यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, पीडब्ल्यूडी (पीडी, ओएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.			
संदर्भ संख्या	एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118	दिनांक 12/09/2019	
पद कोड:- 6/21	पद का नाम:-	तकनीकी सहायक (ऑटोमोबाइल)	
		प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	
रिक्तियों की संख्या :- (कुल -03) - (ईडब्ल्यूएस -01, अना-01 और अपिव-01)			
शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) संबद्ध ट्रेड में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से न्यूनतम दो वर्ष का नियमित डिप्लोमा प्राप्त किया हो. **अथवा** संबंधित क्षेत्र में विज्ञान में स्नातक डिग्री या समकक्ष. **नोट:-** इस पद की अनिवार्य योग्यता से संबंधित ट्रेड/क्षेत्र मांग-कर्ता विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर /1118 दिनांक 12/09/2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है: 1. संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष के नियमित डिप्लोमा का अर्थ है ऑटोमोबाइल /मैकेनिकल (ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता) में न्यूनतम 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या समकक्ष का अर्थ है ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल में स्नातक डिग्री.	
	वांछनीय :	कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी हो.	
अनुभव:-	अनिवार्य:	कुछ नहीं	
	वांछनीय :	कुछ नहीं	
वेतनमान:-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन रुपये 2400/- समूह : - ग		
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारी:-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.		
यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, पीडब्ल्यूडी (पीडी, ओएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.			
संदर्भ संख्या	एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118	दिनांक 12/09/2019	
पद कोड:- 7/21	पद का नाम:-	तकनीकी सहायक (उत्पादन)	
		प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	
रिक्तियों की संख्या :- (कुल -01) - (अपिव-01)			
शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) संबद्ध ट्रेड में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से न्यूनतम दो वर्ष का नियमित डिप्लोमा प्राप्त किया हो. **अथवा** संबंधित क्षेत्र में विज्ञान में स्नातक डिग्री या समकक्ष. **नोट:-** इस पद की अनिवार्य योग्यता से संबंधित ट्रेड/क्षेत्र मांग-कर्ता विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118 दिनांक 12/09/2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है: 1. संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष के नियमित डिप्लोमा का अर्थ है उत्पादन/औद्योगिक इंजीनियरी में न्यूनतम 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या समकक्ष का अर्थ है उत्पादन/औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातक डिग्री.	
	वांछनीय :	कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी हो.	
अनुभव:-	अनिवार्य:	कुछ नहीं	
	वांछनीय :	कुछ नहीं	
वेतनमान:-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन रुपये 2400/- समूह : - ग		
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारी:-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.		
यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, पीडब्ल्यूडी (पीडी, ओएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.			
संदर्भ संख्या	एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118	दिनांक 12/09/2019	

पद कोड:- 8/21	पद का नाम:-	तकनीकी सहायक (मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स)	
		प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	
रिक्तियों की संख्या :- (कुल -03) - (अना-02 और अपिव-01)			
शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) संबद्ध ट्रेड में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से न्यूनतम दो वर्ष का नियमित डिप्लोमा प्राप्त किया हो. **अथवा** संबंधित क्षेत्र में विज्ञान में स्नातक डिग्री या समकक्ष. **नोट:-** इस पद की अनिवार्य योग्यता से संबंधित ट्रेड/क्षेत्र मांग-कर्ता विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118 दिनांक 12/09/2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है: 1. संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष के नियमित डिप्लोमा का अर्थ है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूनतम 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या समकक्ष का अर्थ है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक डिग्री.	
	वांछनीय :	कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी.	
अनुभव:-	अनिवार्य:	कुछ नहीं	
	वांछनीय :	कुछ नहीं	
वेतनमान:-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400/- समूह:- ग		
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारी:-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.		
यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, पीडब्ल्यूडी (पीडी, ओएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.			
संदर्भ संख्या	एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118	दिनांक 12/09/2019	
पद कोड:- 9/21	पद का नाम:-	तकनीकी सहायक (आधुनिक कार्यालय पद्धति) हिन्दी	
		प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	
रिक्तियों की संख्या :- (कुल -02) (अजा-01 और अजजा-01) जिनमें से एक पद शावि (अवि-01) के लिए शामिल है.			
शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) संबद्ध ट्रेड में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से न्यूनतम दो वर्ष का नियमित डिप्लोमा प्राप्त किया हो. **अथवा** संबंधित क्षेत्र में विज्ञान में स्नातक डिग्री या समकक्ष. **नोट:-** इस पद की अनिवार्य योग्यता से संबंधित ट्रेड/क्षेत्र मांग-कर्ता विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118 दिनांक 12/09/2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है: 1. संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष के नियमित डिप्लोमा का अर्थ है आधुनिक कार्यालय पद्धति हिन्दी में न्यूनतम 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या समकक्ष का अर्थ है कार्यालय प्रबंधन अथवा सचिवीय पद्धति में हिन्दी एक विषय के साथ स्नातक डिग्री.	
	वांछनीय :	कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी.	
अनुभव:-	अनिवार्य:	कुछ नहीं	
	वांछनीय :	कुछ नहीं	
वेतनमान:-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400/- समूह:- ग		
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारी:-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.		
यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, पीडब्ल्यूडी (पीडी, ओएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.			
संदर्भ संख्या	एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118	दिनांक 12/09/2019	
पद कोड:- 10/21	पद का नाम:-	तकनीकी सहायक (इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल)	
		प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग	
रिक्तियों की संख्या :- (कुल -02) - (अजा-01, अजजा -01)			
शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) संबद्ध ट्रेड में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से न्यूनतम दो वर्ष का नियमित डिप्लोमा प्राप्त किया हो. **अथवा**	

		संबंधित क्षेत्र में विज्ञान में स्नातक डिग्री या समकक्ष. **नोटः-** इस पद की अनिवार्य योग्यता से संबंधित ट्रेड/क्षेत्र मांग-कर्ता विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118 दिनांक 12/09/2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है: 1. संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष के नियमित डिप्लोमा का अर्थ है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरी में न्यूनतम 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या समकक्ष का अर्थ है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री.
	वांछनीय :	कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी.
अनुभवः-	**अनिवार्यः**	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमानः-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400/- समूहः- ग	
आयु सीमाः-	18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारीः-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, पीडब्ल्यूडी (पीडी, ओएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्याः-	**एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118**		**दिनांक 12/09/2019**
पद कोडः-	**11/21**	**पद का नामः-**	**तकनीकी सहायक (प्लास्टिक)** प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग

रिक्तियों की संख्या :- (कुल -02) - (अजा-01, अपिव -01)

शैक्षिक योग्यताः-	**अनिवार्यः**	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) संबद्ध ट्रेड में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से न्यूनतम दो वर्ष का नियमित डिप्लोमा प्राप्त किया हो. **अथवा** संबंधित क्षेत्र में विज्ञान में स्नातक डिग्री या समकक्ष. **नोटः-** इस पद की अनिवार्य योग्यता से संबंधित ट्रेड/क्षेत्र मांग-कर्ता विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118 दिनांक 12/09/2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है: 1. संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष के नियमित डिप्लोमा का अर्थ है प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/पोलिमर साइंस में न्यूनतम 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा. 2. संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या समकक्ष का अर्थ है प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/पोलिमर साइंस में स्नातक डिग्री.
	वांछनीय :	कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी.
अनुभवः-	**अनिवार्यः**	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमानः-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400/- समूहः- ग	
आयु सीमाः-	18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारीः-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, पीडब्ल्यूडी (पीडी, ओएल, बीएल, ओए) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्याः-	**एफ16/विविध/2004/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118**		**दिनांक 12/09/2019**
पद कोडः-	**12/21**	**पद का नामः-**	**प्रयोगशाला अनुचर** प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग

रिक्तियों की संख्या :- (कुल -66) - (ईडब्ल्यूएस-06, अना-30, अपिव-17, अजा -09 और अजजा -04) पीडब्ल्यूडी (एच एच-01, ओ एच-01, वी एच -01) सहित

शैक्षिक योग्यताः-	**अनिवार्यः**	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित (पीसीएम) विषयों के साथ या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान (पीसीबी) विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो.
	वांछनीय :	कुछ नहीं
अनुभव :-	**अनिवार्यः**	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमानः-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900/- समूहः- ग	
आयु सीमाः-	18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारीः-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार पीडब्ल्यूडी (ओएच (ओएल), एचएच (पीडी), एसिड हमला पीड़ित, बौनापन) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्याः-	**एफ16/विविध/2017/टीई/एडी/प्रयोगशाला परिचर/1118**		**दिनांक 12/09/2019**
पद कोडः-	**13/21**	**पद का नामः-**	**सहायक रसायनज्ञ** दिल्ली जल बोर्ड

रिक्तियों की संख्याः- (कुल-40) - (ईडब्ल्यूएस-05, अना-20, अपिव-09, अजा -04 और अजजा -02) पीडब्ल्यूडी (एच एच-01, ओ एच-01) सहित.

शैक्षिक योग्यताः-	**अनिवार्यः**	**(क)** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन विज्ञान प्रमुख विषय के रूप में रखते हुए विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा (ii) जल उपचार संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले पानी के प्रवाह, सीवेज या अभिकर्मक के रासायनिक विश्लेषण या किसी उपचार संयंत्र में पानी और सीवेज के उपचार में दो साल का अनुभव हो. **या** **(ख)** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन विज्ञान प्रमुख विषय के रूप में रखते हुए विज्ञान में स्नातक डिग्री **तथा** (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो.
	वांछनीय :	कुछ नहीं
अनुभव :-	**अनिवार्यः**	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमानः-	रुपये 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600/- समूहः- ख	
आयु सीमाः-	30 वर्ष से अधिक नहीं, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार पीडब्ल्यूडी (पीडी, ओएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्या	**डीजेबी/एसी(बी)/डीएसएसएसबी/सहायक रसायनज्ञ/2019/डी -311**		**दिनांक 12/09/2019**
पद कोडः-	**14/21**	**पद का नामः-**	**सहायक इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल)** दिल्ली जल बोर्ड

रिक्तियों की संख्याः- (कुल-14) - (ईडब्ल्यूएस-01, अना-08, अपिव-03, अजा-01 और अजजा-01) विकलांगजन (एच एच-01) सहित

शैक्षिक योग्यताः-	**अनिवार्यः**	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री.
	वांछनीय :	कुछ नहीं
अनुभव :-	**अनिवार्यः**	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमानः-	रुपये 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600/- समूहः- ख	
आयु सीमाः-	30 वर्ष से अधिक नहीं, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **नोट 1:** केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार पीडब्ल्यूडी (पीडीडी, पीडी) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्या	**एफ. संख्या 404(2016)/डिजेबी/एसी(टी)/डीएसएसएसबी/एई(ईएंडएम)ऐप्पट/1678**		**दिनांक 18/09/2019**
पद कोडः-	**15/21**	**पद का नामः-**	**कनिष्ठ इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल)** दिल्ली जल बोर्ड

रिक्तियों की संख्याः- (कुल-62) - (ईडब्ल्यूएस-06, अना-27, अपिव-16, अजा-09 और अजजा-04) विकलांगजन (एच एच-01, ओ एच-02) सहित

शैक्षिक योग्यताः-	**अनिवार्यः**	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री. **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग कार्यों की योजना, निष्पादन और रखरखाव में दो साल का अनुभव.
	वांछनीय :	कुछ नहीं
अनुभव :-	**अनिवार्यः**	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमानः-	रुपये 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600/- समूहः- ख	
आयु सीमाः-	30 वर्ष से अधिक नहीं, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **विभागीय संविदा कर्मचारीः-** सेवा विभाग के पत्र/परिपत्र संख्या एफ.19 (11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार विभागीय संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी उपाय के रूप में उनकी सेवा अवधि के समान छूट दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार ने वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार पीडब्ल्यूडी (पीडीडी, पीडी, ओएल, ओए) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्या:-	एफसंख्या 141(2016)/दिजेबी/एसी(टी)/डीएसएसएसबी/जेई(ईएंडएम)ऐप्पट/1677		दिनांक 18/09/2019
पद कोड:-	16/21	पद का नाम:-	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-I
			दिल्ली जल बोर्ड

रिक्तियों की संख्या:- (कुल-16) - (ईडब्ल्यूएस-01, अना-06, अपिव-05, अजा-03 और अजजा-01) विकलांगजन (ओएच-01) सहित

शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	**(क) I.** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में डिप्लोमा, तथा **II.** ड्राइंग तैयार करने, मानचित्र आकलन और ऑटोकैड में दो वर्ष का योग्यता परवर्ती अनुभव. **या** **(ख) I.** किसी मान्यताप्राप्त स्कूल/बोर्ड से 10 वीं पास **II.** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो. **III.** ड्राइंग तैयार करने, मानचित्र आकलन और ऑटोकैड में तीन वर्ष का योग्यता परवर्ती अनुभव.
	वांछनीय :	कुछ नहीं
अनुभव :-	अनिवार्य:	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमान:-	रुपये 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600/- समूह: - ख	
आयु सीमा:-	30 वर्ष से अधिक नहीं, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी. **नोट 1:** केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार पीडब्ल्यूडी (ओएल, ओए) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्या -	एफसंख्या 154/दिजेबी/एसी(टी)/डीएसएसएसबी/डीएम-1/2019/1682		दिनांक 18/09/2019
पद कोड:-	17/21	पद का नाम:-	कार्मिक सहायक
			दिल्ली जल बोर्ड

रिक्तियों की संख्या:- कुल-84) - (ईडब्ल्यूएस-08, अना-36, अपिव-22, अजा-12 और अजजा-06) विकलांगजन (ओएच-02, वीएच-02) सहित

शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	1) किसी मान्यताप्राप्त स्कूल/बोर्ड /विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो. 2) निम्नलिखित मानदंडों के साथ आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण की हो - उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए अंग्रेजी/हिंदी में एक डिक्टेशन दिया जाएगा. निर्धारित मामले को 40 मिनट (अंग्रेजी) या 55 मिनट (हिंदी) में कंप्यूटर पर प्रोसेस करना होगा.
	वांछनीय :	कुछ नहीं
अनुभव :-	अनिवार्य:	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमान:-	रुपये 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600/- समूह :- ख	
आयु सीमा:-	30 वर्ष से अधिक नहीं, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार पीडब्ल्यूडी (ओएल, बीएल, ओएएल, पीबी, एलवी, ओए) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्या	दिजेबी/एसी (डी)/2020/364		दिनांक 03/03/2020
पद कोड:-	18/21	पद का नाम:-	फार्मासिस्ट (आयुर्वेद)
			आयुष निदेशालय

रिक्तियों की संख्या:- (कुल-24) - (ईडब्ल्यूएस-03, अना-12, अपिव-05, अजा-03 और अजजा-01) विकलांगजन (ओएच-02) सहित

शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	1) किसी मान्यताप्राप्त स्कूल/बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष योग्यता प्राप्त की हो. 2) किसी सरकारी संगठन या किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान से उप वैध/भेषज कल्पक का कम से कम 02 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो.
	वांछनीय :	कुछ नहीं
अनुभव :-	अनिवार्य:	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमान:-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2800/- समूह:- ग	
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार पीडब्ल्यूडी (ओएल, बीएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्या:-	एफसंख्या 8(87)/06/डीआईएसएमएच/प्रशासन/पीएफ II/251		दिनांक 27/01/2020
पद कोड:-	19/21	पद का नाम:-	फार्मासिस्ट (यूनानी)
			आयुष निदेशालय

रिक्तियों की संख्या:- (कुल-14) - (ईडब्ल्यूएस-01, अना-05, अपिव-04, अजा-03 और अजजा-01) विकलांगजन (ओएच-01) सहित

शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	3) किसी मान्यताप्राप्त स्कूल/बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष योग्यता प्राप्त की हो. 1) किसी सरकारी संगठन या किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान से यूनानी फार्मेसी में कम से कम 02 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो.
	वांछनीय :	कुछ नहीं
अनुभव :-	अनिवार्य:	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमान:-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2800/- समूह:- ग	
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार पीडब्ल्यूडी (ओएल, बीएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्या:-	एफ संख्या 6(62)/डीआईएसएमएच/02/प्रबंधन/250		दिनांक 27/01/2020
पद कोड:-	20/21	पद का नाम:-	फार्मासिस्ट (होम्योपैथी)
			आयुष निदेशालय

रिक्तियों की संख्या:- (कुल-44) - (ईडब्ल्यूएस-02, अना-19, अपिव-12, अजा-04 और अजजा-07) विकलांगजन (ओएच-04) सहित

शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	1. विज्ञान विषय के साथ 10+2 2. होम्योपैथी फार्मेसी में किसी सरकारी बोर्ड/संस्थान से कम से कम 02 वर्ष का डिप्लोमा.
	वांछनीय :	कुछ नहीं
अनुभव :-	अनिवार्य:	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमान:-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2800/- समूह:- ग	
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार पीडब्ल्यूडी (ओएल, बीएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्या	एफ संख्या 3 (12)/2020/आयुष/होमियो/इस्टट-/1087		दिनांक 19/03/2020
पद कोड:-	21/21	पद का नाम:-	सहायक निदेशक
			दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

रिक्तियों की संख्या:- (कुल-03) - (अना-03) विकलांग जन (ओएच-01) सहित

शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इसके समकक्ष.
	वांछनीय :	कुछ नहीं
अनुभव :-	अनिवार्य:	कुछ नहीं
	वांछनीय :	कुछ नहीं
वेतनमान:-	रुपये 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2800/- समूह:- ग	
आयु सीमा:-	30 वर्ष से अधिक नहीं, आयु में छूट तालिका के पैरा 6 के अनुसार दी जाएगी.	

यह पद मांगकर्ता विभाग की मांग के अनुसार पीडब्ल्यूडी (ओएल) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्हित हुआ है.

संदर्भ संख्या	संख्या जीए/1140/1/प्रशा-/2018/डी-159		दिनांक 28/02/2020
पद कोड:-	22/21	पद का नाम:-	सहायक ग्रेड-II
			दिल्ली राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लि.

रिक्तियों की संख्या:- (कुल-28) - (ईडब्ल्यूएस-02, अना-13, अपिव-07, अजा-04 और अजजा-02) विकलांगजन (ऑटिज्म-01, ओएच-02, वीएच-01) सहित

शैक्षिक योग्यता:-	अनिवार्य:	किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से वरिष्ठ माध्यमिक (12 वीं पास) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ और सरकारी/सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में 06 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स. या कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री
	वांछनीय :	कुछ नहीं
अनुभव :-	अनिवार्य:	कुछ नहीं
	वांछनीय :-	कुछ नहीं
वेतनमान :-	रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400/- समूह : 'ग'	
आयु सीमा :-	18 से 27 वर्ष, आयु में छूट पैरा 6 पर सारणी के अनुसार प्रदान की जाएगी.	

इस पद की उपयोगकर्ता विभाग के मांग पत्र के अनुरूप पीडब्ल्यूडी (ऑटिज्म, वीएच (पीबी, बी, एलवी), ओएच (ओएल, बीएल, ओएएल, ओए), एचएच (एचआई), एसिड हमला पीड़ित, एआईडीएसएलएमआई, बौनापन, कुष्ठ रोग निवारित व्यक्ति, बहु निःशक्तता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पहचान की गई है.

आर नं.	नं. डीएसआईआईडीसी/II/8/स्था./डीएसएसएसबी/वॉल्यू.II/		दिनांक. 24/08/2020
पद कोड:-	23/21	पद का नाम:-	कनिष्ठ आशुलिपिक (अंग्रेज़ी)
			दिल्ली स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमि.

रिक्तियों की संख्या:- (कुल-13) (ईडब्ल्यूएस-01, अना-8, अपिव-03, अजा-01) - पीडब्ल्यूडी (पीएच (एचएच -1), पीएच (वीएच-1) सहित

शैक्षणिक अर्हता :-	अनिवार्य :-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से एक विषय अंग्रेजी रखते हुए वरिष्ठ माध्यमिक(12वीं उत्तीर्ण) कौशल परीक्षा नियमः

		(i) डिक्टेशन : 10 मिनट. @ 80 श.प्र.मि. (अंग्रेजी) (ii) ट्रांसक्रिप्शन: 40 मिनट कम्प्यूटर पर.
	वांछनीय:-	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बैचलर डिग्री.
अनुभव:-	अनिवार्य:-	शून्य.
	वांछनीय:-	शून्य.
वेतनमान:-	रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400/- समूह: 'ग'	
आयु सीमा:-	18 से 27 वर्ष, आयु में छूट पैरा 6 पर सारणी के अनुसार प्रदान की जाएगी.	
इस पद की उपयोगकर्ता विभाग के मांग पत्र के अनुरूप पीडब्ल्यूडी एसिड हमला पीड़ित, बौनापन, एचएच (पीडी), वीएच (एलवी), ओएच (ओएल) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पहचान की गई है.		
आर. नं.	नं. डीएसआईआईडीसी/II-8/स्था/डीएसएसएसबी/ वॉल्यू.I/495	दिनांक 04/09/2020
पद कोड:- 24/21	पद का नाम:-	**कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल)** नई दिल्ली नगर पालिका परिषद
रिक्तियों की संख्या :- (कुल-31)- (ईडब्ल्यूएस-08, अपिव-15, अजजा-08) पीडबल्यूडी (ओएच-02) सहित		
शैक्षणिक अर्हता :-	**अनिवार्य :-**	**(I)** केंद्रीय सरकार से मान्यताप्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारक अथवा **(II)** केंद्रीय सरकार से मान्यताप्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव.
	वांछनीय:-	शून्य.
अनुभव:-	अनिवार्य:-	शून्य.
	वांछनीय:-	शून्य.
वेतनमान:-	रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600/- समूह : 'ग'	
आयु सीमा:-	18- 30 वर्ष, आयु में छूट पैरा 6 पर सारणी के अनुसार प्रदान की जाएगी-	
इस पद की उपयोगकर्ता विभाग के मांगपत्र के अनुरूप पीडब्ल्यूडी ओएच (ओएल) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पहचान की गई है.		
आर. नं.	सं. ए. 32015/47//2017-ई(स्था.)-I	दिनांक. 06/10/2020
पद कोड:- 25/21	पद का नाम:-	**वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान)** फारेंसिक साइंस लैबोरेट्री
रिक्तियों की संख्या:- (कुल -6)- (ईडब्ल्यूएस -1, अना-1, अपिव-3, अजा-1, अजजा-0)		
शैक्षणिक अर्हता:-	**अनिवार्य:-**	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी स्तर पर एक विषय जूलॉजी या बॉटनी के साथ जूलॉजी अथवा बॉटनी अथवा मानवशास्त्र अथवा मानव जीवविज्ञान अथवा बायोकैमिस्ट्री अथवा सूक्ष्मजीवविज्ञान अथवा आनुवंशिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा आणविक जीवविज्ञान अथवा फारेंसिक विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष.
	वांछनीय:-	शून्य.
अनुभव:-	अनिवार्य:-	शून्य.
	वांछनीय:-	मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक संस्थान से वैज्ञानिक प्रयोगशाला मे कार्यानुभव.
वेतनमान:-	रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2800/- समूह: 'ग'	
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष, आयु में छूट पैरा 6 पर सारणी के अनुसार प्रदान की जाएगी. **उसी विभाग के संविदात्मक कर्मचारी:-**सेवाएं विभाग के पत्र/परिपत्र सं. 19(11)/2015/एस-**IV**/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुरूप समान विभाग के संविदात्मक कर्मचारी के तौर पर वास्तविक बिताए गए समय तक के लिए एक बार के उपाय के तौर पर, अधिकतम 5 वर्ष के विषयाधीन, ऊपर आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने उस वर्ष विशेष में कम से कम 180 कार्य दिवसों में काम किया हो.	
इस पद की उपयोगकर्ता विभाग के मांगपत्र के अनुरूप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पहचान नहीं की गई है-		
आर. नं.	एफ.1(29)/एफएसएल/स्था/डीएसएसएसबी/2019/ पार्ट फाइल I/1085	दिनांक 01/10/2020
पद कोड:- 26/21	पद का नाम:-	**सुरक्षा पर्यवेक्षक** दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड
रिक्तियों की संख्या:- (कुल -09)- (अना -06, अपिव -02, अजा -01) - भूतपूर्व सैनिक- 01 सहित.		
शैक्षणिक अर्हता:-	**अनिवार्य:-**	मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष.
	वांछनीय:-	शून्य.
अनुभव:-	अनिवार्य:-	शून्य.
	वांछनीय:-	शून्य.
वेतनमान:-	रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900/- समूह: 'ग'	
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष, आयु में छूट पैरा 6 पर सारणी के अनुसार प्रदान की जाएगी.	
शारीरिक मापदंड कद:	170 सें.मी., सीना: 81x85 सें.मी. (81 सें.मी. सामान्य और 85 सें.मी. फुलाने पर) (भूतपूर्व सैनिक के मामले में शिथिलनीय).	
यह पद उपयोगकर्ता विभाग के मांगपत्र के अनुरूप पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है.		
इस पद की उपयोगकर्ता विभाग के मांगपत्र के अनुरूप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पहचान नहीं की गई है-		
आर. नं.	सं. ए-12012/36/2005//डीएएमबी//स्था.// पीएफ.-I/7284	दिनांक : 01/10/2019

पद कोड:- 27/21	पद का नाम:-	**सहायक फोरमैन** दिल्ली परिवहन निगम
रिक्तियों की संख्या:- (कुल-158)- (ईडब्ल्यूएस-15, अना-64, अपिव-43, अजा-23, अजजा-13) - पीडब्ल्यूडी (पीएच (एचएच-4), पीएच (ओएच-3) सहित		
शैक्षणिक अर्हता:-	**अनिवार्य:-**	तीन वर्षीय डिप्लोमा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपेक्षित है-
	वांछनीय:-	शून्य.
अनुभव:-	अनिवार्य:-	प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण सहित दो वर्ष का अनुभव.
	वांछनीय:-	शून्य.
वेतनमान:-	रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2800/- समूह : 'ग'	
आयु सीमा:-	18-35 वर्ष, आयु में छूट पैरा 6 पर सारणी के अनुसार प्रदान की जाएगी.	
इस पद की उपयोगकर्ता विभाग के मांग पत्र के अनुरूप पीडब्ल्यूडी- (ओए एंड ओएल), एचएच(एचआई) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पहचान की गई है.		
आर. नं.	पीएलडी-I एवं IV/डीएसएसएसबी/2019/1223/1380	दिनांक 13/12/2019
पद कोड:- 28/21	पद का नाम:-	**बढ़ई- द्वितीय श्रेणी** दिल्ली जल बोर्ड
रिक्तियों की संख्या:- (कुल-04)- (ईडब्ल्यूएस-00, अना-02, अपिव-01, अजा-0, अजजा-01). पीडब्ल्यूडी/पीएच (ओएच-01) सहित		
शैक्षणिक अर्हता:-	**अनिवार्य:-**	मान्यताप्राप्त संस्थान की आईटीआई से कारपेंटरी में प्रमाणपत्र.
	वांछनीय:-	शून्य.
अनुभव:-	अनिवार्य:-	2 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव
	वांछनीय:-	शून्य.
वेतनमान:-	रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2000/- समूह : 'ग'	
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष, आयु में छूट पैरा 6 पर सारणी के अनुसार प्रदान की जाएगी.	
इस पद की उपयोगकर्ता विभाग के मांग पत्र के अनुरूप पीडब्ल्यूडी-ओएच (ओएल) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पहचान की गई है.		
आर. नं.	सं. डीजेबी/एसी(बी)डीएसएसएसबी/कारपेंटर-द्वितीय श्रेणी/2019/डी-1264	दिनांक : 30/12/2019
पद कोड:- 29/21	पद का नाम:-	**सहायक फिल्टर पर्यवेक्षक** दिल्ली जल बोर्ड
रिक्तियों की संख्या:- (कुल-11)- (ईडब्ल्यूएस-01, अना-05, अपिव-03, अजा-01, अजजा-01) (भूतपूर्व सैनिक-01 सहित)		
शैक्षणिक अर्हता:-	**अनिवार्य:-**	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्ष.
	वांछनीय:-	शून्य.
अनुभव:-	अनिवार्य:-	फिल्टर्स पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव.
	वांछनीय:-	शून्य.
वेतनमान:-	रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900/- समूह : 'ग'	
आयु सीमा:-	18-27 वर्ष. आयु में छूट पैरा 6 पर सारणी के अनुसार प्रदान की जाएगी.	
इस पद की उपयोगकर्ता विभाग के मांगपत्र के अनुरूप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पहचान नहीं की गई है.		
आर. नं.	सं. एफ/जीजेबी/एसी(बी)/डीएसएसएसबी/एफसीएस/ 2019/डी-208	दिनांक : 26/02/2019
पद कोड:- 30/21	पद का नाम:-	**प्रोग्रामर** दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
रिक्तियों की संख्या : (कुल-05)- (ईडब्ल्यूएस-00, अना-04, अपिव-01, अजा-0, अजजा-0)		
शैक्षणिक अर्हता:-	**अनिवार्य:-**	**(क)** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष. **(ख)** डॉटा एंट्री कार्य के लिए प्रति घण्टा कम से कम 8000 की डिप्रेशन की गति अवश्य रखते हों.
	वांछनीय:-	मान्यताप्राप्त संस्थानों से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में प्रमाण-पत्र.
अनुभव:-	अनिवार्य:-	शून्य.
	वांछनीय:-	शून्य.
वेतनमान:-	रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2800/- समूह : 'ग'	
आयु सीमा:-	30 वर्ष से अधिक नहीं, आयु में छूट पैरा 6 पर सारणी के अनुसार प्रदान की जाएगी.	
इस पद की उपयोगकर्ता विभाग के मांगपत्र के अनुरूप पीडब्ल्यूडी (वीएच, एचएच, ओएच, आटिज्म, बहु निःशक्तता, कुष्ठ रोग निवारित व्यक्ति, मस्कुलर डिस्ट्राफी, बौनापन, एआईडीएसएलएमआई, एसिड हमला पीड़ित) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पहचान की गई है.		
आर. नं.	सं. प्रशा. 1.(18)/2014/डीएससीएससी/1026	दिनांक : 19/09/2019
पद कोड:- 31/21	पद का नाम:-	**प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (बहरा एवं गूंगा)** समाज कल्याण विभाग
रिक्तियों की संख्या:- (कुल-19)- (ईडब्ल्यूएस-02, अना-08, अपिव-05, अजा-03, अजजा-01) - पीडब्ल्यूडी-1 सहित)		
शैक्षणिक अर्हता:-	**अनिवार्य:-**	1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बैचलर डिग्री साथ में बी.एड (श्रव्य विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा) अथवा 2. बी.एड (जनरल) साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से श्रव्य

		विकलांग के लिए विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा, अथवा 3. बी.एड. (जनरल) साथ में मान्यताप्राप्त संस्थान से श्रव्य विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा, अथवा 4. बी.एड. (जनरल) साथ में मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से श्रव्य विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा (पीजीपीडी), **अथवा** 5. मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बी.एड. विशेष शिक्षा और श्रव्य विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाणपत्र (पीजीपीसी), **अथवा** 6. मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बहरे व्यक्तियों की शिक्षा में वरिष्ठ डिप्लोमा.
	वांछनीय:-	शून्य.
अनुभव:-	**अनिवार्य:-**	शून्य.
	वांछनीय:-	शून्य.
वेतनमान:-	रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600/- समूह : 'ख'	
आयु सीमा:-	30 वर्ष से अधिक नहीं, आयु में छूट पैरा 6 पर सारणी के अनुसार प्रदान की जाएगी.	

इस पद की उपयोगकर्ता विभाग के मांग पत्र के अनुसार पीडब्ल्यूडी/पीएच (ओएल, बीएल, पीडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पहचान की गई है.

आर. नं.	**सं. एफ. 10(12)/2001-02/डीएसडब्ल्यू/स्थान/वल्यू.-II/526**	**दिनांक: 02/09/2020**

पद कोड:-	**32/21**	**पद का नाम:-**	**स्पेशल एजुकेटर (प्राइमरी)** दिल्ली नगर निगम

रिक्तियों की संख्या:- (कुल-1126)- (ईडब्ल्यूएस-54, अना-487, अपिव-328, अजा-164, अजजा-93)- पीडब्ल्यूडी (पीएच (वीएच-22), पीएच (ओएच-23) सहित

शैक्षणिक अर्हता:-	**अनिवार्य:-**	**(i)** मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र (12वीं श्रेणी या इसके समकक्ष) **(ii)** निःशक्तता की किसी भी श्रेणी में भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम अथवा भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष अर्हता. **(iii)** केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण.
	वांछनीय:-	शून्य.
अनुभव:-	**अनिवार्य:-**	शून्य.
	वांछनीय:-	शून्य.
वेतनमान:-	रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200/- समूह : 'ख'	
आयु सीमा:-	30 वर्ष से अधिक नहीं, आयु में छूट पैरा 6 पर सारणी के अनुसार प्रदान की जाएगी.	

इस पद की उपयोगकर्ता विभाग के मांगपत्र के अनुरूप पीडब्ल्यूडी (वीएच और ओएच) के लिए उपयुक्त पहचान की गई है.

आर. सं.	**डी/एडीई/टीआरसी/शिक्षा/मु./एसडीएमसी/2021/1040**	**दिनांक : 25/01/2021**

टिप्पणी :

1. उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए. आवेदन की कोई **अन्य पद्धति स्वीकार** नहीं की जाएगी.
2. उम्मीदवारों को संबंधित पद(ों) के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले **ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेशों** को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए, जो कि **https://dsssbonline.nic.in** पर उपलब्ध हैं **(जब उम्मीदवार आवेदन-पत्र भरने के लिए लॉगिन करते हैं)**.
3. विभिन्न श्रेणियों अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस आदि के लिए आरक्षण का लाभ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार प्रदान किया जाएगा.
4. सफल उम्मीदवारों के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के समय ओएआरएस में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रिंटआउट की हार्ड प्रति के साथ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर वाला प्रवेश-पत्र (परीक्षा में प्रयुक्त), दस्तावेजों की स्पष्ट स्वयं सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा. (संलग्न प्रमाण-पत्रों में वर्णित किसी भी सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसका **आवेदन प्रपत्र में दावा नहीं किया गया है**).
5. परीक्षा के आयोजन के लिए केंद्र केवल दिल्ली/रा.रा.क्षे. में होंगे.
6. उम्मीदवारों को मूल **आधार कार्ड/कोई अन्य सरकार से जारी पहचान-पत्र** परीक्षा केंद्र पर अवश्य लेकर आना चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

1. परीक्षा शुल्क और भुगतान की पद्धति: रु. 100/- (केवल एक सौ रुपये)

(क) महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक विकलांग और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है.

(ख) भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पहले से ही अपने पुनः रोज़गार के लिये भूतपूर्व सैनिक को दिये गये आरक्षण का लाभ लेने के उपरांत नियमित आधार पर केंद्रीय सरकार/रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार अथवा इसके स्वायत्त/स्थानीय संस्थाओं के अधीन सिविल साइड में रोज़गार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क में छूट लेने के पात्र नहीं हैं.

(ग) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित शुल्क का भुगतान केवल एसबीआई ई-वे के जरिये करना अपेक्षित है. भुगतान का अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र सीधे नामंजूर कर दिये जायेंगे और भुगतान को जब्त कर लिया जायेगा.

(घ) फीस का एक बार भुगतान कर दिये जाने पर किसी भी स्थिति में इसे वापस नहीं किया जायेगा.

2. चयन की पद्धति : चयन **एक टियर/दो टियर** परीक्षा योजना और कौशल परीक्षा, जहां कहीं लागू है, के जरिए किया जाएगा.

परीक्षा योजना :

दि.अ.से.च.बो. परिशिष्ट-1 में दी गई परीक्षा योजना के अनुरूप पद कोडों के लिये एक टियर और दो टियर परीक्षा आयोजित करेगा. लेकिन दि.अ.से.च.बो. के पास परीक्षा से पूर्व किसी भी समय परीक्षा की योजना में परिवर्तन/संशोधन करने, यदि ऐसा करना अपेक्षित है, का अधिकार सुरक्षित है.

नोट :

(i) परीक्षा के प्रश्न, भाषा पेपर्स को छोड़कर जो कि केवल संबंधित भाषा में होगा, द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) होंगे.

(ii) दि.अ.से.च.बो. द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में उत्तरपर्णियों/उत्तर पुस्तिकाओं के पुनःमूल्यांकन/पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं है.

(iii) दि.अ.से.च.बो. के पास किसी भी परीक्षा से किसी भी प्रश्न/प्रश्नों को निरस्त/हटाने का अधिकार सुरक्षित है.

(iv) बोर्ड ने गुणात्मक चयन हासिल करने और उपलब्ध श्रेष्ठ प्रतिभा की भर्ती के वास्ते विभिन्न श्रेणियों (अना/अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै) के लिये नोटिस सं. एफ/4(130)/पीएंडपी/13/डीएसएसएसबी/20-33 दिनांक 20/04/2013 के तहत न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किये हैं और ये बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, यद्यपि, विभिन्न श्रेणियों में चयन के लिये कट ऑफ अंक ऊपर जा सकते हैं जो कि उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों और रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगा.

(v) बोर्ड उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज/ई-डोजियर्स प्रस्तुत करते समय उनके आवेदन पत्र और दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उम्मीदवारों का अनंतिम चयन करता है और मांगपत्र भेजने वाले/उपयोगकर्ता विभाग को इनकी अनुशंसा करता है. इसके आगे नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् मांगपत्र भेजने वाला/उपयोगकर्ता विभाग उम्मीदवार की अंतिम नियुक्ति से पूर्व भर्ती नियमों के अनुरूप पात्रता और दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता का सत्यापन करता है और भर्ती नियमों के अनुरूप तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में गृह मंत्रालय के का.ज्ञा. 2/29/54-आरपीएस, 19.11.1954 के तहत जारी किए गए अनुदेशों के अनुरूप पात्रता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करता है. अतः किसी उम्मीदवार का अनंतिम चयन होने से तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं हो जाएगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी किसी जांच के उपरांत, जो भी आवश्यक समझी जाए, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि पद पर नियुक्ति हेतु वह हर प्रकार से सुयोग्य है.

(vi) एक से अधिक संबद्ध पदों के लिए संयुक्त परीक्षा के मामले में दस्तावेज सत्यापन/ई-डोजियर के समय उम्मीदवार से पदों का प्राथमिकता क्रम प्राप्त किया जाएगा.

(vii) कॉमन पदों की संयुक्त परीक्षा के मामले में, पहले अधिसूचित पूर्व के पद कोड के परिणाम को पहले प्रोसेस किया जाएगा.

(viii) यदि दो या अधिक उम्मीदवारों ने समान श्रेणी में परीक्षा में एक समान अंक अर्जित किये हैं :

1. एक/दो टियर तकनीकी पदों के मामले में :

(क) विनिर्दिष्ट विषय खण्ड में अधिक अंक अर्जित करने वाले उम्मीदवार को ऊपर रखा जायेगा.

(ख) यदि उक्त (क) में वर्णित अंक भी एक समान हैं, तो आयु में बड़े उम्मीदवार को मैरिट में ऊपर रखा जाएगा.

(ग) उन मामलों में जहां जन्म तिथियां भी समान हैं, उम्मीदवार जिसका नाम अक्षर क्रम में (अंग्रेज़ी में) पहले आता है उसे मैरिट में ऊपर रखा जायेगा.

2. गैर-तकनीकी/सामान्य पदों के मामले में :

(क) आयु में बड़े उम्मीदवार को मैरिट में ऊपर रखा जाएगा.

(ख) उन मामलों में जहां जन्म तिथियां भी समान हैं, उम्मीदवार जिसका नाम अक्षर क्रम में (अंग्रेज़ी में) पहले आता है उसे मैरिट में ऊपर रखा जायेगा.

(xi) उम्मीदवार एक से अधिक पद कोड के लिए आवेदन कर सकते हैं परंतु बोर्ड दो या अधिक भिन्न पद कोडों की परीक्षा एक ही दिन आयोजित कर सकता है और उम्मीदवार को केवल किसी एक पद कोड की परीक्षा देने का विकल्प देना होगा.

3. पाठ्यक्रम : (एक एवं दो टियर योजना के लिये)

एक टियर (जनरल/तकनीकी) परीक्षा :

खण्ड-क

(i) सामान्य जागरूकता : प्रश्नों को उम्मीदवार की उसके आसपास के वातावरण की सामान्य जागरूकता तथा समाज पर इसके अनुप्रयोग की योग्यता की जांच के लिए डिज़ाइन किया जाएगा. प्रश्नों को ताज़ा घटनाओं और रोज़मर्रा अवलोकित होने वाले ऐसे मामलों के ज्ञान की जांच हेतु डिज़ाइन किया जाएगा जैसा कि किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित होता है. परीक्षा में भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न, विशेषकर इतिहास, राजनीति और संविधान, खेलों, कला एवं संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य नीति, रोज़मर्रा विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों और ताज़ा घटनाक्रमों आदि से जुड़े प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे.

(ii) सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तार्किक योग्यता : सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक योग्यता में मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं. परीक्षा में एनालॉग्स, समानता, भेद, स्पेस विज़ुअॅलाइजेशन, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय करना, दृश्य मेमॅरि, विभेद, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला आदि.

(iii) अंकगणितीय एवं संख्यात्मक योग्यता : अंकगणितीय और संख्यात्मक योग्यता की परीक्षा में संख्यात्मक प्रणालियां सम्मिलित होंगी जिनमें सामान्यीकरण, दशमलव, फ्रेक्शन्स, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, औसत, लाभ एवं हानि, डिस्काउंट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, मेन्सुरेशन, समय और काम, समय और दूरी, सारणी एवं ग्राफ आदि से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा.

(iv) हिंदी भाषा और कॉम्प्रिहेन्शन और अंग्रेजी भाषा एवं कॉम्प्रिहेन्शन : उम्मीदवार की अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं की समझ और कॉम्प्रिहेन्शन की जांच करने के अलावा, शब्दज्ञान, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, समानार्थक, विपरीतार्थक और इनके सही उपयोग आदि के बारे में भी प्रश्न शामिल किये जायेंगे.

खण्ड ख : (केवल एक टियर तकनीकी के लिये लागू) पद विनिर्दिष्ट विषय संबंधी प्रश्न : पद के लिये भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हता के अनुसार संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु विकल्प प्रश्न.

दो टियर परीक्षा योजना :

I. टियर-1 परीक्षा का पाठ्यक्रम एक टियर परीक्षा के समान होगा.

टियर-II परीक्षा का पाठ्यक्रम :

क. भाग-I (एमसीक्यू/वस्तुनिष्ठ प्रकार)

(i) सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक योग्यता- वही जैसा कि एक टियर परीक्षा में है परंतु थोड़ा सा उच्चतर स्तर.

(ii) मात्रात्मक अभिरुचि-टियर-1 में थोड़ा उच्चतर स्तर के साथ अंकगणित और संख्यात्मक योग्यता के अलावा डेटा व्याख्या और विश्लेषण पर प्रश्न होंगे.

(i) सामान्य जागरूकता : टियर-1 में दिए गए विषयों के अलावा दिल्ली के इतिहास, संस्कृति, जनसांख्यिकी, भूगोल और अर्थव्यवस्था, रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था और शासन, दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रश्न होंगे.

(ii) अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रिहेन्शन: वही जैसा कि टियर-1 में परंतु थोड़ा सा उच्चतर स्तर.

ख. भाग-II: (वर्णनात्मक)

परिशिष्ट-1 में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुरूप

4. **पात्रता मानदंड :**

(i) उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिये.

(ii) शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि जैसा कि विज्ञापन में निर्धारित किया गया है, का निर्धारण आवेदन प्रस्तुत करने की बंद होने की तिथि को किया जायेगा.

5. **आरक्षण लाभ :**

(i) आरक्षण का लाभ ईडब्ल्यूएस/अजा/अजजा/अपिव/शारीरिक विकलांग और अन्य विशेष श्रेणी उम्मीदवारों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों/परिपत्रों के अनुरूप प्रदान किया जाएगा.

(ii) जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों के तहत विचार किए जाने और/या आयु में छूट के इच्छुक हैं उनके पास **सक्षम/अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा (निर्धारित प्रपत्र में) कट ऑफ तिथि (विज्ञापन बंद होने की तिथि) को या इससे पूर्व जारी संगत प्रमाण-पत्र (ईडब्ल्यूएस/अजा/अजजा/अपिव/गैर संपन्न वर्ग/शावि/शैक्षणिक/अनुभव आदि) होने चाहिए, अन्यथा** किसी भी श्रेणी हेतु उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनके आवेदन-पत्रों पर, यदि अन्य प्रकार से पात्र हुए, अनारक्षित (अना) के तहत विचार किया जाएगा. उम्मीदवार को पद के लिये ऑनलाइन आवेदन करते समय श्रेणी विशेष का चयन करना होगा. श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर बाद के चरण में विचार नहीं किया जायेगा.

(iii) केवल रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा पत्र/आदेश सं. एफ 19(10)/2001/एस.III/पार्ट. फाइल/2278-2285 दिनांक 27/07/2007 और नं. एफ.19(01)/2012/एस.IV/1241-1258 दिनांक 28/07/2016 के तहत अधिसूचित अपिव (दिल्ली) उम्मीदवारों को अपिव श्रेणी के अधीन आरक्षण/आयु में छूट का लाभ प्रदान किया जायेगा. **अपिव (बाहरी) उम्मीदवारों को अनारक्षित उम्मीदवार माना जायेगा और उन्हें अना श्रेणी के अधीन आवेदन करना चाहिये.** अपिव उम्मीदवारों के पास अपने जाति प्रमाणपत्र के साथ-साथ गैर संपन्न वर्ग प्रमाणपत्र अवश्य होना चाहिये.

(iv) **अपिव को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिये केवल निम्नलिखित दो प्रकार के प्रमाण-पत्रों को वैध प्रमाण-पत्र के तौर पर स्वीकार किया जायेगा :-**

(A) रा.रा.क्षे. दिल्ली से व्यक्तिशः परिवार के किसी सदस्य को जारी पुराने प्रमाण-पत्र के आधार पर रा.रा.क्षे. दिल्ली के राजस्व विभाग से जारी अपिव प्रमाणपत्र (दिल्ली).

(B) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा अपिव के तौर पर विधिवत अधिसूचित किसी समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति को दिल्ली से बाहर किसी सक्षम प्राधिकारी से जारी अपिव प्रमाणपत्र. यह प्रमाणपत्र अनिवार्यतः संबंधित व्यक्ति के परिवार के सदस्य को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से जारी अपिव प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया होना चाहिये जो कि दिल्ली में 08.09.1993 से पहले निवास कर रहा था.

(v) अजा/अजजा/अपिव से संबंधित उम्मीदवार जिसे सामान्य श्रेणी उम्मीदवारों के लिये यथा लागू समान मानदंड पर चयनित कर लिया जाता है और जो सामान्य मैरिट सूची में आ जाता है उसे स्वयं की मैरिट का उम्मीदवार समझा जाता है. ऐसे उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिंदु के तहत समायोजित किया जाता है. केवल ऐसे अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों को, जिनका चयन सामान्य उम्मीदवारों के लिये लागू समान मानदंड पर हो जाता है, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के तहत समायोजित नहीं किया जायेगा. अन्य शब्दों में, जब किसी अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवार के चयन में शिथिल मानदंड अपनाया जाता है, उदाहरण के लिये आयु सीमा, अनुभव, अर्हता, लिखित परीक्षा में अनुमतेय अवसरों की संख्या, सामान्य श्रेणी उम्मीदवारों के लिये उपलब्धता अधिक विचारणीय विस्तारित जोन आदि, अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों की गणना आरक्षित रिक्तियों के तहत की जाती है, ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित रिक्तियों के तहत विचार के लिये अनुपलब्ध माना जायेगा.

6. **आयु में छूट :**

क्र. सं.	श्रेणियां	आयु में छूट की मात्रा
1.	अजा/अजजा	05 वर्ष
2.	अपिव	03 वर्ष
3.	शावि	10 वर्ष
4.	शावि + अजा/अजजा	15 वर्ष
5.	शावि + अपिव	13 वर्ष
6.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ विभागीय उम्मीदवार (ये अनुदेश रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कर्मचारियों सहित, केवल केंद्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए लागू हैं)	**समूह 'ख'** पदों के लिये 05 वर्ष तक (जो कि समान पंक्ति अथवा संबद्ध संवर्ग में हैं और जहां इस संबंध को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं.15012/2/2010-स्था.(घ) दिनांक 27 मार्च, 2012 के अनुरूप यह स्थापित किया जा सके कि पद विशेष में पहले की गई सेवा पद की ड्यूटियों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये उपयोगी होगी) **समूह 'ग'** पद के लिये (जो कि समान पंक्ति अथवा संबद्ध संवर्ग में हैं) 40 वर्ष की आयु तक (अजा/अजजा के लिये 45 वर्ष, अपिव के लिये 43 वर्ष) (जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 15012/2/2010-स्था.(घ) दिनांक 27 मार्च, 2012 के अनुरूप समान पंक्ति अथवा संबद्ध संवर्ग में हैं.)
7.	उत्कृष्ट खिलाड़ी व्यक्ति (केवल समूह 'ग'पदों के लिए)	05 वर्ष तक (अजा/अजजा के लिए 10 वर्ष और अपिव उम्मीदवारों के लिए 08 वर्ष)
8.	भूतपूर्व सैनिक समूह ख और ग (अराजपत्रित)	सैन्य सेवा की अवधि जमा 3 वर्ष
9.	निःशक्त रक्षा कार्मिक (समूह ''ग'')	45 वर्ष (अजा/अजजा के लिए 50 वर्ष, अपिव के लिए 48 वर्ष)
10.	विधवा/तलाकशुदा महिला/न्यायिक रूप से अलग हुई महिला और जिसने पुनः विवाह नहीं किया	**समूह ग पद के लिए:** 35 वर्ष की आयु तक (अजा/अजजा के लिए 40 वर्ष और अपिव के लिए 38 वर्ष तक)

(नोटः- यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप विनियमित किया जायेगा)

(i) एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार के स्वायत्त संस्थाओं के पदों के लिए भर्ती नियमों में प्रदत्त कोई विशिष्ट आयु छूट केवल उन पद विशेष के संबंध में लागू होगी.

(ii) एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार के स्वायत्त संस्थाओं के पदों के भर्ती नियमों में जहां कहीं यह उल्लेख है कि आयु में छूट भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप प्रदान की जाएगी, यहां ऊपर दी गई आयु छूट लागू होगी.

(iii) किसी भूतपूर्व सैनिक ने यदि पहले से ही केंद्रीय सरकार/दिल्ली सरकार या इसकी स्वायत्त/स्थानीय संस्थाओं के अधीन समूह ग और घ में रोज़गार प्राप्त कर लिया है, समूह ग और घ में उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में अन्य रोज़गार अर्जित करने के लिये भूतपूर्व सैनिक के लिये यथा निर्धारित आयु में छूट का लाभ लेने की अनुमति होगी. यद्यपि ऐसे उम्मीदवार आरक्षण के लाभ के लिये पात्र नहीं होंगे.

(iv) शारीरिक विकलांगों/निःशक्त व्यक्तियों के मामले में, आयु सीमा में छूट इस तथ्य के बावजूद लागू होगी कि भले ही पद आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद की निःशक्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त तौर पर पहचान की गई है.

(v) यदि निःशक्त व्यक्ति विभागीय कर्मचारी होने के नाते आयु में छूट का हकदार है, उसे दी जाने वाली रियायत या तो निःशक्त व्यक्ति के तौर पर अथवा विभागीय कर्मचारी के तौर पर, जो कि उसके लिये फायदेमंद हो, देय होगी.

7. **उम्मीदवारों के लिये सामान्य अनुदेश**

(i) विज्ञापित रिक्तियां अनंतिम हैं और इनमें परिवर्तन (बढ़ या घट) हो सकता है. यदि रिक्तियों की संख्या को किसी भी संख्या तक घटाया जाता है या यहां तक कि उपयोगकर्ता विभाग द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, बोर्ड पर आवेदक को किसी प्रकार की परिणामी हानि/नुकसान की प्रतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी नहीं होगी. इसके अलावा शावि/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के संबंध में रिक्तियां परिवर्तित (घट या बढ़) सकती है जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के प्रावधानों के विषयाधीन है.

(ii) डीएसएसएसबी के पास किसी भी चरण में विज्ञापन या इसके अंश को निरस्त या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है. रिक्तियों की संख्या अनंतिम और परिवर्तन के विषयाधीन हैं.

(iii) बोर्ड के पास परीक्षा प्रक्रिया के एक भाग या संपूर्ण प्रक्रिया को प्रशासनिक कारणों से और अनुचित तरीके, धोखेबाजी या अन्य अनियमितताएं/गलत व्यवहार बोर्ड की सूचना में आने पर रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है. बोर्ड के पास, यदि अपेक्षित हुआ, किसी परीक्षा केंद्र को रद्द करने या नया परीक्षा केंद्र स्थापित करने और उम्मीदवारों को भिन्न परीक्षा केंद्र पर भेजने का भी अधिकार सुरक्षित है.

(iv) बोर्ड के पास किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के उम्मीदवारों को किसी अन्य केंद्र पर उपस्थित होने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित है. बोर्ड के पास किसी भी केंद्र के उम्मीदवारों को किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा हेतु भेजने का भी अधिकार सुरक्षित है. किसी भी स्थिति में परीक्षा की तिथि, समय और केंद्र में परिवर्तन करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

(v) बोर्ड के पास परिशिष्ट-I में दी गई परीक्षा योजना में परीक्षा से पहले किसी भी समय, यदि अपेक्षित हुआ, परिवर्तन करने या संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है.

(vi) परीक्षा के लिये उम्मीदवार की उम्मीदवारी पूरी तरह अनंतिम और किसी भी कानूनी अदालत के निर्देश/निर्णय/आदेश/घोषणा के परिणाम के विषयाधीन है और प्रवेश-पत्र जारी करने या परीक्षा में उपस्थित होने मात्र से उसे पद के लिये कोई दावा करने का अधिकार नहीं हो जाता है.

(vii) **प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों का विवरण नीचे दिया गया है :**
ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, **अना-** अनारक्षित (सामान्य), **अजा-** अनुसूचित जाति, **अजजा-** अनुसूचित जनजाति, **अपिव-** अन्य पिछड़ा वर्ग, **शावि-** शारीरिक विकलांग, **ओएच-** अस्थि विकलांग, **वीएच-** दृष्टि विकलांग.

(viii) पद के तहत शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव और अन्य पात्रता शर्तों की गणना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुति की बंद होने की तिथि को की जायेगी.

(ix) कैलकुलेटर, लैपटॉप, पलमटोप, अन्य डिजिटल उपकरण/मोबाइल/सैल फोन, पेजर/इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों आदि की अनुमति नहीं है. यदि किसी भी उम्मीदवार के पास कोई उपकरण/वस्तु पाई जाती है/पकड़ी जाती है, उसे परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा और उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी.

(x) उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि डीएसएसएसबी परीक्षा के लिए उपस्थित होते समय निम्नलिखित ड्रैस कोड का पालन करें:

(क) हाफ स्लीव्स के साथ हल्के वस्त्र जिसमें बड़े बटन, ब्रोच/बैज, फूल आदि न हों, साथ में सलवार/ट्राउजर.

(ख) कम हील्स वाले स्पीपर्स, सैंडल्स- शूज की अनुमति नहीं होगी.

(xi) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में उपयुक्त कोई भी वस्तु लेकर न आयें. केंद्र में इन वस्तुओं की सुरक्षा या इन्हें रखने के लिये कोई व्यवस्था नहीं होगी.

(xii) विज्ञापन/सूचना के अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और पंजाबी रूपांतर में कोई त्रुटि होने पर अंग्रेजी रूपांतर को अंतिम माना जायेगा.

(xiii) यदि ओएमआर शीट भरने में कोई अशुद्धता या कोई त्रुटि है, उनकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा.

8. **कदाचार का दोषी पाये गये उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :**

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें ऐसा कोई विवरण प्रेषित नहीं करना चाहिये जो कि झूठा हो अथवा आवेदन प्रपत्र भरते समय कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं छिपानी चाहिये. उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उन्हें किसी दस्तावेज में अथवा प्रस्तुत स्वयं सत्यापित प्रमाणित प्रति में किसी भी प्रविष्टि को बदलने या अन्य प्रकार से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिये और न ही कांटछांट किया गया/बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिये.

निम्नलिखित किसी भी कृत्य में शामिल पाये जाने वाले उम्मीदवारों पर आपराधिक कार्रवाई/दि.अ.से.च.बो. की परीक्षा से प्रतिबंध, जहां कहीं आवश्यक है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भर्ती के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जायेगा :-

(i) परीक्षा केंद्रों के परिसरों के भीतर मोबाइल फोन और उपकरण तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना, भले ही उपयोग में है अथवा स्विच ऑफ मोड में तथा व्यक्तिशः अथवा अन्य प्रकार से है.

(ii) कदाचार में संलिप्तता :

(iii) परीक्षा हाल में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करना.

(iv) किसी भी तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करना.

(v) छद्मरूपण/किसी व्यक्ति से छद्मरूपण प्राप्त करना.

(vi) बनावटी दस्तावेज अथवा कांटछांट किये हुए दस्तावेज प्रस्तुत करना.

(vii) झूठी या गलत विवरण देना अथवा तथ्यात्मक सूचना छिपाना.

(viii) परीक्षा के लिये अपनी उम्मीदवारी के संबंध में कोई अनियमित या अनुचित तरीकों का सहारा लेना.

(ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, परीक्षक अथवा बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार करना.

(x) परीक्षा हॉल से अपने साथ उत्तरपर्णी ले जाना, अथवा इसे परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति को सौंपना.

(xi) परीक्षा के आयोजन के लिये बोर्ड द्वारा तैनात स्टाफ को डराना अथवा कोई शारीरिक हानि पहुंचाना.

(xii) नोटिस में वर्णित पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते हुए परीक्षा के लिये अपात्र होना.

(xiii) उम्मीदवारी किसी अन्य कारण से भी जिसे बोर्ड उम्मीदवारी के निरस्तीकरण के लिये पर्याप्त कारण मानता है, भर्ती के किसी भी चरण में निरस्त की जा सकती है.

9. यदि कोई उम्मीदवार अपमानजनक/गाली-गलौच/अभद्र भाषा/अश्लील चित्र का उपयोग करता है तो वह आईटी अधिनियम के संगत प्रावधान के अधीन आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई के लिये उत्तरदायी होगा.

परिशिष्ट-I

टियर	पद कोड	परीक्षा कोड	समय	कुल प्रश्न (एमसीक्यू)	कुल अंक (एमसीक्यू)	कुल अंक (वर्णनात्मक)	कुल जोड़	पाठ्यक्रम
एक टियर (तकनीकी)	17/21, 22/21, 23/21, 26/21, 29/21, 30/21	I-T-G	2 घण्टा	200	200	ला.न.	200	प्रत्येक एक अंक का एमसीक्यू : 1. सामान्य जागरूकता, 2. सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक योग्यता. 3. अंकगणित एवं संख्यात्मक योग्यता 4. हिंदी भाषा तथा कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा, 5. अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा : (40 अंक प्रत्येक) : 200 अंक.
एक टियर (तकनीकी)	1/21 to 13/21, 16/21, 18/21, 19/21, 20/21, 25/21 27/21, 28/21	I-T-T	2 घण्टा	200	200	ला.न.	200	**खण्ड-क :-** 1. सामान्य जागरूकता, 2. सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक योग्यता. 3. अंकगणित एवं संख्यात्मक योग्यता 4. हिंदी भाषा तथा कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा, 5. अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा : (20 अंक प्रत्येक) **खण्ड - ख :-** पद के लिए निर्धारित अर्हता के अनुरूप संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ प्रकार बहु विकल्प प्रश्न (100 अंक)
एक टियर (तकनीकी) शिक्षण पद	31/21, 32/21	I-T-T	2 घण्टा	200	200	ला.न.	200	**खण्ड-क :-** एमसीक्यू (बहु विकल्प प्रश्न) 1. सामान्य जागरूकता, 2. सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक योग्यता. 3. अंकगणित एवं संख्यात्मक योग्यता. 4. हिंदी भाषा तथा कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा, 5. अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा : (20 अंक प्रत्येक) **खण्ड - ख:-** पद के लिए निर्धारित अर्हता के अनुरूप शिक्षण पद्धति/बी.एड. पर प्रश्नों सहित संबंधित विषय से प्रत्येक एक अंक के एमसीक्यूज (बहु विकल्प प्रश्न) (100 अंक) **नोट:-** अंतिम मैरिट सूची खण्ड क और ख दोनों के कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.
दो टियर (तकनीकी)	15/21, 24/21	II-T-T-I	टियर -I 2 घण्टा	200	200	ला.न.	200	**क.** 1. सामान्य जागरूकता, 2. सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक योग्यता, 3. अंकगणित एवं संख्यात्मक योग्यता, 4. हिंदी भाषा तथा कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा, 5. अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा : (20 अंक प्रत्येक): 100 अंक **ख.** विषय/अर्हता संबंधी पेपर :100 अंक
			टियर -II 2 घण्टा (एक सत्र)	200	200	ला.न.	200	**क.** विषय/अर्हता संबंधी पेपर 150 अंक (150 प्रश्न) (75 प्रतिशत अधिमान) **ख.** अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रिहेन्शन 50 अंक (50 प्रश्न) (25 प्रतिशत अधिमान)
दो टियर (तकनीकी)	14/21	II-T-T-II	टियर -I 2 घण्टा	200	200	ला.न.	200	**क.** 1. सामान्य जागरूकता, 2. सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक योग्यता, 3. अंकगणित एवं संख्यात्मक योग्यता, 4. हिंदी भाषा तथा कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा, 5. अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा : (20 अंक प्रत्येक) : 100 अंक **ख.** विषय/अर्हता संबंधी पेपर : 100 अंक
			टियर -II (एक सत्र) 3 घण्टा	200	200	50	250	**क. भाग-I वस्तुनिष्ठ** 200 अंक विषय/अर्हता संबंधी पेपर (80 प्रतिशत अधिमान) **ख. भाग -II : (वर्णनात्मक)** (50 अंक) निबंध (अंग्रेजी में) 30 अंक पत्र लेखन / 20 अंक विचारों का विस्तार (अंग्रेजी में) (20 प्रतिशत अधिमान)
दो टियर (तकनीकी)	21/21	II-T-T	टियर -I 2 घण्टा	200	200	ला.न.	200	**क.** 1. सामान्य जागरूकता, 2. सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक योग्यता, 3. अंकगणित एवं संख्यात्मक योग्यता, 4. हिंदी भाषा तथा कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा, 5. अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रिहेन्शन की परीक्षा : (20 अंक प्रत्येक) : 100 अंक **ख.** विषय/अर्हता संबंधी पेपर : 100 अंक
			टियर -II 3 घण्टा (एक सत्र)	200	200	50	250	**भाग-I** (एमसीक्यू) विषय संबंधी पेपर/अर्हता:- 200 अंक विषय/अर्हता संबंधी पेपर (80 प्रतिशत अधिमान) **ख.** भाग-II (वर्णनात्मक) (50 अंक) निबंध (अंग्रेजी में) 30 अंक पत्र लेखन/ 20 अंक विचारों का विस्तार (अंग्रेजी में) (20 प्रतिशत अधिमान)

टिप्पणी :

(i) दो टियर परीक्षाओं में, टियर I परीक्षा केवल अल्पसूचीकरण हेतु प्रयोग में लाई जाएगी. चयन टियर-II परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा.

(ii) बोर्ड अपने विवेकानुसार टियर-I परीक्षा को समाप्त कर सकता है और सीधे टियर-II परीक्षा का आयोजन कर सकता है, यदि उन पद कोडों के लिए जिनकी परीक्षा योजनाएं दो टियर की हैं, के लिए पात्र उम्मीदवारों/आवेदकों की संख्या कम है (अर्थात् बहुत अधिक नहीं है).

(iii) नकारात्मक अंक लागू होंगे और प्रत्येक गलत एमसीक्यू उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी.

(iv) एक टियर/दो टियर लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ/वर्णनात्मक प्रकार) के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार हैं (कृपया बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस नं. (130)/पीएंडपी/13/डीएसएसएसबी/20-33 दिनांक 26/04/2013 का संदर्भ लें) :-

सामान्य	**: 40 प्रतिशत**
अपिव (दिल्ली)	**: 35 प्रतिशत**
अजा/अजजा/शावि (पीडब्ल्यूडी)	**: 30 प्रतिशत**

भूतपूर्व सैनिकों को उनकी संबंधित श्रेणियों में न्यूनतम 30 प्रतिशत के विषयाधीन 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

(v) बोर्ड के पास उम्मीदवारों की उपलब्धता के अनुरूप किसी भी पद के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है.

(vi) कौशल परीक्षा/सहनशीलता परीक्षा पद की अपेक्षा के अनुरूप ली जाएगी.

डिस्कलेमर :-रिक्ति सूचना इंडेंट भेजने वाले विभागों से प्राप्त मांग पत्र पर आधारित है. अनिवार्य अर्हताएं पदों के भर्ती नियमों में यथा निर्धारित दी गई हैं. टंकण की कोई त्रुटि होने के मामले में भर्ती पूर्णतः केवल भर्ती नियमों के अनुरूप होगी.

सभी के सहयोग से कोरोना हारेगा मध्यप्रदेश जीतेगा

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को अपने संदेश में कहा है कि एक बार कोविड-19 का संक्रमण फिर तेजी से पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। हमारे कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां संक्रमण की ये संख्या अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। घबराने की जरूरत नहीं है, इससे निपटने की हम हरसंभव व्यवस्था करेंगे। निःशुल्क टेस्टिंग, अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था, सामान्य बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, दवाइयां और इलाज की पूरी पुख्ता व्यवस्थायें की गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि संक्रमण से निपटने में आपका हर संभव सहयोग मिलेगा। कोरोना हारेगा मध्यप्रदेश जीतेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को दिक्कत न हो, इसलिये सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ हमने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले निजी अस्पतालों में भी गरीबों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। अनुबंधित निजी अस्पतालों में भी गरीबों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जायेगी, जो भाई-बहन निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, उनके लिये भी फीस की सीमाएं हमने तय की हैं। स्थानीय प्रशासन को ये निर्देश हैं कि उससे ज्यादा इलाज का शुल्क वसूला न जाए।

वैक्सीनेशन प्रभावी उपाय

उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन इस संकट से निपटने का प्रभावी उपाय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम टीकाकरण का काम भी पूरी गति से कर रहे हैं। अब तक 31 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अभी 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग भाई-बहनों को और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के ऐसे भाई-बहन जो कई बीमारियों से ग्रसित थे, उन्हें टीका लगाया जा रहा था। आगामी एक अप्रैल से 45 साल की उम्र से ज्यादा सभी भाई-बहनों, जो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, उन्हें भी टीका लगाया जा रहा है। संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिये टीका जरूर लगवायें।

तीन सावधानियां आवश्यक

श्री चौहान ने कहा कि संक्रमण को बढ़ने से अगर रोकना है तो तीन सावधानियां आवश्यक हैं। पहली मास्क लगाना, मास्क लगाने से वायरस मुंह के जरिये हमारे शरीर में नहीं जायेगा। दूसरी, सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरी, बार-बार अपने हाथ साफ करना, साबुन या सैनिटाइजर से। इससे वायरस को हम वहीं मार देंगे और संक्रमण फैल नहीं पायेगा।

दूरदर्शन और रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम एक अप्रैल से

भोपाल, स्कूल शिक्षा विभाग कक्षा पहली से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए एक अप्रैल से पूर्वानुसार ही दूरदर्शन और रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। यह शैक्षणिक गतिविधियां रेडियो पर प्रातः 10 से 11 और सायं 5 से 5:30 बजे तक एवं दूरदर्शन पर दोपहर 12 से 01:30 बजे तक संचालित की जाएंगी।

दूरदर्शन पर कक्षा छठवीं से आठवीं के लिए विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान में विषय आधारित शिक्षण कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसी प्रकार रेडियो पर कक्षा पहली से आठवीं के लिए पाठ्यपुस्तक आधारित हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों में और सांयकालीन प्रसारण में खेल, योग, कला, म्यूजिक, यातायात नियम जैसे विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। सभी जिलों के कलेक्टर्स को उक्त संबंध में शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए समुचित निर्देश जारी करने हेतु कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि DigiLEP (डिजिटल लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम) के अंतर्गत कक्षा पहली, दूसरी के पाठ्यपुस्तक आधारित वीडियो तथा कक्षा तीसरी से आठवीं के लिए दक्षता उन्नयन गतिविधि आधारित वीडियो प्रतिदिन वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों, पालकों और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षकों के द्वारा इन वीडियो पर क्विज, प्रश्न आदि से सीखे गए विषयों के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

कोविड 19 वायरस की वर्तमान परिस्थितियों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर नवीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षाओं का ऑनलाइन संचालन किया जाएगा।

सत्र 2020-21 में कोविड-19 के कारण कक्षा पहली से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं हो सका है। इस कारण संपूर्ण सत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को रेडियो स्कूल, डिजिलैप और दूरदर्शन के माध्यम से आयोजित करके शिक्षण प्रक्रिया जारी रखी गई है। संपूर्ण सत्र को 'हमारा घर-हमारा विद्यालय' की अवधारणा पर पलकों एवं शिक्षकों के सहयोग से शिक्षण प्रक्रिया सुचारु रखने के प्रयास किए गए हैं।

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जन-जागरूकता अभियान आवश्यक

सभी जिलों में कोरोना उपचार के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुये।

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा है कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सभी धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों, समुदायों, राजनीतिक दलों, जन अभियान परिषद, एनसीसी, एनएसएस आदि के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। सभी जिलों में कोरोना के उपचार के लिए बिस्तरों की संख्या यथासंभव बढ़ाई जाए तथा उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्थाएँ हों।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना रोकथाम के संबंध में पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेंगे। जिन जिलों में रविवार को लॉकडाउन किया जा रहा था, वहाँ रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का समय जिलों की परिस्थिति अनुसार शनिवार को रात्रि 9 या 10 बजे से सोमवार को प्रातः 6 बजे तक रहेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, खरगोन एवं रतलाम शहरों में 15 अप्रैल तक समस्त स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षण बंद रहेगा। महाराष्ट्र से आने वाली तथा महाराष्ट्र जाने वाली बसों का आवागमन 15 अप्रैल तक प्रतिबंधित रहेगा।

कोरोना संक्रमण में मध्यप्रदेश आठवें स्थान पर

कोरोना संक्रमण के मामले में तुलनात्मक रूप से देश में मध्यप्रदेश आठवें स्थान पर है। मध्यप्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 17 हज़ार 96 हैं और कोरोना संक्रमण की गत 7 दिनों की औसत पॉजिटिविटी रेट 8.9 प्रतिशत है।

भोपाल जिला प्रशासन की पहल

भोपाल में कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में बेड क्षमता 4 से 6 हजार है। भोपाल में अनेक धर्मगुरु सार्वजनिक तौर पर वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिली है। भोपाल में जहाँ दस हजार चालान हुए हैं, वहीं बिना मास्क के घूमने वालों की रोका-टोकी का कार्य भी हो रहा है।

महत्वपूर्ण निर्देश

- नियंत्रित संख्या में साप्ताहिक हाट बाजार लग सकेंगे।
- क्लब, पिकनिक स्पॉट आदि, जहाँ संक्रमण फैलने की आशंका रहती है, बंद रहेंगे।
- दुकानों के सामने गोले अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर दुकानें सील भी की जा सकेंगी।
- मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना होगा।
- सरकारी दफ्तरों में भी मास्क लगाकर नहीं आने पर अधिकारी/कर्मचारियों पर जुर्माना।
- महाराष्ट्र की सीमाएं सील रहेंगी तथा महाराष्ट्र के लिए बसों का संचालन बंद रहेगा।
- कहीं भी कोई मेला आयोजित नहीं होगा।

इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन पर विशेष ध्यान दिया जाये। इन स्थानों पर कुछ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर नियंत्रण करें। भोपाल में 498, इंदौर में 643, जबलपुर में 161 तथा खरगोन में कोरोना के 89 नए प्रकरण आए हैं।

रतलाम का नवाचार

रतलाम में रेलवे प्रशासन द्वारा नया प्रयोग कर यात्रियों के मोबाइल नंबर लेकर समझाईश देने का कार्य किया जा रहा है। बाहर से आए रेल यात्रियों को फोन कर, आइसोलेट रहने के लिए कहा जा रहा है। रतलाम मंडी में दस हजार मास्क बाँटे गए हैं।

जन-जागरूकता का अच्छा असर

सागर में 39 प्रकरण औसतन आ रहे हैं। जिला मुख्यालय के ही अस्सी प्रतिशत केस हैं। जन-प्रतिनिधियों का अच्छा सहयोग मिला है। उनके साथ निरंतर प्रशासन की बैठकें हो रही हैं। जिले में जन-जागरूकता अभियान का अच्छा असर दिख रहा है।

वैक्सीनेशन शिविर

रीवा जिले में पर्याप्त बेड व्यवस्था है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की मॉनीटरिंग फोन से की जा रही है। जिले में वैक्सीनेशन कार्य भी गति से हो रहा है। आगामी तीन अप्रैल को वैक्सीनेशन शिविर भी लगा रहे हैं।

जुर्माने का असर

खंडवा में 24 प्रतिशत पॉजिटिव रोगी ही अस्पताल में हैं। खंडवा में मास्क न लगाने पर अब तक 69 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।

ऐसे कोर्स शुरू करें जिससे बाहर न जायें विद्यार्थी - उच्च शिक्षा मंत्री

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की विभागीय समीक्षा करते हुये।

भोपाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में ऐसे नये पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाये जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, इंदौर और जबलपुर में एक-एक उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिए।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नये पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को प्रेरित किया जाये। कृषि उद्यानिकी एवं पशु चिकित्सा से जुड़े पाठ्यक्रमों की महाविद्यालयों में शुरुआत की जाये। महाविद्यालयों में मार्केट फ्रेंडली सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिये अनुमति शीघ्र प्रदान की जाये।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आगामी परीक्षाओं के संबंध में बैठक कर कार्य-योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को रोज़गार से जोड़ने के लिये महाविद्यालयों की प्लेसमेंट सेल के प्रभारियों की कार्यशाला का आयोजन कर लिया जाये। उन्होंने विभागीय गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिये महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के फेसबुक, ट्विटर एवं वॉट्सएप एकाउंट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण की योजनाओं का लाभ समय पर देने एवं न्यायालीन निर्णयों का पालन समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

किसान चिंतित न हों नुकसान की भरपाई सरकार करेगी

भोपाल, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि आग या प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होने पर किसान बिल्कुल भी चिंता न करें। क्षतिग्रस्त फसल के एक-एक दाने की भरपाई सरकार करेगी। प्रदेश सरकार किसानों कि हर मुसीबत में उनके साथ है। उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी करने के निर्देश प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी को दिए हैं। मंत्री श्री राजपूत रायसेन के बाड़ी-बरेली एवं जैसीनगर सागर के ग्रामों में विगत दिनों खड़ी फसलों में आग लग जाने से पीड़ित किसानों से मिले और उन्हें धीरज बँधाया।

राजस्व मंत्री ने कहा कि अनेक मामलों में शॉर्ट-सर्किट या अन्य कारणों से दुर्घटनावश फसलें आग लग जाने के कारण नष्ट हो जाती हैं। फसल कटाई के समय ऐन वक्त पर हुए नुकसान से किसानों की रात-दिन की मेहनत और भविष्य की उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं। फसलों में आगजनी की घटनाओं के बाद किसानों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था तब कहीं मुआवजे की राशि उन्हें मिल पाती थी।

उन्होंने कहा कि अब किसानों को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, ऐसी अचानक आई प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना से फसल नष्ट हो जाने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार नुकसान का आंकलन कर तुरंत भरपाई करेगी। राजस्व मंत्री के रूप में मैं यह कह सकता हूँ कि क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया को अब बहुत सरल और सहज कर दिया गया है।

श्री राजपूत ने बताया कि अब किसानों को आगजनी की घटनाओं पर भटकना नहीं पड़ेगा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके का मुआयना करके प्रकरण बनाएंगे, जिस पर तुरंत मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

जनधन का होना चाहिए सही उपयोग - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के परियोजना कार्यों की समीक्षा करते हुये।

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की सिंचाई परियोजनाएं बड़ी लागत की होती हैं, इनका उपयोग पूरा-पूरा होना चाहिए। साथ ही परियोजनाओं को स्वीकृत करने से पहले इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि उनका निर्माण समय-सीमा में हो और जनता के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी हों। योजनाएँ बनाते समय सारे तथ्यों को अच्छी तरह जाँच परख लें, जल्दबाजी न करें। परियोजनाएं परफेक्ट होनी चाहिए।

श्री चौहान ने कहा कि निर्माण के समय गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए, जनधन का सही उपयोग होना चाहिए। कार्यों में यदि कोई भी लापरवाही होती है अथवा गलत भुगतान किया जाता है तो जिम्मेदार व्यक्तियों को छोड़ा नहीं जायेगा। नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मंत्रालय में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

एनडब्ल्यूडीटी अवॉर्ड में नर्मदा जल उपयोग की समय-सीमा 2024

नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड 1979 के अनुसार मध्यप्रदेश को 18.25 एमएएफ (1 एमएएम=1233.47 एमसीएम) नर्मदा जल आवंटित किया गया है, जिसका प्रयोग वर्ष 2024 तक किया जाना है।

तीन परियोजनाओं की निविदाएं आमंत्रित

स्वीकृत तीन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना डिंडोरी लागत 1483 करोड़ रुपये प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 45 हजार 600 हेक्टेयर, चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना नरसिंहपुर लागत 5839 करोड़ रुपये प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 1 लाख 31 हजार 925 हेक्टेयर तथा सांवेर माइक्रो सिंचाई परियोजना इंदौर-खरगोन-उज्जैन लागत 3047 करोड़ रुपये प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 80 हजार हेक्टेयर के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

स्वीकृत 7 परियोजनाओं- शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा, कुक्षी माइक्रो सिंचाई परियोजना धार, दूधी परियोजना होशंगाबाद-छिंदवाड़ा, हार्डिया बराज परियोजना हरदा, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना डिंडोरी, बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना मंडला तथा होशंगाबाद बराज परियोजना के लिए निविदाएं जून माह में आमंत्रित की जाएंगी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 15 हजार 568 करोड़ रुपये है। इनसे प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 2 लाख 87 हजार 616 हेक्टेयर है।

प्रदेश में 30.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की पूर्ण एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं से प्रदेश के 30 लाख 48 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

मई माह में प्रारंभ होंगी स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं

भोपाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाएं अब मई माह में प्रारंभ होंगी। स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की भौतिक रूप से परीक्षा केंद्रों में उपस्थिति के साथ मई 2021 में आयोजित होंगी। मंत्री डॉ. यादव ने जनसम्पर्क संचालनालय के सभागार में पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह जानकारी दी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से जून 2021 में आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थी अपने निवास में ही रहकर परीक्षा देंगे तथा निकट के निर्धारित संग्रहण केंद्र में उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे।

डॉ. यादव ने कहा कि कोरोना के इस कठिन काल में मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा जिसने परीक्षाओं का यह कार्यक्रम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लगभग 18 लाख विद्यार्थी इन परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। ऑफलाइन परीक्षाएं कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सम्पन्न कराई जायेंगी।

ज्ञात रहे कि स्नातक अंतिम वर्ष के 4.30 लाख एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के 1.72 लाख परीक्षार्थी प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होंगे। स्नातक प्रथम वर्ष में 5.33 लाख एवं स्नातक द्वितीय वर्ष में 5.25 लाख, स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के 1.35 लाख परीक्षार्थी प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होंगे। वर्तमान में 8 शासकीय विश्वविद्यालयों में 665 परीक्षा केंद्र के साथ आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहपरीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिये विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है।

परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठेंगे। गृह विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करते हुए समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को यह निर्देश जारी किये गये हैं।

महाराष्ट्र के लिये बस आवागमन 15 अप्रैल तक प्रतिबंधित

भोपाल, आगामी 15 अप्रैल, 2021 तक महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश आवागमन करने वाली बसों के परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये पूर्व निर्देशों को यथावत रखते हुए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया है कि नवीन निर्देशानुसार भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, खरगौन एवं रतलाम शहरों में 15 अप्रैल, 2021 तक समस्त स्कूल-कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा।

ऑनलाइन बिजली बिलों के भुगतान की प्रक्रिया सहज - सरल बनाई जाए

जबलपुर, ऑनलाइन बिजली बिलों के भुगतान की प्रक्रिया सहज और सरल बनाई जाए, जिससे कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए। उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए मैदानी इलाके में विद्युत अभियंता लगातार प्रभावी कार्य-प्रणाली से कार्य करें। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश बिजली कंपनियों के मुख्यालय जबलपुर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एवं मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री ने जबलपुर पहुंच कर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया और वहाँ विद्युत सिस्टम की समीक्षा की।

बड़े बकायादारों को चिन्हित कर राजस्व वसूली सुनिश्चित हो

समीक्षा के दौरान श्री तोमर ने कहा कि बड़े बकायादारों को चिन्हित कर उनसे राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली बिलों की वसूली नियमित व प्रभावी रूप से की जाए एवं राजस्व वसूली की गति वर्ष भर एक सी रखी जाए। श्री तोमर ने कहा कि प्रत्येक विद्युत वितरण केंद्रों की व्यवस्थाएँ जैसे साफ-सफाई, उपभोक्ताओं की सुविधा चुस्त-दुरुस्त रखी जाए।

पुराने ट्रांसफार्मरों को नियोजित तरीके से बदलें

ऊर्जा मंत्री ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि नियोजित तरीके से सब स्टेशनों में स्थापित ट्रांसफार्मरों को परिवर्तित किया जाए। उन्होंने आगामी रबी सीजन में पूरे प्रदेश में ट्रांसमिशन सिस्टम की प्लानिंग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में वोल्टेज की समस्या न रहे। ऊर्जा मंत्री ने प्रत्येक स्टोर में रात्रिकालीन व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए।

ताप विद्युत गृहों में सतत् विद्युत उत्पादन हो

पावर जनरेटिंग कंपनी के कार्यों की समीक्षा करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ताप विद्युत गृहों में सतत् विद्युत उत्पादन के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने विद्युत गृहों में पर्यावरण मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

रिसर्च विंग कोविड संकट से निपटने के लिये विस्तृत स्टडी करे

भोपाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि कोविड के दौर में चिकित्सा महाविद्यालयों की रिसर्च विंग संकट से निपटने के लिये विस्तृत रूप से स्टडी करे और स्टडी में सामने आये पहलुओं की जानकारी शासन और प्रशासन को दे। श्री सारंग ने कोविड वार्ड में डीन, अधीक्षक, एचओडीज को अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री सारंग ने कोविड के दृष्टिगत एक अहम बैठक ली। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के डीन और संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक मौजूद थे। अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त श्री निशांत वरवड़े और संचालक डॉ. उल्का श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध हो

श्री सारंग ने निर्देश दिये कि कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करायी जाये। पॉजिटिव/निगेटिव, दोनों रिपोर्ट की मॉनीटरिंग हो। उन्होंने कहा कि सभी डीन और सीएमएचओ आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करें।

मेडिकल कॉलेजों में बेड बढ़ायें

श्री सारंग ने निःशुल्क टेस्टिंग व्यवस्था, फीवर क्लीनिक, होम आइसोलेशन, स्टाफ को ट्रेनिंग आदि विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में बेड क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का समुचित इलाज हो और शिफ्ट वाइस टेस्टिंग की जाये, जिससे रिजल्ट समय पर प्राप्त हों, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नर्सेस की भर्ती पर भी ध्यान दिया जाये। जहां भर्तियां हो चुकी हैं, वहां अभ्यर्थियों को ज्वॉइन करवाया जाये।

श्री सारंग ने कहा कि राज्य सरकार कोविड से निपटने के लिये हर तरह से तैयार है। सरकार के पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं। दवाई की उपलब्धता की प्लानिंग की आवश्यकता है। मरीज को अकेलापन न महसूस हो, इस बात का भी डॉक्टर्स को ध्यान रखना होगा। उनके प्रति आत्मीयता होना बहुत आवश्यक है।

श्री सारंग ने कहा कि डॉक्टर्स प्रो-एक्टिव होकर टीम भावना से काम करें। अपनी तरफ से भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिये परिस्थितियों का आकलन करते रहें। हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। सी.सी.टी.व्ही. कैमरे सहित अन्य सेफ्टी मेजर्स पर पूरा ध्यान दिया जाये।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलास सारंग कोरोना नियंत्रण एवं व्यवस्था के संबंध में डीन, अधीक्षक तथा चिकित्सा अधिकारियों से चर्चा करते हुये।

एक अप्रैल से ऑनलाइन प्राप्त किये जाएंगे विज्ञापन देयक

भोपाल, जनसम्पर्क संचालनालय में एक अप्रैल, 2021 से समस्त प्रकार के विज्ञापन देयकों के भुगतान की प्रणाली को ऑनलाइन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत अब विभाग द्वारा जारी विज्ञापनों के देयक सिर्फ ऑनलाइन ही लिये जायेंगे। देयकों का बिल भी ऑनलाइन सिस्टम से ही जनरेट होगा।

आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि इस व्यवस्था से जहां एक ओर पारदर्शिता आयेगी, वहीं दूसरी ओर समाचार-पत्रों एवं अन्य मीडिया संस्थानों को देयक जमा कराने में सुविधा प्राप्त होगी। वर्तमान में जिस सॉफ्टवेयर से विज्ञापन आदेश प्रदाय किये जा रहे हैं, उसी सॉफ्टवेयर से विज्ञापन देयक ऑनलाइन जमा होंगे। ऑनलाइन बिल जनरेट करने की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर में यूजर मैन्यूअल के अंदर उपलब्ध है। सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान की दृष्टि से समाचार-पत्रों को जारी किये जाने वाले शासकीय निविदा और प्रदर्शन विज्ञापन भी ऑनलाइन ही जारी किये जा रहे हैं। साथ ही शासकीय विभागों से प्राप्त होने वाली निविदा और प्रदर्शन विज्ञापन भी ऑनलाइन ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अगले चरण में विज्ञापनों के देयक भी ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे।

स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं 3 महीने के लिये अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में अधिसूचित

भोपाल, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को 3 माह के लिये अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसकी सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। डॉ. राजौरा ने बताया है कि राजपत्र में जारी अधिसूचना अनुसार मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979 की धारा-4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन, दवाइयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवाएं, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाओं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बॉयो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन को अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी उक्त कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया गया है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

दस किलोवॉट तथा उससे अधिक भार के उपभोक्ताओं को ईमेल एवं वॉट्सएप से बिजली बिल

भोपाल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने हाई वैल्यू कंज्यूमर को एक अप्रैल से एचटी उपभोक्ताओं की भांति वॉट्सएप, ई-मेल एवं एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल भेजेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने कहा कि कंपनी के 10 किलोवॉट एवं उससे अधिक भार के हाई वैल्यू कंज्यूमर कंपनी के मासिक राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

अतः विशेष सुविधा के रूप में बिजली बिल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अलावा यदि हाई वैल्यू कंज्यूमर चाहेंगे तो उन्हें बिजली बिल की हार्ड कॉपी भी भेजी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in अथवा https://bit.ly/2O6xIHl पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा अथवा उन्हें कॉल सेन्टर (1912) या वॉट्सएप चैटबोट (0755-2551222) के माध्यम से अपना नंबर दर्ज कराना होगा।

अंग-भंग से प्रभावित तीनों महिलाओं को चार-चार लाख रुपये की सहायता - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर घरेलू हिंसा पर कठोर कानून बनाने के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुये कहा है कि प्रदेश में मार्च माह में अंग-भंग के जघन्य अपराध से प्रभावित तीनों महिलाओं को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पति या परिवार के निकटतम व्यक्ति द्वारा घर की महिला पर हिंसा मूलतः विश्वास की हत्या है। जिस पर महिला की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व है, यदि वही आक्रांता और अत्याचारी हो जाएगा तो महिला का भरोसा किस पर रहेगा। प्रदेश में हुई हाथ काटने की घटनाएं घोर निंदनीय हैं। ऐसा अत्याचार करने वाले व्यक्ति समझ लें कि सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी। कठोरतम सजा के लिए कड़े प्रावधान किए जाएंगे और पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए भी हर संभव व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान घरेलू हिंसा पर कठोर कानून बनाने के संबंध में बैठक करते हुये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू हिंसा में महिला के अंग-भंग की स्थिति में अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा। राज्य शासन महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। अंग-भंग से प्रभावित महिलाओं की सहायता और क्षतिपूर्ति के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी। साथ ही घरेलू हिंसा के सामान्य प्रकरणों में त्वरित और कठोर कार्रवाई के लिए व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी।

ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के माध्यम से सशक्त बनाना शासन का उद्देश्य

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2012 से ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिये स्व-सहायता समूह बनाकर उनके संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

मिशन द्वारा प्रदेश में अब तक समस्त जिलों के लगभग 44 हजार ग्रामों में 3 लाख 22 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से लगभग 36 लाख 53 हजार महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित करके सहयोगात्मक मार्गदर्शन करना तथा समूह सदस्यों के परिवारों को रुचि अनुसार उपयोग स्व-रोज़गार एवं कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से निर्धन परिवारों की आजीविका को संवहनीय एवं स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके।

स्व-सहायता समूहों से जुड़ चुके अधिकांश परिवार आज सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर रहे हैं। उनके द्वारा न सिर्फ आर्थिक बदलाव लाया जा रहा है, बल्कि सामाजिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण भी हो रहा है।

प्रदेश में आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों से जुड़े परिवारों में से 12 लाख 60 हजार से अधिक परिवार कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़े हैं, जबकि लगभग 4 लाख 11 हजार से अधिक परिवार गैर कृषि आधारित लघु उद्यम आजीविका गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं।

समूहों को मिशन द्वारा चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि आपदा कोष तथा बैंक लिंकेज के रूप में वित्तीय सहयोग किया जा रहा है। इस राशि से उनकी छोटी-बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जिससे वह साहूकारों के कर्जजाल से बच जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिये इस वर्ष 1400 करोड़ रुपये से अधिक बैंक ऋण समूहों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इनमें से 18 मार्च 2021 तक 1325 करोड़ रुपये से अधिक समूहों को वितरित किये जा चुके हैं।

इस राशि से ग्रामीण तबके के परिवारों की आजीविका गतिविधियों को शुरू करने तथा सुदृढ़ करने के अवसर कई गुना बढ़ गये हैं। यह राशि जैसे-जैसे समूहों में पहुंचती जा रही है, निर्धन परिवारों के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति में तेजी से सुधार दिखाई दे रहा है जिससे ऋण वापसी और भी सरल हो गई है। सरकार द्वारा किये जा रहे इस सहयोग से ग्रामीण निर्धनों का कर्ज बोझ कम हुआ है, साथ ही बचत के अवसर भी बढ़े हैं। सरकार द्वारा समूहों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को अब 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकार की प्राथमिकता एवं आजीविका मिशन के प्रयासों का ही परिणाम है कि जो समूह सदस्य महिलाएं कुछ वर्षों पहले मुश्किल से तीन-चार हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित कर पाती थीं, आज ऐसी लाखों महिलाएँ जो सम्मानपूर्वक प्रतिमाह 10 हजार रुपये से अधिक आय संवहनीय रूप से अर्जित करने लगी हैं।

समूहों में जुड़कर न सिर्फ उन्होंने अपनी आय के संसाधनों में वृद्धि की है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी उनकी रुचि के अनुसार रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों के अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिये परिवार का सहारा बन रही हैं।

मध्यप्रदेश के आजीविका उत्पादों को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृहद बाजारों से जोड़ने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उचित दाम में सामान सीधा खरीदा एवं बेचा जा सके, जिसका फायदा समूह सदस्यों को अधिक से अधिक मिल सके। समूहों और ग्राहकों के बीच कोई बिचौलिया न हो, इसके लिये आजीविका गतिविधि से बनाई जा रही वस्तुओं को बेचने के लिये, बाजार उपलब्ध कराने के लिये मध्यप्रदेश आजीविका मार्ट (Madhya Pradesh Ajivika Mart) पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर समूहों के उत्पाद दर्ज किये जा रहे हैं तथा पोर्टल www.shgjivika. mp.gov.in/mpmart/index के माध्यम से ही ग्राहक सीधे संपर्क कर वस्तुएं खरीद सकेंगे।

प्रदेश में शासकीय स्कूलों के छात्रों की गणवेश सिलाई का काम समूहों को दिया गया है। पिछली बार समूह सदस्यों ने अच्छा काम किया था। इस बार फिर से समूहों को स्कूल गणवेश का काम दिया गया है। काम में पारदर्शिता बनाये रखने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये स्व-सहायता पोर्टल बनाया गया है, जिसकी सहायता से यह काम और भी आसान हो जाएगा।

मिशन द्वारा दिये जा रहे लगातार प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सहयोग एवं सहयोगात्मक मार्गदर्शन से लाखों परिवारों की निर्धनता दूर हो गई है। प्रशिक्षणों का ही परिणाम है कि समूह सदस्यों के अन्दर गरीबी से उबरने की दृढ़ इच्छाशक्ति उत्पन्न हुई। परिणामस्वरूप वह आगे बढ़कर पात्रता अनुसार अपने हक, अधिकार न केवल समझने लगे हैं, बल्कि प्राप्त करने लगे हैं। मिशन के प्रयासों से ग्रामीण निर्धन परिवारों के जीवन में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। इनमें सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण प्रमुख रूप से देखा जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों में महिलाओं की आय मूलक गतिविधियां करने के अवसर नहीं मिलते थे, उनका जीवन केवल चूल्हे-चौके व घर की चार दीवारी तक की सीमित रह जाता था। घर के संचालन, आय-व्यय, क्रय-विक्रय आदि सहित अन्य मुद्दों पर निर्णय में पुरुषों का एकाधिकार था, यहां तक कि महिलाओं के आने-जाने, उठने-बैठने, पहनने-ओढ़ने, खाने-पीने आदि जैसे व्यक्तिगत मुद्दों पर भी उनकी राय लेना मुनासिब नहीं समझा जाता था, बल्कि सब कुछ एकतरफा उन पर थोप दिया जाता था। कभी परंपरा तो कभी संस्कार मर्यादा के नाम पर महिलाओं के पास इन्हें ढोने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। उनकी अपनी कोई पहचान इच्छा-अनिच्छा, सहमति-असहमति नहीं होती थी। घर के संचालन एवं खेती बाड़ी तथा व्यवसायिक कार्यों में महिलाओं की राय लेना तो जैसे सपनों की बातें हों।

समूहों, ग्राम संगठनों, संकुल स्तरीय संघों की नियमित बैठकों में भागीदारी करने से उनकी समझ व सक्रियता बढ़ गई है। साथ ही उनकी कार्यशैली में निखार आया एवं आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी हुई है। समूहों में सिखाये गये 13 सूत्रों ने उन्हें मूल मंत्र दे दिया जिससे वे निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। समूहों की बैठक में नियमित बचत लेन-देन, ऋण वापसी तथा दस्तावेजीकरण, बैंकों में आने-जाने से उनके अंदर वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक प्रबंधन की क्षमता विकसित हो गई। इसी का परिणाम है कि घूंघट में रहने वाली शर्मीले स्वभाव की ग्रामीण महिलायें आज अपनी पिछड़ेपन की पहचान बदलकर बड़ी-बड़ी सभाओं में मंच से भीड़ के सामने निर्भीक होकर अपने विचार व्यक्त करती हैं।

समूहों को आगे बढ़ने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं का भी सरकार द्वारा एक-एक करके समाधान किया जा रहा है। कुछ 6 समस्यायें जैसे समूहों की बैठक करने के लिये स्थान का अभाव, समूहों, ग्राम संगठनों व सीएलएफ कार्यालयों के लिये भवन न होना, आजीविका उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय के लिये आउटलेट भवन नहीं थे। इसका समाधान करते हुये सरकार द्वारा समूहों की बैठकें करने के लिये विभिन्न जिलों में 6000 से अधिक शासकीय भवन आवंटित कराये गये हैं। इन भवनों में बैठकर समूह सदस्य सम्मानपूर्वक समूह की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

इसी प्रकार 4 हजार से अधिक ग्राम संगठनों को कार्यालय भवन, 416 संकुल स्तरीय संगठनों के कार्यालय भवन 131 आजीविका आउटलेट के लिये भवन आवंटित किये जा चुके हैं।

प्रदेश में 32 आजीविका रूरल मार्ट शुरू हो चुके हैं और 44 रूरल मार्ट के प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं यह भी शीघ्र शुरू हो जायेंगे। इन मार्ट में एक ही स्थान पर समस्त आजीविका उत्पादों का सुपर स्टोर की तरह सामान बेचा जा रहा है।

सरकार से मिल रहे सहयोग के कारण समूह सदस्य महिलाएं अपने आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी समूहों के माध्यम से कई सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में समूह सदस्यों द्वारा नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकना, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर विषयों पर भी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिये सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान बचाव सामग्री बनाकर आपदा को अवसर में बदलने के लिये भी समूहों ने अच्छा काम किया है। लॉकडाउन से लेकर अब-तक 1 करोड़ 28 लाख से अधिक मास्क, 1 लाख 17 हजार से अधिक पीपीई किट, 1 लाख 2 हजार 103 लीटर सेनेटाइजर, 19 हजार 376 लीटर से अधिक हैण्डवॉश एवं 2 लाख 39 हजार से अधिक साबुन निर्माण किया। इस कार्य से बीमारी की रोकथाम में सहायता मिली साथ ही समूह सदस्यों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हुई।

मध्यप्रदेश सरकार ने समूहों को आगे बढ़ाने के लिये नये-नये अवसर दिये हैं। कुछ जिलों में समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी का काम भी समूह सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। समूह सदस्यों द्वारा आजीविका एक्सप्रेस सवारी वाहनों का संचालन भी बेहतर ढंग से किया जा रहा है।

मिशन के समूहों से जुड़कर महिलाओं को जो अवसर मिला उससे उन्होंने अपनी काबिलियत को सिद्ध कर अपनी अलग पहचान बनाई। मिशन द्वारा लगभग 6700 महिलाओं को कम लागत कृषि एवं जैविक खेती पर प्रशिक्षित किया गया। इन्होंने मास्टर कृषि सी.आर.पी. के रूप में न केवल अपने घर, गांव, जिला, प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों जैसे- हरियाणा, उत्तरप्रदेश व पंजाब में भी सेवायें देकर अपनी अलग पहचान बनाई है।

प्रदेश के कई क्षेत्रों में कम लागत एवं जैविक कृषि पद्धति अपनाने के लिये समूहों के सदस्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। मिशन अंतर्गत चिन्हित जैविक क्लस्टरों में समूहों की कृषि सी.आर.पी. के द्वारा किये जा रहे प्रयासों से घरों में बनाये जाने वाले जैविक खाद, कीटनाशक एवं बीजोपचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जैविक क्लस्टरों में किसानों ने रासायनिक खाद का प्रयोग करना लगभग बंद कर दिया है। यहां जैविक खाद के साथ-साथ जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों पर होने वाला खर्चा बच गया, जिससे लागत कम हो गई तथा जैविक खाद के प्रयोग से उपज में भी वृद्धि हो रही है। कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है जिसके परिणाम धीरे-धीरे आना शुरू हो गये हैं।

सरकार द्वारा प्राथमिकता से सहयोग किये जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का नजारा अब तेजी से बदल रहा है। गैर-आय मूलक नगण्य घरेलू कामों के अलावा अब समूह सदस्य महिलायें अपने परिवार के साथ-साथ गाँव एवं सामुदायिक विकास महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय देती हैं। उनके अन्दर आई जागरूकता के कारण न केवल घर में बल्कि गांव व क्षेत्र में भी उनके सम्मान में बढ़ोत्तरी हुई है।

- महेन्द्र सिंह सिसोदिया
(लेखक, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं)

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

अमिताभ बच्चन

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवॉर्ड से सम्मानित

भारतीय फिल्मों के संरक्षण के लिये एक म्यूजियम बनाने पर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। उन्हें एक वर्चुअल सेरेमनी में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव (एफआईएएफ) का अवॉर्ड दिया गया। ये अवॉर्ड पाने वाले वे पहले भारतीय अभिनेता हैं। सेरेमनी में अमिताभ ने बताया कि जया बच्चन के कहने पर वे 2015 से ही पुरानी फिल्मों के संरक्षण में जुट गये थे।

सामिया सुलुहू

तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं

तंजानिया में 61 वर्षीय सामिया सुलुहू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं। उन्होंने देश के सबसे बड़े शहर दार-उस-सलाम में स्टेट हाउस के सरकारी कार्यालय में शपथ ग्रहण की। सामिया ने हिजाब पहन कर और अपने दाएं हाथ में कुरान पकड़े हुये पद की शपथ ली। सुलुहू हसन 2025 तक इस पद पर काबिज रहेंगी। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्वी अफ्रीकी देश के मुख्य न्यायाधीश और मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुए।

विलियम बर्न्स

सीआईए के नये निदेशक होंगे

अमेरिकी सीनेट ने विलियम बर्न्स को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) का नया निदेशक बनाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीनेट की प्रेस गैलरी ने ट्वीट कर बताया कि सीनेट ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। मैरीलेंड के विलियम जोसेफ बर्न्स को सीआईए का नया निदेशक चुना गया है।

बिल नेल्सन

नासा के अगले प्रमुख होंगे

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पूर्व अंतरिक्ष यात्री और सीनेटर बिल नेल्सन को देश की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) का अगला प्रमुख बनाने जा रहे हैं। 78 वर्षीय नेल्सन ने 1986 में अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। अमेरिकी सीनेट के सदस्य के रूप में नेल्सन 2001 से 2019 तक कांग्रेस में नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम मामलों की समिति के प्रमुख रहे। उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन के चुनाव प्रचार में भी सक्रिय योगदान दिया था।

टैटू आर्टिस्ट वेस थॉमस

लंदन में बैठकर नीदरलैंड में अभिनेत्री के हाथ पर टैटू बनाया

लंदन के टैटू आर्टिस्ट वेस थॉमस ने नीदरलैंड में बैठी अभिनेत्री स्टिजन फ्रेंसेन के हाथ पर थ्री डी टैटू बनाकर नया कारनामा कर डाला। यह दुनिया का पहला टैटू है जो 300 मील की दूरी से बनाया गया। यह कारनामा वेस ने टेक्नोलॉजिस्ट नोएलडू के साथ मिलकर पूरा किया। इसमें थ्री डी प्रिंटर का इस्तेमाल किया गया। इसके जरिये दुनिया के पहले रिमोट टैटू का भी प्रदर्शन किया गया।

इक्वाडोर

स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिन पद पर रहकर दिया इस्तीफा

इक्वाडोर के स्वास्थ्य मंत्री रोडोल्फो फारफान ने पद संभालने के महज 19 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताये। इसी के साथ रोडोल्फो इक्वाडोर प्रशासन में इस्तीफा देने वाले चौथे और कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग के तीसरे मंत्री बने जिन्होंने इस्तीफा दिया। दरअसल इक्वाडोर प्रशासन में कोरोना बीमारी और टीकाकरण में सरकार पर कई आरोप लग रहे हैं।

इंजेन्यूटी

मंगल पर भरेगा उड़ान

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि परसिवरेंस रोवर के साथ मंगल पर गया इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर अपनी पहली उड़ान भरेगा। वैज्ञानिकों ने इसकी उड़ान के लिये लाल ग्रह पर क्षेत्र निर्धारित कर लिया है, जहां पर 1.8 किलोग्राम का हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान भरेगा। नासा ने बताया कि पृथ्वी के बाहर इस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर की यह पहली उड़ान होगी।

सीजर सेनगुप्ता

गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया इस्तीफा

गूगल के वाइस प्रेसिडेंट सीजर सेनगुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गूगल पे और नेक्स्ट बिलियन यूजर्स, क्रोम ओएस के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सीजर ने ट्विटर और लिंक्डइन पर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि वे 30 अप्रैल तक पद पर रहेंगे। उन्होंने गूगल में 15 साल तक दायित्व निभाए। सीजर ने कहा कि वे अब नया वेंचर शुरू करने जा रहे हैं।

इटली

डिनर के लिये सौ फीट ऊंचे टॉवर बनाये जायेंगे

लग्जरी डिनर के शौकीनों के लिये इटली में सौ फीट ऊंचे टॉवर बनाये जायेंगे। पर्यटकों के लिये बिना ड्राइवर वाले ड्रोन सेवा देंगे और होटल से सीधे टॉवर की छत पर पहुंचाए जायेंगे। टॉवर का नाम वर्टीपोर्ट्स रखा गया है। यह प्रोजेक्ट रोम की कंपनी गियानकार्लो जेमा डिजाइन ग्रुप का है। प्रोजेक्ट के लिये एयर टैक्सी बनाने वाली चीन की कंपनी हैंग होल्डिंग के साथ करार किया गया है।

तान्नया वरेला

इक्वाडोर में पहली बार महिला पुलिस प्रमुख नियुक्त

इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेने ने इक्वाडोर के राष्ट्रीय पुलिस जनरल कमांडर के रूप में तान्नया वरेला को नियुक्त किया है। यह पहला अवसर है जब किसी महिला को इस पद पर नियुक्त किया गया है। मोरेनो ने ट्विटर पर कहा कि वरेला सेवानिवृत्त हो रहे पेट्रीसियो कैरिलो की जगह लेंगी। उन्होंने कहा कि वरेला का पुलिस प्रमुख बनना एक इतिहास है।

एन.वी. रमना

हो सकते हैं देश के नये चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एन.वी. रमना की सिफारिश सरकार को भेजी है। जस्टिस बोबडे का कार्यकाल 23 अप्रैल तक है। रमना 17 फरवरी, 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। रमना विधि-न्याय क्षेत्र में सिद्धहस्त माने जाते हैं। उनके कई फैसले देशभर में सराहे गये हैं।

चीन

तीन हजार साल पुराना मुकुट मिला

चीन के सिचुआन प्रांत में पुरातत्वविदों को करीब 3000 साल पुराने सोने के मुकुट के अवशेष मिले हैं। नेशनल कल्चर हैरिटेज एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इसका वजन 280 ग्राम (0.6 पाउंड) है और इसका 84 फीसदी हिस्सा सोने से बना हुआ है। इसके साथ ही खुदाई के दौरान अन्य पुरातत्व सामग्री भी मिली है।

तटरक्षक जहाज वज्र

औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल

भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल कर लिया गया है। छठे अपतटीय गश्ती पोत को तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिये बेड़े में शामिल किया गया है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में एक 'पट्टिका' और जहाज के नाम वाले बोर्ड 'वज्र' का औपचारिक अनावरण किया। इसे लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है।

विवेक मूर्ति

अमेरिका के सर्जन जनरल बने

भारतीय-अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति अमेरिका के सर्जन जनरल नियुक्त किये गये हैं। अमेरिकी सीनेट ने इसके पक्ष में 53-43 वोट देकर मुहर लगाई। मूल रूप से कर्नाटक से संबंध रखने वाले 43 वर्षीय मूर्ति को 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका का 19वां सर्जन जनरल नियुक्त किया था।

कंटेनर शिप

विशाल मालवाहक जहाज स्वेज नहर में फंसा

मिस्र की स्वेज नहर में पनामा का झंडा लगे हुए विशाल कंटेनर जहाज के फंसने से समुद्र में भीषण जाम लग गया है। इस जहाज को दुनिया के सबसे विशाल मालवाहक कंटेनर जहाज में से एक माना जाता है। अधिकारियों के अनुसार कोरोना के कारण पहले से प्रभावित वैश्विक नौवहन प्रणाली के लिये यह एक बड़ी समस्या हो गयी है। यह कंटेनर कार्गो माल (सामान) से लदा हुआ है।

प्रिंस हैरी

बेटरअप स्टार्टअप में करेंगे नौकरी

ब्रिटेन के शाही परिवार को छोड़कर आम जिंदगी गुजारने वाले ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी ने सैन फ्रांसिस्को में एक स्टार्टअप बेटरअप में बतौर चीफ इम्पैक्ट ऑफिसर ज्वॉइन किया है। बेटरअप नाम के स्टार्ट अप में हैरी बतौर कर्मचारी नजर आयेंगे। बेटरअप 2013 में स्थापित हेल्थ-टेक कंपनी है, जो पेशेवर और मानसिक स्वास्थ्य की कोचिंग मुहैया कराती है। हैरी कंपनी के मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी।

इरफान और तापसी को

मिला फिल्मफेयर पुरस्कार

66वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में अभिनेता इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिये मरणोपरांत बेस्ट एक्टर मेल का तापसी पन्नू को फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्टर फीमेल का अवॉर्ड दिया गया। इरफान का पिछले साल अप्रैल में कैंसर से निधन हो गया था। इरफान के बेटे बाबिल ने अभिनेता आयुष्मान खुराना के हाथों से अपने पिता को मिला अवॉर्ड स्वीकार किया।

इलेक्ट्रोड

पानी साफ करेगा और बिजली बनायेगा

रसायन युक्त और गंदगी वाला पानी आज के समय में बड़ी समस्या है। यह जलजीवों और इंसान सभी के लिये बड़ा खतरा है। अब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) के पूर्व विज्ञानी ने ऐसा इलेक्ट्रोड तैयार किया है, जिसे गंदे पानी में डालने पर पानी साफ होगा और बिजली भी बनेगी। यह इलेक्ट्रोड गंदे पानी से तब तक बिजली बनायेगा, जब तक पानी साफ नहीं हो जायेगा।

स्मृति शेष

नृत्यांगना लक्ष्मीप्रिया महापात्रा का निधन

दिग्गज शास्त्रीय नर्तक केलुचरण महापात्रा की पत्नी और प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना लक्ष्मीप्रिया महापात्रा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पुरी में 1947 में अपने नृत्य कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने उड़िया भाषा की फिल्मों में अभिनय भी किया था।

पटकथा लेखक और निर्देशक सागर सरहदी का निधन

पटकथा लेखक और निर्देशक सागर सरहदी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। पाकिस्तान के ऐबटाबाद में जन्मे सरहदी 70 के दशक में कभी-कभी, सिलसिला, 90 के दशक में दीवाना के डायलॉग और चांदनी जैसी फिल्मों के लिये पटकथा लिखकर मशहूर हुये थे।

दुबई के उप शासक शेख हमदन बिन राशिद का निधन

दुबई के उप शासक और संयुक्त अरब अमीरात के वित्त मंत्री शेख हमदन बिन राशिद अल मकतूम का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राशिद अपने भाई मोहम्मद बिन राशिद अल मकदूम के अधीन दुबई के उप शासक के तौर पर सेवायें दे रहे थे। वे पिछले कई दिनों से बीमार थे।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गुगल से साभार)

जो आत्म अनुशासन नहीं रख सकता, वह दूसरों को अनुशासन का पाठ कैसे पढ़ा सकता है – सूत्रकृतांग

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.)

Phone : 0755-2540590, 4050000-07, Fax : 0755-2541376
Email : deangmc_bpl@yahoo.co.in Website : www.gmcbhopal.net

क्रमांक 1549/स्था/5/2021 भोपाल, दिनांक 01.04.2021

स्टाफ नर्स की भर्ती सूचना

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 546/स्था/अराज/2020, दिनांक 01.06.2020 के तहत मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु मध्यप्रदेश शासन से अनुबंधित उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12.04.2021 सायं 5.00 बजे तक
(शासकीय कार्य दिवस में आमंत्रित किये जाते हैं।)

स्टाफ नर्स के कुल रिक्त पदों की संख्या :- 403

1. सीधी भर्ती हेतु महिला स्टाफ नर्स के रिक्त पद - 380

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग
1.	अनारक्षित (UR)	100	12	8	120
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	14	1	0	15
3.	अनुसूचित जाति (SC)	53	5	4	62
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	65	7	5	77
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	90	10	6	106
	योग	**322**	**35**	**23**	**380**

2. संविदा हेतु आरक्षित महिला स्टाफ नर्स के रिक्त पद - 23

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग
1.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	3	0	0	03
2.	अनुसूचित जाति (SC)	0	1	1	02
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	11	2	1	14
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0	2	2	04
	योग	**14**	**5**	**4**	**23**

3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

स्टाफ नर्स
1. अभ्यार्थी अनिवार्य रूप से भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र और जीवन विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. शासकीय बी.एससी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित।
3. मध्यप्रदेश कौंसिल में जीवित पंजीयन।

स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्तें :-

1. शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय की उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रुटनी में उपयुक्त पाये जाने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात स्टाफ नर्स की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् ही अभ्यार्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।

पद का नाम	वेतनमान
स्टाफ नर्स	शासन निर्देशानुसार वेतन देय होगा।

2. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
4. **वेतनमान एवं अन्य भत्ते :-**
महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होंगे।
5. **आरक्षण :-**
1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल और क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।
4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2020/अ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1988 के नियम-4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत **"4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध"** में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा"
5. दिव्यांगजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8-4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितम्बर 2018 अनुसार रहेगा।

अस्थि बाधित	अस्थिबाधित (45% to 50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।

6. उक्त पदों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।
7. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 9-3/2012 आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार देय रहेगा।
8. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

6. **आवेदन शुल्क :-**
अनारक्षित वर्ग हेतु 1000/- (एक हजार रुपये) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) एवं निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिए 800/- (आठ सौ रुपये) राशि का आर.टी.जी.एस.टी. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांधी मेडिकल कॉलेज शाखा भोपाल में खाता क्रमांक एवं आईएफसीको क्र. (Account No. 10625211248) (IFSC :- SBIN0010140) कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) के नाम देय से प्रस्तुत करना होगा। रसीद के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा।

7. **आयु सीमा :-**
1. अनारक्षित वर्ग हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/नियम-न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट :- आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

8. **सामान्य शर्तें :-**
1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. ऐसे अभ्यार्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।
5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वास्थता प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।
6. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में मान्य होगा।
9. ऐसे आवेदक जिनका दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
10. वैवाहिक स्थिति - एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होंगी।
12. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा। अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

9. **सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र :-**
स्टाफ नर्स को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसुली योग्य होगी।

10. **निरर्हतायें :-**
निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा :-
1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
3. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
4. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-

अ. महिला उम्मीदवार जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे प्रकरणों में शासन ही अन्तिम निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन इस बात से सहमत हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।
स. महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध नहीं पाए गए।
द. जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

महत्वपूर्ण टीप :-
यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) की वेबसाइट **www.gmcbhopal.net** का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) की काई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है जो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल

आवेदन का प्रारूप

नोट :- सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन शुल्क (अनारक्षित - 1000 रु. एवं अजा, अजजा, अपिव., ई.डब्ल्यू.एस., निःशक्तजन - 800 रु.)
आर.टी.जी.एस.टी. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांधी मेडिकल कॉलेज शाखा भोपाल (IFSC :- SBIN0010140) (Account No. 10625211248) (Gandhi Medical College, Bhopal) के नाम से कर, रसीद संलग्न करें।

1. पद का नाम.....
2. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....
3. आवेदक का पूरा नाम (उपनाम सहित).....
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
5. जन्मतिथि.....
6. आयु दिनांक 01.01.2021 के अनुसार वर्ष.....माह.....दिन.....
(सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
7. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
8. स्थाई निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
9. मोबाइल नंबर.....ई-मेल आई.डी. .....
10. वर्ग : अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक.....
(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें)
11. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि .....
12. **शैक्षणिक योग्यताएं :-** (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित संलग्न करें)

स.क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विवि का नाम	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड-सिवनी (म.प्र.)

विज्ञापन पत्र क्रमांक/1180/व.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड/2021 सिवनी, दिनांक : 22.03.2021

निविदा आमंत्रण सूचना (संक्षिप्त)

निम्नलिखित कार्य की निविदा प्रक्रिया ई-प्रोक्यूरमेंट ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

निविदा सूचना क्र./दिनांक	ई-टेण्डरिंग पद्धति क्रमांक	कार्य का नाम	कुल अनुमानित लागत (रु. लाख में)	कुल अमानती राशि (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	समय अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
54/नि.प्र./ 2020-21 दिनांक 18.03.2021	2021_PHED_ 135785_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड सिवनी के विभिन्न ग्रामों में स्थित स्कूल और आंगनवाड़ी पूर्व से विद्यमान नलकूप में सबमर्सिवल पंप की स्थापना, रेडीमेड पंप हाउस की स्थापना, नीले एमडीपीई पाइप उपलब्ध कराना, बिछाने, जोड़ने एवं परीक्षण, पॉलीइथाइलीन पानी की टंकी की स्थापना, सेंसर लगाना, वाश बेसिन, नल कनेक्शन हेतु ब्रिक मसोनरी प्लेटफॉर्म निर्माण, सामग्री और मजदूरों की लागत सहित पेयजल व्यवस्था का कार्य। समूह क्रमांक 01	468.63	4,68,630/-	15,000/-	07.04.2021	07.04.2021	180 दिवस (वर्षाकाल सहित), 90 दिवस ट्रायल रन	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केंद्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केंद्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
54/नि.प्र./ 2020-21 दिनांक 18.03.2021	2021_PHED_ 135786_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड कुरई के विभिन्न ग्रामों में स्थित स्कूल और आंगनवाड़ी पूर्व से विद्यमान नलकूप में सबमर्सिवल पंप की स्थापना, रेडीमेड पंप हाउस की स्थापना, नीले एमडीपीई पाइप उपलब्ध कराना, बिछाने, जोड़ने एवं परीक्षण, पॉलीइथाइलीन पानी की टंकी की स्थापना, सेंसर लगाना, वाश बेसिन, नल कनेक्शन हेतु ब्रिक मसोनरी प्लेटफॉर्म निर्माण, सामग्री और मजदूरों की लागत सहित पेयजल व्यवस्था का कार्य। समूह क्रमांक 02	201.65	2,01,650/-	15,000/-	07.04.2021	07.04.2021	180 दिवस (वर्षाकाल सहित), 90 दिवस ट्रायल रन	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केंद्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केंद्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
54/नि.प्र./ 2020-21 दिनांक 18.03.2021	2021_PHED_ 135787_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड केवलारी एवं बारघाट के विभिन्न ग्रामों में स्थित स्कूल और आंगनवाड़ी पूर्व से विद्यमान नलकूप में सबमर्सिवल पंप की स्थापना, रेडीमेड पंप हाउस की स्थापना, नीले एमडीपीई पाइप उपलब्ध कराना, बिछाने, जोड़ने एवं परीक्षण, पॉलीइथाइलीन पानी की टंकी की स्थापना, सेंसर लगाना, वाश बेसिन, नल कनेक्शन हेतु ब्रिक मसोनरी प्लेटफॉर्म निर्माण, सामग्री और मजदूरों की लागत सहित पेयजल व्यवस्था का कार्य। समूह क्रमांक 03	498.14	4,98,140/-	15,000/-	07.04.2021	07.04.2021	180 दिवस (वर्षाकाल सहित), 90 दिवस ट्रायल रन	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केंद्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केंद्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
54/नि.प्र./ 2020-21 दिनांक 18.03.2021	2021_PHED_ 135788_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड लखनादौन के विभिन्न ग्रामों में स्थित स्कूल और आंगनवाड़ी पूर्व से विद्यमान नलकूप में सबमर्सिवल पंप की स्थापना, रेडीमेड पंप हाउस की स्थापना, नीले एमडीपीई पाइप उपलब्ध कराना, बिछाने, जोड़ने एवं परीक्षण, पॉलीइथाइलीन पानी की टंकी की स्थापना, सेंसर लगाना, वाश बेसिन, नल कनेक्शन हेतु ब्रिक मसोनरी प्लेटफॉर्म निर्माण, सामग्री और मजदूरों की लागत सहित पेयजल व्यवस्था का कार्य। समूह क्रमांक 04	302.23	3,02,230/-	15,000/-	07.04.2021	07.04.2021	180 दिवस (वर्षाकाल सहित), 90 दिवस ट्रायल रन	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केंद्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केंद्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
54/नि.प्र./ 2020-21 दिनांक 18.03.2021	2021_PHED_ 135789_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड लखनादौन के विभिन्न ग्रामों में स्थित स्कूल और आंगनवाड़ी पूर्व से विद्यमान नलकूप में सबमर्सिवल पंप की स्थापना, रेडीमेड पंप हाउस की स्थापना, नीले एमडीपीई पाइप उपलब्ध कराना, बिछाने, जोड़ने एवं परीक्षण, पॉलीइथाइलीन पानी की टंकी की स्थापना, सेंसर लगाना, वाश बेसिन, नल कनेक्शन हेतु ब्रिक मसोनरी प्लेटफॉर्म निर्माण, सामग्री और मजदूरों की लागत सहित पेयजल व्यवस्था का कार्य। समूह क्रमांक 05	302.23	3,02,230/-	15,000/-	07.04.2021	07.04.2021	180 दिवस (वर्षाकाल सहित), 90 दिवस ट्रायल रन	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केंद्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केंद्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
54/नि.प्र./ 2020-21 दिनांक 18.03.2021	2021_PHED_ 135790_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड घंसौर के विभिन्न ग्रामों में स्थित स्कूल और आंगनवाड़ी पूर्व से विद्यमान नलकूप में सबमर्सिवल पंप की स्थापना, रेडीमेड पंप हाउस की स्थापना, नीले एमडीपीई पाइप उपलब्ध कराना, बिछाने, जोड़ने एवं परीक्षण, पॉलीइथाइलीन पानी की टंकी की स्थापना, सेंसर लगाना, वाश बेसिन, नल कनेक्शन हेतु ब्रिक मसोनरी प्लेटफॉर्म निर्माण, सामग्री और मजदूरों की लागत सहित पेयजल व्यवस्था का कार्य। समूह क्रमांक 06	406.24	4,06,240/-	15,000/-	07.04.2021	07.04.2021	180 दिवस (वर्षाकाल सहित), 90 दिवस ट्रायल रन	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केंद्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केंद्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
54/नि.प्र./ 2020-21 दिनांक 18.03.2021	2021_PHED_ 135791_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड घंसौर के विभिन्न ग्रामों में स्थित स्कूल और आंगनवाड़ी पूर्व से विद्यमान नलकूप में सबमर्सिवल पंप की स्थापना, रेडीमेड पंप हाउस की स्थापना, नीले एमडीपीई पाइप उपलब्ध कराना, बिछाने, जोड़ने एवं परीक्षण, पॉलीइथाइलीन पानी की टंकी की स्थापना, सेंसर लगाना, वाश बेसिन, नल कनेक्शन हेतु ब्रिक मसोनरी प्लेटफॉर्म निर्माण, सामग्री और मजदूरों की लागत सहित पेयजल व्यवस्था का कार्य। समूह क्रमांक 07	404.24	4,04,120/-	15,000/-	07.04.2021	07.04.2021	180 दिवस (वर्षाकाल सहित), 90 दिवस ट्रायल रन	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केंद्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केंद्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार

जी-21936/45420/2021 **कार्यपालन यंत्री**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

जीवित बच्चों का विवरण :-

स.क्र.	नाम	लिंग	जन्मतिथि (सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
1.			
2.			
3.			
4.			

14. अन्य विशेष योग्यता :-
15. सेवारत होने की स्थिति में नियोक्ता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
16. निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26.01.2001 के पश्चात तीसरी संतान न होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करें।
17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची।

स्थान.....

दिनांक..... **आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर**

घोषणा-पत्र

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मुझे नैतिक पतन के किसी भी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

नोट :- दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित सूची निम्नानुसार क्रम में होना अनिवार्य है :-

1. आवेदन फार्म।
2. अनुबंध पत्रक।
3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल का जीवित पंजीयन।
4. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण अंक सूची।
5. अंक सूची (बी.एससी. नर्सिंग/जी.एन.एम.)।
6. जाति प्रमाण पत्र, डिजिटल।
7. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
8. आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण-पत्र।
9. आय प्रमाण-पत्र।
10. अनुभव प्रमाण पत्र, जिला एवं राज्यस्तरीय सक्षम अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरित।
11. विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिला एवं राज्य स्तरीय सक्षम अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरित।
12. जन्म प्रमाण पत्र के समर्थन में हाईस्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्म प्रमाण-पत्र।
13. पहचान पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस। एवं आवेदन में संलग्न समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति।

जी-11031/आर-45431/2021

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय रीवा, खंड रीवा (म.प्र.)

निविदा सूचना क्र. 45/20-21/ब.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.यां./21 रीवा, दिनांक : 19.03.2021

ई-टेण्डरिंग निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

(1) निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदायें एपेन्डिक्स 2.10 में प्रतिशत दर पर प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल की नलकूपों के खनन एवं अन्य कार्य से संबंधित दिनांक 03.07.2018 से प्रभावशील एकीकृत दर सूची एवं निविदा सूचना जारी होने के दिनांक तक किए गए समस्त संशोधनों के आधार पर केन्द्रीयकृत नवीन पंजीयन के तहत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा ऑनलाइन टेण्डर प्रक्रिया के तहत आमंत्रित की जाती हैं।

ऑनलाइन निविदा पब्लिशिंग का दिनांक 22.03.2021 डाक्यूमेंट डाउनलोड/टेण्डर फार्म क्रय प्रारम्भ तिथि 22.03.2021 टेण्डर फार्म क्रय की **अंतिम तिथि 05.04.2021, बिड सबमिशन प्रारम्भ का दिनांक 22.03.2021 एवं बिड सबमिशन का अंतिम तिथि 05.04.2021 को सायं 5.30 बजे तक** निर्धारित है। **Manadatory 'A' Financial bid Open** का दिनांक 07.04.2021 को अपरान्ह 3.30 बजे निर्धारित है।

(2) उक्त निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट **(http://www.mptenders.gov.in)** पर प्रदर्शित है।

(3) **निविदाएं निर्धारित तिथि दिनांक 07.04.2021 को खोली जावेंगी।**

(4) कार्य का विवरण :-

रीवा जिले के विकासखण्ड सिरमौर अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ट्यूबवेल पर आधारित रेट्रोफिटेड पाइप जलापूर्ति का निर्माण, निष्पादन, सबमर्सिबल मोटर पंप की स्थापना, 90 दिवस के ट्रायल रन एवं कमिशनिंग आदि समस्त कार्य सामग्री एवं लेबर सहित।

ई-टेण्डर नं.	योजना का नाम	विकासखण्ड	कार्य की अनु. लागत (रु. लाख में)	प्रतिभूति राशि रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2020_PHED_135853_1	हरदुआ, रंगोली, बघरा खड्डा, डेल्ही	सिरमौर	465.71	465710/-	15000/-	6 माह (वर्षाऋतु सहित)

निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (Online System) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाइट पर देखें।

कार्यपालन यंत्री
जी-21883/45416/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर

शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर (म.प्र.) - 470001
Website : bmcsagar.edu.in, E-mail : deansmc08@yahoo.co.in
फोन नं. : 07582-236270, फैक्स नं. : 07582-236457

क्रमांक 1613/क्रय/21 सागर दिनांक : 23.03.2021

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में बायोकेमिस्ट्री विभाग में CARELYTE 503 मशीन में लगने वाले रीएजेंट्स प्रदाय हेतु खुली निविदा आमंत्रण सूचना।

निविदा का नाम	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में बायोकेमिस्ट्री विभाग में CARELYTE 503 मशीन में लगने वाले रीएजेंट्स प्रदाय हेतु निविदा	**19.04.2021 शाम 5.30 तक**	19.04.2021 शाम 5.30 तक	20.04.2021 दोपहर 12 बजे

इच्छुक फर्म/संस्था/व्यक्ति ऑनलाइन वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** से एवं हमारी वेबसाइट **www.bmcsagar.edu.in** से भी निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निविदा में किये गये कोई भी संशोधन की जानकारी केवल महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जावेगी।

अधिष्ठाता
जी-21915/45417/2021 बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

कार्यालय अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सागर मण्डल सागर (म.प्र.)

दूरभाष नं. (कार्यालय) : 07582-228042, ई-मेल : seressagar@mp.gov.in
क्रमांक/416/निविदा/ग्रा.यां.से./2021 सागर, दिनांक : 23.03.2021

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 13/2020-21

म.प्र. के राज्यपाल की ओर से Covers 3 (तीन लिफाफा पद्धति) के आधार पर ऑनलाइन प्रतिशत दर निविदा प्रपत्र एपेंडिक्स 2.10 अनुसार निविदायें लोक निर्माण विभाग की केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. पुलिया निर्माण कार्य जनपद पंचायत रहली (28) पैकेज क्र.- 3

ग्रायांसे संभाग	टेण्डर आई.डी. नंबर	निविदा लागत (पी.ए.सी.) (रु. लाख में)	निविदा आमंत्रण का क्रम	Covers
सागर क्र. 02	2021_RES_136407_1	297.91	प्रथम	तीन लिफाफा पद्धति
2. पुलिया निर्माण कार्य जनपद पंचायत रहली (20) पैकेज क्र.- 2				
सागर क्र. 02	2021_RES_136415_1	191.92	प्रथम	तीन लिफाफा पद्धति
3. पुलिया निर्माण कार्य जनपद पंचायत रहली (09) पैकेज क्र.- 1				
सागर क्र. 02	2021_RES_136416_1	177.97	प्रथम	तीन लिफाफा पद्धति
	योग	**667.80**		

कुल योग राशि रु. 667.80 लाख (रु. छः करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार मात्र)।

उपरोक्त निविदाओं के निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर ऑनलाइन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। अमानत राशि ऑनलाइन **(As per Tender Website link Bank/Online)** जमा ही मान्य की जावेगी। अमानत राशि ऑफलाइन मान्य नहीं की जावेगी।

निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की **दिनांक 25.03.2021 से प्रारंभ होकर दिनांक 09.04.2021 समय 5.30 बजे तक** निर्धारित है। निविदा कवर 'अ' (Cover-1) निविदा कवर 'ब' (Cover-2) एवं कवर 'स' (Cover-3) ऑनलाइन ही जमा/अपलोड (Submit) करने होंगे। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। संशोधन की सूचना अलग से प्रकाशित नहीं की जावेगी। संशोधन संबंधी सूचनाएं केवल वेबसाइट पर ही अपलोड की जावेंगी। समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें। शीघ्रातिशीघ्र बिड जमा करें। वेबसाइट में किसी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

अधीक्षण यंत्री
जी-21955/45419/2021 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सागर मण्डल, सागर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड सागर (म.प्र.)

दूरभाष : 07582-224269, E-mail-eephe_sagar@yahoo.co.in
क्र. 1186/निविदा प्रकोष्ठ/का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड सागर, दिनांक : 25.03.2021

संक्षिप्त निविदा सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से अध्यक्ष जिला जल एवं स्व. मिशन सागर से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर ई-टेंडरिंग लिफाफा पद्धति से सागर जिले के विकासखण्ड बण्डा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग नल-जल योजना हेतु ऑनलाइन निविदा **http://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है। ये मात्र संक्षिप्त सूचना है निविदाकार को सलाह दी जाती है कि निविदा में भाग लेने के पूर्व विस्तृत निविदा सूचना का अवलोकन भी कर लें :-

सं. क्र.	निविदा क्रमांक एवं दिनांक	ई-टेण्डर क्रमांक	ग्राम	कार्य की अनु. लागत रुपये (रु. लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य प्रति समूह	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि
1.	क्र. 58/ 23.03.2021	2021_PHED_136661_1	बहरोल	71.95	71950/-	10000/-	**06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक**
2.	क्र. 59/ 23.03.2021	2021_PHED_136662_1	कंदवा	148.51	148910/-	12500/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
3.	क्र. 60/ 23.03.2021	2021_PHED_136663_1	खाहरमउ	78.87	78870/-	10000/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
4.	क्र. 61/ 23.03.2021	2021_PHED_136664_1	नथनधरा	97.28	97280/-	10000/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
5.	क्र. 62/ 23.03.2021	2021_PHED_136665_1	पिडरुआ	134.82	134820/-	12500/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
6.	क्र. 54/ 23.03.2021	2021_PHED_136657_1	साजी व बम्होरी जगदीश	159.52	159520/-	12500/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
7.	क्र. 55/ 23.03.2021	2021_PHED_136658_1	पड़वार व निमोन	169.62	169620/-	12500/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
8.	क्र. 56/ 23.03.2021	2021_PHED_136659_1	कुल व पिपरिया इल्लई	156.60	156600/-	12500/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
9.	क्र. 57/ 23.03.2021	2021_PHED_136660_1	धूसा कमलपुर व सेमरादन्त	157.98	157980/-	12500/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
10.	क्र. 49/ 23.03.2021	2021_PHED_135711_1	उल्लांद व बेसली	159.67	159670/-	12500/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
11.	क्र. 50/ 23.03.2021	2021_PHED_135712_1	मगधरा व कुवारी	158.56	158560/-	12500/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
12.	क्र. 51/ 23.03.2021	2021_PHED_135713_1	खोजमपुर व पिथोली	111.40	111400/-	12500/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
13.	क्र. 52/ 23.03.2021	2021_PHED_135714_1	घोधर व चैक निवारी	125.84	125840/-	12500/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक
14.	क्र. 53/ 23.03.2021	2021_PHED_135715_1	मोकलमउ व चारोधा	138.52	138520/-	12500/-	06.04.2021 सायं 5.30 बजे तक

समस्त विवरण **http://www.mptenders.gov.in** वेबसाइट पर/अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन ही क्रय व प्रस्तुत करनी होंगी। समस्त प्रक्रिया 'की-डेट्स' अनुसार होगी। भविष्य में यदि कोई निविदा आमंत्रण में सूचना में संशोधन होता है तो वह ऑनलाइन वेबसाइट पर ही प्रदर्शित होंगे अर्थात् समाचार-पत्रों में पृथक से प्रकाशित नहीं होंगे।

सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्व. मिशन
जी-22015/45427/2021 एवं कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.यां. खंड, सागर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड, विदिशा (म.प्र.)

E-mail : eephvid@mp.nic.in, Fax No. : 07592-250663, Telephone No. : 07592-250663
विदिशा- 464001 (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 37/नि.प्र./खण्ड विदिशा/लोस्वायांवि/2020-21 विदिशा, दि. : 24.03.2021

निविदा आमंत्रण सूचना

जल जीवन मिशन के अंतर्गत विदिशा जिले के विभिन्न विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों/बसाहटों की शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यों का क्रियान्वयन समस्त सामग्री एवं मजदूरी सहित 30 दिवस के सफल टाईलरन सहित के कार्य हेतु निविदाएं ऑनलाइन वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रपत्र **दिनांक 08.04.2021 को 15.00 बजे तक** क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	विकास-खण्ड	शालाओं/ आंगन-वाड़ियों की संख्या	अनु. लागत (PAC) (रु. में)	धरोहर राशि (EMD) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	निविदा का आमंत्रण	ठेकेदार की श्रेणी
1.	2021_PHED_136766_1	बासौदा	225	19565628/-	195656/-	12500/-	02 माह वर्षाऋतु सहित	द्वितीय	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदार
12.	2021_PHED_136767_1	नटेरन	75	6521876/-	65219/-	10000/-	02 माह वर्षाऋतु सहित	द्वितीय	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदार

सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन एवं कार्यपालन यंत्री
जी-22028/45425/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड विदिशा (म.प्र.)

कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, भोपाल
निर्माण भवन, प्लॉट नं. : 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं.-35/2020/निविदा आमंत्रण/सा/एपीडी/ **भोपाल, दिनांक : 25.03.2021**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. सोयतकला जिला आगर-मालवा में 50 सीटर डिग्री (आर्ट्स + कॉमर्स) कॉलेज का निर्माण कार्य।

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2021_PWPIU_136895_1	आगर-मालवा	520.83	520830/-	20000/-	15 माह वर्षाकाल सहित
2. बड़ौद जिला आगर-मालवा में 50 सीटर डिग्री (आर्ट्स + कॉमर्स) कॉलेज का निर्माण कार्य।					
2021_PWPIU_136920_1	आगर-मालवा	365.85	365850/-	15000/-	14 माह वर्षाकाल सहित
3. आईटीआई कैम्पस जिला देवास में नवीन शौचालय का निर्माण तथा साइकिल स्टैण्ड का निर्माण/शौचालय की मरम्मत का कार्य।					
2021_PWPIU_136881_1	देवास	27.65	50000/-	5000/-	03 माह वर्षाकाल सहित
4. मुख्यालय सीहोर में कन्या शिक्षा परिसर के शेष निर्माण कार्य।					
2021_PWPIU_136970_1	सीहोर	210.79	210790/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
5. मुख्यालय सीहोर में उत्कृष्ट विद्यालय हेतु 100 सीटर बालक एवं 100 सीटर बालिका छात्रावास भवन का शेष निर्माण कार्य।					
2021_PWPIU_136971_1	सीहोर	492.13	492130/-	15000/-	18 माह वर्षाकाल सहित
6. शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य छापीहेडा जिला राजगढ़।					
2021_PWPIU_136884_1	राजगढ़	378.07	378070/-	15000/-	14 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा से संबंधित विड डॉक्यूमेंट वेवसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल **ऑनलाइन दिनांक 25.03.2021 समय 10.30 से दिनांक 09.04.2021 समय 17.30 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेवसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेवसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

अतिरिक्त परियोजना संचालक (मुख्य अभियंता)
जी-22027/45426/2021 **लो.नि.वि., पी.आई.यू., भोपाल**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच (म.प्र.)
E-mail : eepwdneemuch@mp.nic.in, Phone (07423) 223061
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 11/2020-21/ **नीमच, दिनांक : 24.03.2021**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेवसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम : 1. वी.टी. रिन्यूअल वर्क ऑन भादवा माता पिपलिया रावजी मार्ग इन कि.मी. 1 से 5/8 कि.मी. एवं वी.टी. रिन्यूअल वर्क ऑनमनासा अरनियामाली बोरदियाकलां रोड इन कि.मी. 1, 2, 3, 5/10,6/2 लंबाई 3.40 एवं वी.टी. रिन्यूअल वर्क ऑन अल्हेड मनासा रोड इन कि.मी. 1 से 3/4 लंबाई 2.30 कि.मी. कुल रिन्यूअल लंबाई 9.30 कि.मी.।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	ईएमडी की राशि	समय
2021_PWDRB_136671_1	नीमच	वी.टी. कार्य	तृतीय	69.49	69490/-	06 माह वर्षाकाल सहित
2. वी.टी. रिन्यूअल वर्क ऑन मोरवन-जावद रोड कि.मी. 1/2-4, 3/8-10, 4/8-10, 5, 6, 7/2-4-6-8, 12(500), 13/6-8-10, 14, 15 (500), 16/2-4-6 कि.मी. और अठाना से कनेरा मार्ग इन कि.मी. 1, 2, 3/2-4 रिन्यूअल लंबाई 2.40 कि.मी. एवं दामोदरपुरा से आटा रोड इन कि.मी. 6, 7, 8 लंबाई 3.00 कि.मी.।						
2021_PWDRB_136687_1	नीमच	वी.टी. कार्य	तृतीय	96.78	96780/-	06 माह वर्षाकाल सहित
3. भादवा माता मंदिर परिसर में स्नानागार के राइट साइड में टीन शेड का निर्माण कार्य।						
2021_PWDRB_136688_1	नीमच	भवन कार्य	प्रथम	3.98	8000/-	02 माह वर्षाकाल सहित
4. भादवा माता मंदिर परिसर में स्नानागार (बाथरूम) का मरम्मत कार्य।						
2021_PWDRB_136689_1	नीमच	भवन कार्य	प्रथम	7.315	14700/-	03 माह वर्षाकाल सहित
5. भादवा माता मंदिर परिसर में महिला एवं पुरुष हेतु टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण कार्य।						
2021_PWDRB_136690_1	नीमच	भवन कार्य	प्रथम	11.26	22520/-	03 माह वर्षाकाल सहित
		Total		**188.83**		

उपरोक्त वेवसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेवसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 19.04.2021 सायं 17.30 बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेवसाइट पर किया जावेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। भौतिक रूप से एनक्लप एवं अन्य दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगे।

कार्यपालन यंत्री
जी-22037/45424/2021 **लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्रमांक-1, रीवा
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 23/2020-21 **रीवा, दिनांक : 24.03.2021**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्न कार्यों हेतु ऑनलाइन (ड्रव्यदड्ड) निविदा समस्त संशोधन सहित के आधार पर प्रपत्र-अ में निविदाकारों, जो केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली के तहत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत हों, से आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. एवं कार्य का नाम : 1. विशेष मरम्मत के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर कर्चुलियान के आंगन परिसर का मरम्मत कार्य।

टेण्डर क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	1. अमानत राशि 2. निविदा प्रपत्र का मूल्य	1. निविदा आमंत्रण क्र. 2. कार्यावधि सहित/छोड़कर
PWDRB 136318	4.46	1. 8920/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. दो माह
2. विशेष मरम्मत के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर कर्चुलियान में टायलेट, बाथरूम एवं लेबर रूम का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136319	3.61	1. 7220/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. दो माह
3. रामपुर पहडिया तिराहा से श्री शैलेन्द्र शुक्ला के घर तक बी.टी. नवीनीकरण का कार्य।			
PWDRB 136320	9.82	1. 19640/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. दो माह
4. उपसंभाग मनगवां के अंतर्गत उपखण्ड लालगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत/नगर पंचायत चुनाव के व्यवस्था कार्य।			
PWDRB 136321	8.93	1. 17860/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. दो माह
5. उपसंभाग मऊगंज के अंतर्गत उपखण्ड शाहपुर एवं मऊगंज - 2 में गैर आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136322	16.72	1. 33440/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. तीन माह
6. उपसंभाग मऊगंज के अंतर्गत उपखण्ड शाहपुर एवं मऊगंज - 2 में आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136324	14.37	1. 28740/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. तीन माह
7. उपसंभाग क्र. 3 के अंतर्गत उपखण्ड मेडिकल कॉलेज में आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136325	8.00	1. 16000/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. तीन माह
8. उपसंभाग क्र. 3 के अंतर्गत उपखण्ड घोघर में गैर आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136326	6.00	1. 12000/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. तीन माह
9. उपसंभाग क्र. 3 के अंतर्गत उपखण्ड सेमरिया में गैर आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136327	10.00	1. 20000/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. तीन माह
10. उपसंभाग क्र. 3 के अंतर्गत उपखण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में गैर आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136328	10.00	1. 20000/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. तीन माह
11. उपसंभाग क्र. 3 के अंतर्गत उपखण्ड जी.एम.एच. में गैर आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136329	6.00	1. 12000/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. तीन माह
12. उपसंभाग क्र. 3 के अंतर्गत उपखण्ड एस.जी.एम.एच. में गैर आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136330	8.00	1. 16000/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. तीन माह
13. उपसंभाग क्र. 3 के अंतर्गत उपखण्ड सिरमौर में गैर आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136332	8.00	1. 16000/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. तीन माह
14. उपसंभाग क्र. 1 के अंतर्गत उपखण्ड सिविल लाईन में सर्किट हाउस के कमरा नं. 5 का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136333	4.46	1. 8920/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. दो माह
15. उपसंभाग क्र. 1 के अंतर्गत उपखण्ड सिविल लाइन में सर्किट हाउस के कमरा नं. 6 का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136334	4.46	1. 8920/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. दो माह
16. उपसंभाग क्र. 1 के अंतर्गत उपखण्ड सिविल लाइन में सर्किट हाउस के कमरा नं. 9 का मरम्मत कार्य।			
PWDRB 136335	4.46	1. 8920/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. दो माह
17. उपसंभाग त्यौंथर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों के संधारण हेतु गिट्टी व मुरुम सप्लाई का कार्य।			
PWDRB 136336	10.00	1. 20000/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. दो माह
18. उपसंभाग त्यौंथर के उपखण्ड जवा, अंतरैला एवं डभौरा के आवासीय भवनों का कार्य।			
PWDRB 136337	17.80	1. 35600/- 2. 2000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. दो माह
19. उपसंभाग त्यौंथर में विटनरी हॉस्पिटल का कार्य (परफॉरमेंस गारंटी)।			
PWDRB 136339	0.82	1. 1640/- 2. 1000/-	1. प्रथम आमंत्रण 2. दो माह
कुल योग	**155.91**		

उपरोक्त वेवसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम दिनांक 08.04.2021 सायं 17.30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेवसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेवसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-22040/45423/2021 **लो.नि.वि., संभाग क्र. 1, रीवा**

कार्यालय मुख्य अभियंता
रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, बरगी हिल्स, जबलपुर (म.प्र.)

ई-मेल - cerablsp@yahoo.com, फोन नं. - 0761-2672230, फैक्स नं. - 0761-2672210

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्र. 22/सा-2/मु.अ./2020-2021 **दिनांक 19.03.2021**

निम्न कार्यों की ऑनलाइन निविदा ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम पोर्टल से वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर जारी की गई है। निविदा की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है।

कार्य का विवरण	-	अपर नर्मदा परियोजना का निर्माण टर्न की आधार पर जिसमें नर्मदा नदी पर बांध निर्माण एवं माइक्रो सिंचाई पद्धति द्वारा 0.35 लीटर/सेकेंड/हैक्टेयर की दर से डिंडौरी एवं अनूपपुर जिले के 45600 हैक्टेयर सी सी ए में 2.5 हैक्टेयर चक तक स्काडा (SCADA) के कार्य सहित विस्तृत स्कोप के अनुसार भूमिगत पाइप लाइनों से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना।
निविदा की अनु. राशि (रुपये करोड़ में)	-	रु. 983.80 करोड़
धरोहर राशि (रु. लाख में)	-	रु. 50.00 लाख
निविदा प्रपत्र का मूल्य	-	रु. 50000/- (वापसी योग्य नहीं)
ऑनलाइन निविदा क्रय करने का दिनांक	-	19.03.2021, 17.30 से 19.04.2021, 17.30 तक
ऑनलाइन निविदा जमा करने का दिनांक	-	19.03.2021, 17.35 से 20.04.2021, 17.30 तक
धरोहर राशि एवं अर्हता प्रपत्र खोलने का दिनांक	-	**22.04.2021, 10.30 से**

निविदा प्रपत्र उपरोक्त वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड या इन्टरनेट बैंकिंग खाते से भुगतान करने के उपरांत केवल ऑनलाइन कर किया जा सकता है। निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें।

मुख्य अभियंता

जी-21880/45418/2021 **रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, बरगी हिल्स, जबलपुर (म.प्र.)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक 1442/तक/का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड/मुरैना/2021 **दिनांक : 26.03.2021**

संशोधन

विषय :- ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की तिथि बढ़ाने बाबत।

अपरिहार्य कारणों से निम्नलिखित निविदाओं के ऑनलाइन निविदा फॉर्म क्रय करने की तिथियों में संशोधन किया जाता है।

निविदा सिस्टम क्रमांक - 2021_PHED_133100, 2021_PHED_133111, 2021_PHED_133124, 2021_PHED_133819, 2021_PHED_133824, 2021_PHED_133831, 2021_PHED_133841

Key Dates

S. No.	Works Department Stage	Bidder's Stage	Date	Time	Envelopes
1.		Purchase of Tender Online	20.04.2021	17.30	
2.		Bid Submission-Online	20.04.2021	17.30	
3.		Submission of (Physical) Online and Date	20.04.2021	17.30	ONLINE
4.	Pre Bid Meeting				
5.	Opening of Mandatory Envelope - A		22.04.2021	11.00	Envelope - A
6.	Opening of Technical Proposal Envelope - B				Envelope - B
7.	Opening of Financial Bid Envelope - C		22.04.2021	11.00	Envelope - C

Original term deposit receipt of earnest money deposit, demand draft for the cost of bid document and affidavit shall be submitted by the bidder so as to reach the office as prescribed in Bid Data Sheet, at least one calendar day before specified start time and date in key dates for opening of technical proposal as per Key dates in Bid Data Sheet.

निविदा प्रकाशन क्रमांक - G-21161/20 date 15.03.2021 NEW PAPER SATTA SUDHAR

कार्यपालन यंत्री

जी-22144/45429/2021 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड मुरैना**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
नर्मदा प्रोजेक्ट कॉलोनी, मुसाखेड़ी, इंदौर

ई-मेल : eephedind@nic.in

क्रमांक 1661/निविदा/लो.स्वा.यां.खंड/2021 **इंदौर, दिनांक : 22.03.2021**

निविदा सूचना क्र. 73/2020-21

इंदौर जिले के विभिन्न विकासखण्डों के ग्रामों में जल जीवन मिशन अंतर्गत 200 एम.एम. एवं 200/150 एम.एम. व्यास के साधारण/टेलीस्कोपिक नलकूपों का खनन कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका टेण्डर क्रमांक - **2021_PHED_136075_1, 136076_1, 136077_1, 136078_1, 136079_1, 136080_1, 136081_1, 136082_1, 136083_1, 136084_1, 136085_1,** एवं **136086_1** है। कार्य की अनुमानित लागत, धरोहर राशि एवं अन्य विवरण की विस्तृत जानकारी **(http://www.mptenders.gov.in)** पर देखी जा सकती है। ऑनलाइन निविदा दर डालने की **अंतिम तिथि 05.04.2021 दोपहर 03:00 बजे तक** निर्धारित है।

कार्यपालन यंत्री एवं सदस्य सचिव

जी-21879/45421/2021 **जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, इंदौर**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच

E-mail : eepwdneemuch@gmail.com, Phone : 07423-223061

नीलामी सूचना क्रमांक 01/2020-21/एस.ए.सी./877 **नीमच, दिनांक : 30.03.2021**

संशोधन क्र.- 01, नीलामी विज्ञप्ति

इस कार्यालय के पत्र क्र. 851-52 दिनांक 24.03.2021 के द्वारा नीलामी विज्ञप्ति क्र. 01/2020-21 आमंत्रित की गई थी जिसका प्रकाशन जी नम्बर G-21987/20 से हुआ है। जिसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

1. सरल क्र. 21 के आइटम में **राशि 3200 के स्थान पर 32000** पढ़ा जावे।
2. नीलामी विज्ञप्ति की शर्त क्र. 6 में अनुपयोगी सामग्री जो **"जहां जैसी स्थिति में है"** जैसे (लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह परिसर, नीमच, जावद, रतनगढ़, सिंगोली एवं मनासा) से लेना होगा, पढ़ा जावे।

कार्यपालन यंत्री

जी-22200/45430/2021 **लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच**

कार्यालय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, इन्दौर संभाग, इन्दौर
29/3 ओल्ड पलासिया इन्दौर (मध्यप्रदेश)

क्रमांक/742/मबावि/आईसीडीएस/2021 **इंदौर, दिनांक : 27.03.2021**

विज्ञप्ति
मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

इन्दौर संभाग के जिलों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति पूर्णतः अस्थाई (मानसेवी) एवं मानदेय आधारित पदों पर शासन निर्देशानुसार पात्र महिलाओं से किये जाने हेतु जिलेवार रिक्त पदों एवं आगामी 6 माह में रिक्त होने वाले पदों के लिये निम्नानुसार आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

स.क्र.	जिला	रिक्त पदों की स्थिति			जिला कार्यालय का सम्पर्क नम्बर
		आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पद	सहायिकाओं के रिक्त पद	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पद	
1.	इन्दौर	27	57	0	0731-2366058
2.	धार	21	30	04	07292-235066
3.	झाबुआ	32	65	05	07392-244397
4.	अलीराजपुर	16	21	09	07394-233131
5.	खरगोन	40	61	02	07282-232596
6.	खण्डवा	31	55	0	0733-2223794
7.	बड़वानी	54	68	01	07290-224445
8.	बुरहानपुर	10	18	0	07325-241495
	योग :	**231**	**375**	**21**	

1. महिला आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम, शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है।
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिये जिस कलेण्डर वर्ष में चयन किया जाना है उस केलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं/11वीं बोर्ड एवं आदिवासी क्षेत्रों में 10वीं/12वीं योग्यता होना आवश्यक है। शेष शासन निर्देशानुसार योग्यता रहेगी।
4. आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शेष शासन निर्देशानुसार योग्यता रहेगी।
5. संबंधित महिला आवेदक अपने पूर्णतः भरे आवेदन पत्र मय आवश्यक सहपत्रों (जैसेः- मार्कशीट, जाति, मूल-निवासी, विधवा/परित्यक्ता, आदि) सहित जिले की संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में **दिनांक 16.04.2021** तक कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप में जमा कर प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।
6. जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक नियम/निर्देश आदि की जानकारी विभागीय वेबसाइट/ऑनलाइन पोर्टल, जिला कार्यालय एवं संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में उपलब्ध है।
7. आंगनवाड़ी केन्द्रबार, ग्राम/वार्ड में वास्तविक रिक्त पद की जानकारी एवं नियम निर्देश, शर्तें आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
8. रिक्त पदों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय के दूरभाष नम्बर (जो विज्ञप्ति में प्रकाशित है) पर सम्पर्क किया जा सकता है।
9. जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि होना संभव है। परियोजना अंतर्गत अंतिम रूप से वास्तविक रिक्त पदों की संख्या एवं स्थान की जानकारी संबंधित परियोजना कार्यालय द्वारा ही सुचित की जायेगी।

संयुक्त संचालक

जी-22010/45428/2021 **महिला एवं बाल विकास, इंदौर संभाग, इंदौर**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड आगर-मालवा
छावनी नाका सुसनेर रोड

फोन नंबर - 07362-259980, ई-मेल - eepheagar@yahoo.com

क्रमांक 473/लेखा/कार्य./लोस्वायां/2020-21 **आगर-मालवा, दिनांक 26.03.2021**

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://mptenders.gov.in/nicgep/app** पर आगर जिले के विकासखण्ड आगर, बड़ौद, सुसनेर एवं नलखेड़ा के ग्रामों में स्थापित नलजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग कार्य हेतु निविदाएं निम्नानुसार (प्रथम आमंत्रण) आमंत्रित हैं।

निविदा क्रमांक/ दिनांक	सिस्टम क्रमांक	विकास-खण्ड	निविदा की कुल लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
39/2020-21/ 15.03.21 (प्रथम आमंत्रण)	134488	आगर	232.32	232319/-	15000/-	06 माह	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
40/2020-21/ 15.03.21 (प्रथम आमंत्रण)	134490	आगर/ बड़ौद	214.15	214147/-	15000/-	06 माह	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
41/2020-21/ 15.03.21 (प्रथम आमंत्रण)	134491	सुसनेर	294.05	294046/-	15000/-	06 माह	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
42/2020-21/ 15.03.21 (प्रथम आमंत्रण)	134492	सुसनेर	330.89	330887/-	15000/-	06 माह	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
43/2020-21/ 15.03.21 (प्रथम आमंत्रण)	134493	सुसनेर	278.70	278704/-	15000/-	06 माह	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
44/2020-21/ 15.03.21 (प्रथम आमंत्रण)	134494	नलखेड़ा	278.86	278864/-	15000/-	06 माह	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
45/2020-21/ 15.03.21 (प्रथम आमंत्रण)	134495	नलखेड़ा	149.18	149181/-	12500/-	06 माह	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली

ऑनलाइन निविदा फॉर्म क्रय करने की **अंतिम तिथि : 12.04.2021, 17.30 बजे।**
ऑनलाइन निविदा दर डालने की **अंतिम तिथि : 12.04.2021, 17.30 बजे।**
ऑनलाइन निविदा दर खोलने की तिथि : 15.04.2021, 11.00 बजे

निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान कर (टेण्डर डाक्यूमेंट) क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं विस्तृत विवरण निविदा सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। यदि निविदा में आगे कोई संशोधन किया जाता है तो वह विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-22073/45422/2021 **लो.स्वा.यां. खण्ड आगर-मालवा**

SICA COLLEGE

AEGIS : SICA EDUCATIONAL TRUST

(Affiliated to DAVV, Indore & Recognized by DHE, Bhopal, Govt. of M.P)

REQUIREMENTS

(Under College Code 28)

INVITES APPLICATION FOR

Assistant Professors (As per UGC norms)
in English Literature, Hindi, Political Science, History, Computer Application, Journalism & Mass Communication.
Required for courses **+ BA - Bachelor of Arts** (Plain)
+ BA - Journalism & Mass Communication

Apply at Email : **adm.sica@gmail.com** within 10 days along with application, CV and self-attested photocopies of all testimonials.

CAMPUS : Near ISKCON Vihar Colony, Nipania Main Road, INDORE Phone : 0731-2974255

- Principal

VIGILANCE

R-45445/21

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
ईमेल : eervskvv@gmail.com, फोन: 0751-2467680

क्र./जनसं/का.यं./2021/2926 दिनांक : 27-03-2021

//प्रेस विज्ञप्ति//

निविदा सूचना क्रमांक/2926/27.03.2021 रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अंतर्गत भवन निर्माण/अन्य कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा **2021_RVSKV_137539_1** एवं **2021_RVSKV_137540_1** आमंत्रित की गई है। निविदा की ऑनलाइन क्रय की अंतिम तिथि **22.04.2021** तक है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण पोर्टल **https:www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

ATUL

R-45441/21

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
ईमेल : eervskvv@gmail.com, फोन: 0751-2467680

क्र./जनसं/का.यं./2021/2895 दिनांक : 26-03-2021

//प्रेस विज्ञप्ति//

निविदा सूचना क्रमांक/**2895/26.03.2021** रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अंतर्गत विद्युत कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा **2021_RVSKV_137207, 2021_RVSKV_137208, 2021_RVSKV_137209, 2021_RVSKV_137211, 2021_RVSKV_137213** एवं **2021_RVSKV_137278** आमंत्रित की गई है। निविदा की ऑनलाइन क्रय की अंतिम तिथि **17.04.2021** तक है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण पोर्टल **https:www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

ATUL

R-45442/21

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
ईमेल : eervskvv@gmail.com, फोन: 0751-2467680

क्र./जनसं/का.यं./2021/2893 दिनांक : 26-03-2021

//प्रेस विज्ञप्ति//

निविदा सूचना क्रमांक/**2893/26.03.2021** रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अंतर्गत भवन निर्माण/अन्य कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा **2021_RVSKV_137383_1, 2021_RVSKV_137384_1, 2021_RVSKV_137385_1, 2021_RVSKV_137386_1, 2021_RVSKV_137387_1, 2021_RVSKV_137388_1, 2021_RVSKV_137389_1, 2021_RVSKV_137390_1, 2021_RVSKV_137391_1, 2021_RVSKV_137406_1** एवं **2021_RVSKV_137407_1** आमंत्रित की गई है। निविदा की ऑनलाइन क्रय की अंतिम तिथि **20.04.2021** तक है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण पोर्टल **https:www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

ATUL

R-45439/21

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
ईमेल : eervskvv@gmail.com, फोन: 0751-2467680

क्र./जनसं/का.यं./2021/2922 दिनांक : 27-03-2021

//प्रेस विज्ञप्ति//

निविदा सूचना क्रमांक/2922/27.03.2021 रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अंतर्गत भवन निर्माण/अन्य कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा **2021_RVSKV_137655_1** एवं **2021_RVSKV_137541_1** आमंत्रित की गई है। निविदा की ऑनलाइन क्रय की अंतिम तिथि **22.04.2021** तक है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण पोर्टल **https:www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

ATUL

R-45440/21

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
कार्यालय परियोजना यंत्री, सागर, भदभदा रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/418/मप्रपुहाका/पय/सागर/20 दिनांक : 31.03.2021

प्रेस विज्ञप्ति

निविदा सूचना क्रमांक 20/2020-21

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, सागर संभाग के अंतर्गत निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, पन्ना एवं भोपाल जिलों में भवन निर्माण/अन्य कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय की **अंतिम तिथि 08.04.2021** तक है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/100487/2021 **परियोजना यंत्री**

R-45436/21

MADHYA PRADESH RURAL ROADS DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department)
5th Floor, Block-II, Paryawas Bhavan, Bhopal (M.P.) – 462011
Ph. : 0755–2551751, Email : mp-sqc@nic.in

PRESS NOTICE FOR REQUEST FOR PROPOSAL FOR CONSULTANCY SERVICES OF STATE QUALITY MONITORING UNDER PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

No. 5471/SQM/outsource/1/2021 **Date : 30.03.2021**

1. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), a fully funded programme of Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India aims at providing all weather road connectivity to eligible unconnected habitation. The Programme is being implemented by the State Government of Madhya Pradesh with Madhya Pradesh Rural Roads Development Authority (MPRRDA) as the implementing Agency (here in after referred to as the Agency).
2. The Consultancy services are required for independent quality monitoring under second tier at State level as provided in PMGSY Programme Guide lines issued by Government of India.
3. The Agency invites Technical and Financial proposals on approved TOR from consulting engineering firms or bodies (hereinafter referred as the Consultant) corporate to undertake and perform the duties and functions of State Quality Monitors. The Technical Proposal will be evaluated as per the criteria subject to fulfillment of technical qualifications. The financial offers of only those consultants would be opened whose Technical Proposal is found responsive. The award of services would be made to lowest evaluated Financial Proposal.
4. This Invitation for Proposals is open to all Consultants meeting the eligibility criteria. The applicant should be a private or government-owned legal entity provided they are financially autonomous and operate under commercial law.
5. RFP Document consisting of qualification information and eligibility criterion of bidders and the set of terms & condition of contract to be complied with by the consultants can be seen and downloaded online on the website **http://www.mptenders.gov.in**. RFP document may be purchased online from **http://www.mptenders.gov.in** as per time schedule mentioned in critical dates after making online payment of cost of tender documents Rs. 11200/- (including GST). Last date for online submission of proposal is : **upto 17.30 hrs. on 27.04.2021.**

M.P. Madhyam/100471/2021

R-45433/21

PARIJAT COLLEGE, INDORE

Affiliated to D.A.V.V. & MP BOARD Bhopa (M.P.)
Recognised By NCTE (NEW Delhi) & Higher Education (Bhopal)

Requires for D.El.Ed. & B.Ed.

PRINCIPAL, HOD, PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR & ASSISTANT PROFESSOR

Eligibility: B.Ed., M.Ed.,PG with 55% Marks & Ph.D/NET.
Salary: As per Govt. Norms.

Interested candidates may apply within 7 days between 10 AM - 5 PM

City Office:- 309, Solanki Nagar Ring Road, Opp. Velocity, behind India Gate Indore(M.P.)
Campus:- Village & Post Ambamoliya, Teh. Indore, Dist. Indore (M.P.)

Ph.: 0731-3554002, 9329768606,8103513922
Email:- parijatcollege@yahoo.com

Principal

R-45444/21

DALY COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT

Affiliated to DAVV Indore & Approved by Higher Education Department Government of MP, Bhopal.

REQUIRES

under college code 28

ASSOCIATE PROFESSOR/ ASSISTANT PROFESSOR/LIBRARIAN

Qualification, Experience, Eligibility & Salary as per UGC/AICTE Norms.

Interested candidates should mail their resume to **admin@dcbm.edu.in** within seven days from this advertisement.
(Tel.: 0731-2710131)

R-45443/21

मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्रमांक-03, गोरखपुर थाने के पीछे 1558 ऋषि कॉटेज, रतन कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.) पिन - 482003
फोन : 0761-4927003, ई-मेल : mpphcjabalpur3@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.- 03 के अंतर्गत थाना मोतीनाला जिला - मण्डला के अंतर्गत नक्सल बेस केम्प में स्टोर रूम, अधिकारी कक्ष एवं टॉयलेट का निर्माण कार्य हेतु, जिला - मण्डला के अंतर्गत थाना भवन बिछिया में स्टोर रूम, अधिकारी कक्ष का निर्माण कार्य हेतु, जिला - मण्डला स्थित पुलिस चौकी टाटरी में स्टोर रूम, अधिकारी कक्ष एवं टॉयलेट का निर्माण कार्य हेतु एवं थाना मोतीनाला जिला - मण्डला के अंतर्गत नक्सल बेस केम्प में बाँचटावर के निर्माण कार्य हेतु, निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक- **16/2020-21** (ऑनलाइन निविदा क्र. **2021_MPPHC_137393 से 137401**) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 15.04.2021 समय सायं 17.00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं सबमिट (प्रस्तुत) किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/100479/2021 **परियोजना यंत्री**

R-45434/21

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, खरगोन
जिला-खरगोन (म.प्र.)

क्र./मंडी/नि./2020-21/1892 खरगोन, दिनांक : 30.03.2021

निविदा आमंत्रण सूचना

प्रमुख अभियंता म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एकीकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारों से प्रतिशत दर आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2021_MPSAM_137455, निविदा सिस्टम क्रमांक 2021_MPSAM_137456 एवं निविदा सिस्टम क्रमांक 2021_MPSAM_137457 के अंतर्गत ऑनलाइन निविदाएं दिनांक 23.04.2021 को शाम 5.30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/100480/2021 **सचिव**

R-45435/21

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्रमांक - 03, गोरखपुर थाने के पीछे 1558 ऋषि कॉटेज, रतन कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.)
पिनकोड-482003, Ph. : 0761-4927003
Email : mpphcjabalpur3@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.- 03 के अंतर्गत जिला-सिवनी में अर्द्धशहरी थाना भवन, डूण्डा, सिवनी के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-15/2020-21 (ऑनलाइन निविदा क्र. 2021_MPPHC_137392) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 15.04.2021 समय सायं 17.00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं सबमिट (प्रस्तुत) किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किए जावेंगे। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/100470/2021 **परियोजना यंत्री**

R-45432/21

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P. – 462011

NOTICE INVITING TENDER No. 937-PMGSY-III-Brg.(B.W.)

No. 5716/22/D-12/MPRRDA/2021 Bhopal, Dated : 31.03.2021

Online Tenders for Construction of Bridges with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below.

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Panna	1	11913000.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from **01.04.2021 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

Chief General Manager (T & e-G)

M.P. Madhyam/100489/45437/2021

म.प्र. पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

कार्यालय परियोजना यंत्री, डी-5/2, एम.आय.जी., महाश्वेता नगर इस्कॉन मंदिर के सामने, उज्जैन (म.प्र.), फोन : 0734-2527715
ई-मेल : mpphcl_ujjain@yahoo.in, मोबा. 9406808103

क्र. 428/पय/मप्रपुहाइडेकालि/21/उज्जैन दिनांक : 03.04.2021

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 23/2020-21

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, संभाग उज्जैन के अंतर्गत निविदा **क्रमांक 23/2020-21 दिनांक 03.04.2021** के अंतर्गत गरोठ, जिला मंदसौर में स्टेडियम/स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण कार्य कीऑनलाइन निविदा**आईडी क्र.** 2021_MPPHC_138166 आमंत्रित की गई है।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 03.04.2021 17.00 बजे से क्रय किये जा सकते हैं एवं **दिनांक 19.04.2021 18.00 बजे तक** प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal: https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/100502/45450/2021 **परियोजना यंत्री**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P. - 11

NOTICE INVITING OFFERS FOR BANK INTEREST CHECKING

No. 5602/22/D-12/CGM (F)/MPRRDA/2021 Bhopal, Dated : 31.03.2021

Offers are invited from the eligible consultants fulfilling the required qualification criteria for Checking of Interest paid by the Bank from time to time on the amount kept in Bank Savings account/FDR/MOD by the M.P. Rural Roads Development Authority.

RFP Document is available on our website **www.mprrda.com/default.html** which may be downloaded free of cost and offers submitted with required EMD latest by **3.00 P.M. on 23.04.2021** by post/courier or by hand to CGM (F) M.P. Rural Road Development Authority Bhopal the address given above.

M.P. Madhyam/100495/45438/2021 **CHIEF GENERAL MANAGER (Fin.)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग, नीमच

E-mail : eepwdneemuch@gmail.com, Phone : 07423-223061

नीलामी सूचना क्रमांक 01/2020-21/851/एम.ए.सी./ **नीमच, दिनांक : 24.03.2021**

नीलामी विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जिला नीमच अंतर्गत अनुपयोगी निम्नलिखित सामग्री को नीलाम किया जाना है।

जिस हेतु सामग्री की नीलामी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में **दिनांक 08.04.2021 को दोपहर 12 बजे** की जावेगी।

क्र.	सामग्री का विवरण	शा. बोली की राशि	सामग्री की संख्या	कुल राशि	रिमार्क
1.	Weight 20 k.g., 10 k.g. 5 k.g., 2 k.g., 1 k.g., 500 gram, 200 gram, 100 gram (38.80 kg x 15.00 = 582)	15	8	582	
2.	Kanta 100 k.g., 5 k.g., 2 k.g. (Total Weight 7 kg x 15 = 105)	15	3	105	
3.	Measuring Set 20 ML to 2 Lit. Old (each set Rs. 10x7 = 70)	10	7	70	
4.	Hand Tar Boiler Drum Rollar Total (Weight 50 kg x 15 = 750)	15	1	750	
5.	Tar Boiler Vertical (Weight 15 kg x 15 = 225)	15	1	225	
6.	Tee Squire (Total Weight 20 kg x 15 = 300)	15	2	300	
7.	Soil Maching Beral (Total Weight 7 kg x 15 = 105)	15	1	105	
8.	Nav Tal Lock 85mm Old With out Keys (Total Weight 1 kg x 15 = 15)	15	1	15	
9.	Iron remmers (Total Weight 70 kg x 15 = 1050)	15	18	1050	
10.	Asphalt Hand Boiler (Total Weight 45 kg x 15 = 675)	15	1	675	
11.	Camber Plat (Total Weight 45 kg x 15 = 675)	15	3	675	
12.	Metal Screen (Total Weight 570 kg x 15 = 8550)	15	19	8550	
13.	Contract Pump (Total Weight 10 kg x 15 = 150)	15	2	150	
14.	Trusses Old (Total Weight 480 kg x 15 = 7200)	15	12	7200	
15.	Hammers 1/2 k.g. (Total Weight 10 kg x 15 = 150)	15	20	150	
16.	Sladge Plate form 8'x3' (Total Weight 30 kg x 15 = 450)	15	1	450	
17.	Buring Heater (Total Weight 90 kg x 15 = 900)	15	2	900	
18.	Ater Proofing Tarpolin 10 x 12 mtr, 120 mtr (each Rs. 100 x 1 = 100)	100	1	100	
19.	Steel Bags Fram for Keeping Cement Bags (Total Weight 14 kg x 15 = 210)	15	14	210	
20.	Empty Asphalt Drum (Total Weight 1036 kg x 15 = 15540)	15	1036	15540	
21.	Empty Synthetic emulssion drum (Each Rs. 52.63 x 608 = 32000)	52.63	608	3200	
22.	Empty drum 20 Ltr Capacity (each Rs. 2 x 228 = 456)	2	228	456	
	Total			**70258/-**	

शर्तें :-

1. बोली बोलने वाले इच्छुक व्यक्ति को अमानत राशि रु. 2000/- की एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत/अनुमोदित बैंक से जारी जो **"कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग नीमच"** के पक्ष में देय हो, तथा उसमें बोलीदाता का नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित हो, नीलामी की तिथि के दिन **दिनांक 08.04.2021 दोपहर 12 बजे तक** जमा करना होगा।
2. निर्धारित शा. बोली से कम बोली मान्य नहीं होगी।
3. बोलीदाता को आवेदन के साथ परिचय पत्र (आइडेन्टी प्रुफ) पेन नम्बर, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., ड्रायविंग लायसेंस आदि भी प्रस्तुत करना होगा।
4. जिस बोलीदाता की नीलामी बोली उच्चतम होगी, उसे बोली की संपूर्ण राशि बोली स्वीकृति सूचना दिनांक से 3 दिवस के अंदर जमा करना होगी, अन्यथा बोली निरस्त मानी जावेगी एवं जमा अमानत राशि शासन पक्ष में राजसात कर ली जावेगी तथा बोली पत्रक के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
5. अमानत राशि सम्पूर्ण सामग्री हटाने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग नीमच से प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर वापस की जावेगी।
6. अनुपयोगी सामग्री जो **जहां जैसी स्थिति में है** जैसे (नीमच विश्राम गृह, जावद विश्रम गृह, रतनगढ़ विश्राम गृह एवं सिंगोली विश्राम गृह) से लेना होगा।
7. नीलामी बोली की तिथि को अवकाश होने की स्थिति में नीलामी कार्यवाही अगले कार्य दिवस में की जावेगी। शेष शर्तें एवं जानकारी कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं।

कार्यपालन यंत्री
जी-21987/45448/2021 **लोक निर्माण विभाग, संभाग, नीमच**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (वि/यां.) संभाग क्र. 1
शेड नं. 11-ए बारह दफ्तर जवाहर चौक भोपाल, पिन-कोड : 462003

Website : www.mppwd.gov.in, E-mail : eepwdelecbpl@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 179 एवं 180/2020-21 **भोपाल, दिनांक : 24.03.2021**

निम्नलिखित कार्यों के लिये ई-टेण्डरिंग द्वारा ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विवरण **http://www.mptenders.gov.in** पर भी देखी जा सकती है।

क्र.	पोर्टल टेण्डर नं.	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)
1.	2021_PWDRB_136615	भोपाल	डिपोजिट कार्य	महालक्ष्मी आवसिया परिसर परियोजना स्मार्ट सिटी भोपाल में बिजली के पंखे और फिक्स्चर की स्थापना का कार्य।	प्रथम	121.018
2.	2021_PWDRB_136635	भोपाल	वार्षिक परम्मत विद्युत कार्य	वर्ष 2020-21 एवं 2021-2022 भोपाल में होने वाले नगर निगम एवं पंचायत चुनाव और अन्य वी.आई.पी. कार्यक्रम तथा लाल परेड ग्राउंड, स्ट्रांग रूम पुरानी जेल और अलग-अलग पोलिंग बूथों पर समुचित कार्य के लिए अस्थायी प्रकाश व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाइट का कार्य।	प्रथम	41.676

उपरोक्त वेबसाइट से ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 07.04.2021 सायं 5:30 बजे तक प्राप्त हो सकेगा। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जोवगा। यह संशोधन केवल विभागीय वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर ही प्रकाशित किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-21997/45449/2021 **लो.नि.वि. (वि/यां.) संभाग क्र. 1, भोपाल**

पथ-विक्रेताओं के जीवन को आसान बनाना मेरी प्राथमिकता - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पथ-विक्रेताओं के जीवन को आसान बनाना मेरी प्राथमिकता में है। छोटा-मोटा व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की खुशहाली और उनके जीवन के आधार को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना का जिस गति से मध्यप्रदेश ने क्रियान्वयन सुनिश्चित किया, उससे मध्यप्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के पथ-व्यवसायियों के जीवन को आसान बनाने के लिये मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना प्रारंभ की गई, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे-छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को भी 10-10 हजार रुपये का ब्याज रहित ऋण उनके कार्य के उन्नयन के लिए दिलवाया गया है। क्रेडिट गारंटी राज्य शासन ने दी है। साथ ही ऋण प्रक्रिया को स्टाम्प ड्यूटी से भी मुक्त रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के करीब साढ़े पाँच लाख शहरी एवं ग्रामीण पथ विक्रेताओं को प्रति हितग्राही 10 हजार रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई गई है।

कठिन परिस्थितियों में मिला सहारा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 माह इस योजना को प्राथमिकता में लेते हुए गति दी गई। वर्ष 2020 में जहां कोरोना संकट के कारण पूरी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल के दिन थे। ये छोटे व्यवसायियों की आर्थिक कठिनाइयों का दौर भी था। ऐसी परिस्थितियों में कार्यशील पूंजी मिल जाने से जरूरतमंद पथ-विक्रेताओं को महत्वपूर्ण सहारा मिला। तब मध्यप्रदेश में करीब पांच लाख पहचान-पत्र तैयार किए गए। ये काफी महत्वपूर्ण कार्य था। प्रदेश में अभियान संचालित कर छोटे कारोबारियों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर्स को अपने जिले में पथ-विक्रेताओं को पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड करने के लिए कहा गया है। छूटे पथ-विक्रेताओं का मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल पर पंजीयन करवाकर उनके ऋण बैंकों को प्रेषित करने के निर्देश हैं। साथ ही बैंकों से समन्वय कर प्रकरणों की स्वीकृति भी सुनिश्चित की जा रही है।

नगरीय निकायों को सक्रिय भूमिका के निर्देश

मुख्यमंत्री ने योजना को गति देने के लिए सभी नगरीय निकायों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा है। कलेक्टर्स को भी जिला स्तर पर ऐसे हितग्राहियों से सम्पर्क कर उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बैंक स्तर पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये बैंकर्स से भी लगातार राज्य सरकार सम्पर्क कर रही है। श्री चौहान ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में केंद्र से भी लगातार सहयोग मिल रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र में भी लाभान्वित हो रहे हितग्राही

साथ ही उन्होंने कहा कि प्रति माह कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में इस योजना की समीक्षा की जा रही है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। प्रत्येक जिले में हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए अभियान संचालित कर परिणाम देने के निर्देश दिए गए हैं। बीते माह करीब 13 लाख आवेदन-पत्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता ऋण योजना में प्राप्त हो चुके हैं। पोर्टल सक्रिय किये जाने से यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। लगभग 2 लाख प्रकरण बैंकों को भेजे जा चुके हैं। इनमें से एक लाख प्रकरण मंजूर हो गये हैं और हितग्राहियों को अपने व्यवसाय के उन्नयन के लिए राशि प्राप्त हो चुकी है। गत 23 मार्च को राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 60 हजार ग्रामीण पथ-विक्रेताओं को 60 करोड़ रुपये की ऋण राशि उनके खातों में अंतरित की गई।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

अर्थशास्त्र

1. औपचारिक क्षेत्रक ऋण के संदर्भ में असत्य कथन है -
(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों एवं छोटे कर्जदारों के ऋण का सबसे अधिक भाग औपचारिक क्षेत्रक के द्वारा पूरा होता है।
(ब) औपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत बैंक एवं सहकारी समितियों के द्वारा दिये जाने वाला ऋण आता है।
(स) भारतीय रिज़र्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है।
(द) उपरोक्त में से कोई भी नहीं।

उत्तर - (अ) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों एवं छोटे कर्जदारों के ऋण का सबसे अधिक भाग औपचारिक क्षेत्रक के द्वारा पूरा होता है।

व्याख्या - ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों और अन्य छोटे ऋणियों के ऋणों का प्रमुख स्रोत, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण, जो साहूकारों, व्यापारियों और रिश्तेदारों से प्राप्त होता है।

2. निम्न में से सत्य कथन बताइये -
(अ) व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है
(ब) मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के समान कार्य करता है
(स) उपरोक्त दोनों
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर - (स) उपरोक्त दोनों

व्याख्या - बैंक खातों में जमा धन को मांग के माध्यम से निकाला जा सकता है। इसीलिये इसे मांग जमा कहते हैं। चूंकि मांग जमाएं मुद्रा के साथ-साथ व्यापक स्तर पर भुगतान के माध्यम के रूप में उपयोग होती है, इसीलिये इसे मुद्रा माना जाता है।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के अपने राजस्व के प्रत्यक्ष कर स्रोत के अंतर्गत आता है -
(अ) पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य वर्धित कर
(ब) विद्युत पर कर तथा शुल्क
(स) स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क
(द) उपरोक्त सभी।

उत्तर - (ब) विद्युत पर कर तथा शुल्क

व्याख्या - प्रत्यक्ष कर अन्य स्रोत हैं - कृषि आय पर कर, भू-राजस्व।

4. निम्नलिखित में से कौनसा राज्य के अपने राजस्व में अप्रत्यक्ष कर स्रोत होते हैं -
(अ) राज्य, वस्तु और सेवा कर
(ब) पेट्रोलियम व शराब उत्पादों पर बिक्री कर/वैट
(स) विद्युत पर कर व शुल्क
(द) उपरोक्त सभी।

उत्तर - (द) उपरोक्त सभी।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की वर्तमान संरचना 10 + 2 को किस प्रारूप में परिवर्तित किया जायेगा -
(अ) 5 - 3 - 3 - 4
(ब) 5 - 4 - 3 - 3
(स) 5 - 4 - 4 - 4
(द) 4 - 5 - 3 - 3

उत्तर - (अ) 5 - 3 - 3 - 4

व्याख्या - (1) पांच वर्ष की फाउण्डेशन स्टेज (3 से 8 वर्ष के लिये।
(2) तीन वर्ष की प्रिप्रेटरी स्टेज (8 से 11 वर्ष के लिये)।
(3) तीन वर्ष की मिडिल स्टेज (11 से 14 वर्ष के लिये)।
(4) चार वर्ष की सेकेंडरी स्टेज (14 से 18 वर्ष के लिये) (कक्षा 9 से 12)

6. अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रक के संबंध में असत्य कथन बताइये-
(अ) असंगठित क्षेत्रक के लिये कोई नियम एवं विनिमय नहीं होते हैं।
(ब) असंगठित क्षेत्रक में छोटी-छोटी और बिखरी इकाइयां होती हैं, जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण के बाहर होती हैं।
(स) इस क्षेत्र में रोज़गार सुरक्षित नहीं होता है।
(द) उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं।

उत्तर - (अ) असंगठित क्षेत्रक के लिये कोई नियम एवं विनिमय नहीं होते हैं।

व्याख्या - इस क्षेत्र के लिये नियम तो होते हैं, परन्तु उनका अनुपालन नहीं होता है।

7. संगठित क्षेत्रक के संबंध में निम्न में से कौनसा कथन असत्य है -
(अ) संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं, जहां रोज़गार की अवधि नियमित होती है।
(ब) संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं।
(स) इस क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन अवकाश और चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधायें नहीं मिलती हैं।
(द) उपरोक्त सभी।

उत्तर - (स) इस क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन अवकाश और चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधायें नहीं मिलती हैं।

8. निम्न कथन में से सत्य कथन बताइये -
(अ) भारत की सकल राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है।
(ब) भारत में लोगों को सबसे अधिक रोज़गार प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है।
(स) भारत में सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई उतनी रोज़गार में वृद्धि नहीं हुई।
(द) उपरोक्त सभी।

उत्तर - (द) उपरोक्त सभी।

9. वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने पर उनकी साख निर्माण की क्षमता
(अ) घट जाती है
(ब) बढ़ जाती है
(स) अपरिवर्तित रहती है।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर - (अ) घट जाती है।

व्याख्या - वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करने की अनुमति देकर केन्द्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के नकद शेषों को कम कर देता है, जिससे उनकी साख निर्माण की क्षमता कम हो जाती है।

10. हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों (HYV) का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा -
(अ) पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश
(ब) पंजाब, मध्यप्रदेश, विहार
(स) पंजाब, हरियाणा, सिक्किम
(द) उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, विहार

उत्तर - (अ) पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश

व्याख्या - हरित क्रांति में कृषि क्षेत्र में अधिक पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से मुख्य रूप से गेहूं व चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा।

11. कर्वे समिति किससे संबंधित है -
(अ) बैंकिंग क्षेत्र के विकास से।
(ब) भुगतान संतुलन से।
(स) लघु उद्योगों के विकास से।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर - (स) लघु उद्योगों के विकास से।

व्याख्या - 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन किया गया था।

12. औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में जनांकिकीय परिस्थिति के संदर्भ में कौनसा कथन सत्य नहीं है -
(अ) 1921 के पूर्व का भारत जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था।
(ब) इस काल में जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष से भी कम उम्र थी।
(स) इस काल में सकल मृत्यु दर बहुत उच्च थी।
(द) इस समय भारत की जनसंख्या की संवृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी।

उत्तर - (द) इस समय भारत की जनसंख्या की संवृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी।

13. राशन कार्ड के संबंध में सही कथन बताइये -
(अ) निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिये अंत्योदय कार्ड।
(ब) गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिये बीपीएल कार्ड।
(स) अन्य लोगों के लिये एपीएल कार्ड।
(द) उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं।

उत्तर - (द) उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं।

14. भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिये स्वीकृत कैलोरी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है -
(अ) 2400, 2100 कैलोरी
(ब) 2100, 2400 कैलोरी
(स) 1500, 1800 कैलोरी
(द) 1800, 1500 कैलोरी

उत्तर - (अ) 2400, 2100 कैलोरी

व्याख्या - गरीबी निर्धारण का यह फार्मूला 1979 में वाई.के. अलघ समिति ने तय किया था।

15. भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है
(अ) नीति आयोग
(ब) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO)
(स) वित्त मंत्रालय
(द) राष्ट्रीय विकास परिषद

उत्तर - (ब) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO)

व्याख्या - निर्धनता रेखा का आकलन सामान्यतः NSSO द्वारा किया जाता है।

16. विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिये कौनसा मानक लिया गया है -
(अ) जिन व्यक्तियों की आय 1.90 यू.एस. डॉलर प्रतिदिन से कम हो।
(ब) जिन व्यक्तियों की आय 5.00 यू.एस. डॉलर से अधिक हो।
(स) जिन व्यक्तियों की आय 20 डॉलर प्रतिमाह से कम हो।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर - (अ) जिन व्यक्तियों की आय 1.90 यू.एस. डॉलर प्रतिदिन से कम हो।

17. विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है -
(अ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना।
(ब) विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
(स) देशों के बीच सीमा विवाद का निवारण करना।
(द) उपरोक्त सभी।

उत्तर - (अ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना।

18. भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में बनाया गया। इसके संबंध में कौनसा कथन असत्य है -
(अ) इसके अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन किया गया है।
(ब) इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय अदालतों की स्थापना की गई है।
(स) इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के आदेश के विरुद्ध कहीं अपील नहीं किये जाने का प्रावधान है।
(द) इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में 'प्रतिनिधित्व का अधिकार' दिया गया है।

उत्तर - (स) इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के आदेश के विरुद्ध कहीं अपील नहीं किये जाने का प्रावधान है।

व्याख्या - राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालत के आदेश के विरुद्ध एक माह की अवधि में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, परन्तु आदेशित धनराशि का 50 प्रतिशत या 50000/- जमा करने के बाद (जो भी कम हो)।
जिला स्तर के न्यायालय 20 लाख, राज्य स्तर के न्यायालय 1 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय 1 करोड़ से अधिक राशि के दावों के मुकदमे सुनाते हैं।

19. कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक लाभ, निवल संपदा या वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के मध्य अर्जित औसत निवल लाभ का कितना प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च करता होता है -
(अ) 2 (ब) 10
(स) 15 (द) 25

उत्तर - (अ) 2

व्याख्या - इस धनराशि को कुछ निर्धारित गतिविधियों जैसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण हेतु योगदान को भी मान्य किया गया है।

20. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि कब तक मान्य है -
(अ) 31 मार्च, 2020
(ब) 31 मार्च 2023,
(स) 31 मार्च 2021,
(द) 31 मार्च, 2022

उत्तर - (ब) 31 मार्च, 2023

व्याख्या - सरकार द्वारा यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक महीने गारंटीकृत पेंशन का भुगतान करने के लिये प्रारम्भ की गई थी। पहले इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया गया।

21. प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (PM-CARES Fund) एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष होते हैं -
(अ) प्रधानमंत्री (ब) वित्त मंत्री
(स) गृह मंत्री (द) रक्षा मंत्री

उत्तर - (अ) प्रधानमंत्री

व्याख्या - वित्त मंत्री, गृह मंत्री व रक्षा मंत्री इसके सदस्य होते हैं।

22. तरल नगदी की वह राशि जो बैंकों को अपनी कुल जमा के प्रतिशत के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखनी होती है, कहलाती है -
(अ) वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
(ब) नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
(स) सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर - (ब) नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

व्याख्या - SLR निवल जमा का वह न्यूनतम प्रतिशत है, जो एक वाणिज्यक बैंक को तरल परिसम्पत्तियों जैसे नकदी, सोना आदि के रूप में स्वयं के पास रखना होता है।

23. गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के संदर्भ में असत्य कथन बताइये -
(अ) इसका उद्देश्य उन प्रवासी श्रमिकों के लिये आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना है, जो कोविड-19 महामारी के कारण अपने गांव लौट आये हैं।
(ब) इसका उद्देश्य गांवों में सड़कें, आवास, आंगनवाड़ियों और सामुदायिक परिसरों जैसी आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण है।
(स) यह अभियान विहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों में संचालित है।
(द) इसे राज्य सरकारों के सहयोग से नीति आयोग ने लागू किया है।

उत्तर - (द) इसे राज्य सरकारों के सहयोग से नीति आयोग लागू किया है।

व्याख्या - इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग, खदान, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, दूरसंचार एवं कृषि सहित भारत सरकार के 11 मंत्रालयों द्वारा लागू किया गया है।

24. भारत सरकार द्वारा देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिये पोषण अभियान कब प्रारम्भ किया गया -
(अ) 8 मार्च, 2018
(ब) 18 दिसम्बर, 2018
(स) 18 दिसम्बर, 2019
(द) 1 जनवरी, 2020

उत्तर - (अ) 8 मार्च, 2018

व्याख्या - इस अभियान में सभी राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश सम्मिलित किये गये हैं। 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को इसमें सम्मिलित किया गया है।

25. नकद आरक्षित अनुपात कम करने पर निवेश की मांग -
(अ) कम हो जाती है।
(ब) बढ़ जाती है।
(स) अपरिवर्तित रहती है।
(द) उपरोक्त में से कोई भी।

उत्तर - (ब) बढ़ जाती है।

व्याख्या - नकद आरक्षित अनुपात (CRR) कम कर देने पर वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजित करने की क्षमता बढ़ जाती है। कम ब्याज दर पर साख की उच्च उपलब्धता के कारण निवेश की मांग बढ़ जाती है।

- डॉ. माया राठी
(लेखिका, अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका हैं।)

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

मध्यप्रदेश का भूगोल

1. मध्यप्रदेश का वन क्षेत्र है?
(A) 807276 वर्ग किमी
(B) 77482 वर्ग किमी
(C) 71224 वर्ग किमी
(D) 80482 वर्ग किमी
उत्तर :- (B) 77482 वर्ग किमी
व्याख्या :- वन सर्वेक्षण देहरादून की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 अनुसार म.प्र. में कुल वन क्षेत्र 77482 वर्ग किमी है। म.प्र. देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। देश का वन क्षेत्र 807276 वर्ग किमी है।
- म.प्र. में 25.14 प्रतिशत में वन हैं।

2. टाईगर स्टेट मध्यप्रदेश में नवीनतम गणना में बाघों की संख्या है?
(A) 2967 (B) 524
(C) 442 (D) 526
उत्तर :- (D) 526
व्याख्या :- राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में कुल 2967 बाघ हैं जिनमें से सर्वाधिक 526 बाघ म.प्र. में हैं।
- देश की कुल तेंदुओं की संख्या 12852 में से सर्वाधिक 3421 म.प्र. में है।
- देश में सर्वाधिक घड़ियाल म.प्र. में हैं।

3. म.प्र. का सबसे ऊंचा जलप्रपात है?
(A) चचाई (B) बहुती
(C) सेलर (D) बीहड़
उत्तर :- (B) बहुती
व्याख्या :- रीवा जिला म.प्र. शासन की वेबसाइट अनुसार बहुती प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है।
- बहुती की ऊंचाई 198 मीटर है।
- चचाई (बीहड़ नदी) की ऊंचाई 130 मीटर है।
- पुरवा जलप्रपात (टोन्स नदी, रीवा) ऊंचाई 67 मीटर।
- क्योटी प्रपात रीवा, मोहना नदी, ऊंचाई 98 मीटर।

4. म.प्र. में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है?
(A) बालाघाट (B) भिण्ड
(C) सीधी (D) नीमच
उत्तर :- (B) भिण्ड
व्याख्या :- चम्बल की निचली घाटी अर्थात् ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड और शिवपुरी में 75 सेमी के लगभग औसत वर्षा होती है। भिण्ड में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 66.8 सेमी होती है।

5. मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह को जल आपूर्ति किस नदी से होती है?
(A) बेतवा (B) चम्बल
(C) कालीसिन्ध (D) सिन्ध नदी
उत्तर :- (D) सिन्ध नदी
व्याख्या :- शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर बने मड़ीखेड़ा बांध में 60 मेगावॉट का प्रोजेक्ट है, यह 2006 में प्रारंभ हुआ।

6. 'राष्ट्रीय मानव' किन्हें कहा गया है?
(A) भील
(B) बैगा
(C) कोल
(D) कोरकू जनजाति
उत्तर :- (B) बैगा
व्याख्या :- डिण्डोरी जिले की प्रमुख जनजाति बैगा को राष्ट्रीय मानव के रूप में जाना जाता है। प्रदेश में बैगा जनजाति की जनसंख्या लगभग 1 लाख 31 हजार है।

7. म.प्र. के किस जिले से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती?
(A) डिण्डोरी (B) खरगोन
(C) हरदा (D) रीवा
उत्तर :- (D) रीवा
व्याख्या :- नर्मदा नदी अमरकंटक से सोंडवा (अलीराजपुर) तक 1077 कि.मी. प्रदेश में प्रवाहित होती है। यह प्रदेश के 15 जिलों से गुजरती है।

8. कर्क रेखा (23-1/2° अक्षांश) के उत्तर में अवस्थित जिला है?
(A) मन्दसौर (B) अनूपपुर
(C) शाजापुर (D) उक्त सभी
उत्तर :- (A) मन्दसौर
व्याख्या :- कर्क रेखा रतलाम से शहडोल जिले तक प्रदेश के कुल 14 जिलों से गुजरती है। मन्दसौर इसके उत्तर में जबकि शाजापुर व अनूपपुर इसके दक्षिण में हैं।

9. कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है?
(A) नर्मदा (B) कालिसिंध
(C) बेतवा (D) माही
उत्तर :- (D) माही
व्याख्या :- धार जिला के मिंडा ग्राम (विंध्य पर्वत) से उद्गमित होकर माही झाबुआ, रतलाम जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान, गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। (कुल लम्बाई लगभग 580 किमी है)
- माही नदी पर माही बजाज सागर बांध (बांसवाड़ा) है।

10. रामायणकालीन भरत मिलाप का स्थल किस जिले में है?
(A) सतना
(B) रीवा
(C) बालाघाट
(D) अनूपपुर
उत्तर :- (A) सतना
व्याख्या :- विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी पर्वत स्कन्ध में बसे चित्रकूट (सतना) में कामदगिरि को भरत मिलाप स्थल माना जाता है। यहां मन्दाकिनी तट पर रामघाट के अलावा जानकी कुण्ड, सती अनुसुइया, गुप्त गोदावरी, भरत कूप आदि पवित्र स्थल हैं।

11. म.प्र. की जनजाति और उनसे संबद्ध प्रतीक सांस्कृतिक के जोड़े में गलत है?
(A) भारिया - भड़म नृत्य
(B) कोल - गोहिया पंचायत
(C) भील - पोडा खेती
(D) गोंड जनजाति - बूढ़ा देव
उत्तर :- (C) भील - पोडा खेती
व्याख्या :- बैगा जनजाति झूम खेती करती है, जिसे पोडा (बेवार या डाहिया खेती) कृषि कहा जाता है।
इसी तरह की खेती प्रणाली को भीलों में चिमाता, भारिया जनजाति में दाहिया/डहिया खेती कहा जाता है।

12. म.प्र. लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित सड़कों की लम्बाई है (किमी)?
(A) 8858
(B) 70900
(C) 67200
(D) 90400
उत्तर :- (B) 70900
व्याख्या :- प्रदेश में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अनुरक्षित सड़कों की लम्बाई 70900 किमी है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 8858 किमी है। प्रदेश के प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर 23 किमी सड़कों की लम्बाई है।

13. रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की क्षमता है?
(A) 720 मेगावॉट
(B) 1200 मेगावॉट
(C) 750 मेगावॉट
(D) 100 मेगावॉट
उत्तर :- (C) 750 मेगावॉट
व्याख्या :- एशिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट रीवा में 250-250 मेगावॉट की तीन सौर इकाइयां हैं। इससे लगभग 15 लाख टन CO_2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन कम होने की संभावना है।
- प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाएं निम्न स्थलों पर निर्माणाधीन हैं -
(1) आगर 550 MW
(2) शाजापुर 450 MW
(3) नीमच 500 MW
(4) ओंकारेश्वर फ्लोटिंग बांध 600 MW
(5) मुरैना 1400 MW

14. मध्यप्रदेश का सर्वाधिक विद्युत उत्पादक जिला है?
(A) सिंगरौली
(B) सीधी
(C) खण्डवा
(D) बैतूल
उत्तर :- (C) खण्डवा
व्याख्या :- प्रदेश के खण्डवा जिले में ताप विद्युत की 04 इकाइयां दोंगलिया (सिंगाजी ताप वि. केन्द्र) में स्थापित हैं जिसकी क्षमता 2520 मेगावॉट की है। यहां ओंकारेश्वर जल विद्युत 520 मेगावॉट, इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावॉट की स्थापित है।
सौर ऊर्जा - खण्डवा के छिरवेल में 200 मेगावॉट एवं ओंकारेश्वर में 600 मेगावॉट की परियोजना निर्माणाधीन हैं।

15. सेल्दा डालची विद्युत इकाई किस जिले में है?
(A) खण्डवा
(B) खरगोन
(C) रीवा
(D) रायसेन
उत्तर :- (B) खरगोन
व्याख्या :- विद्युत उत्पादक कम्पनी एन.टी.पी.सी. की देश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल उत्पादन इकाई सेल्दा डालची खरगोन में है। इसकी 1320 मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता है।
- एन.टी.पी.सी. की प्रदेश में स्थापित अन्य प्रमुख इकाइयां हैं विंध्याचल (4760 मेगावॉट) एवं गाडरवारा 800 मेगावॉट।

16. म.प्र. के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित वन हैं?
(A) आरक्षित
(B) संरक्षित
(C) गैर वर्गीकृत
(D) खुले वन
उत्तर :- (A) आरक्षित
व्याख्या :- म.प्र. में वन विभाग की स्थापना से ही वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ हुआ। प्रशासकीय प्रबंधन की दृष्टि से प्रदेश के वनों को 03 भागों में बांटा गया है।

17. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार म.प्र. के वनक्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है?
(A) 5188 वर्ग किमी
(B) 68 वर्ग किमी
(C) 499 वर्ग किमी
(D) 1025
उत्तर :- (B) 68 वर्ग किमी
व्याख्या :- गत वन रिपोर्ट 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में देश में 5188 वर्ग किमी वन की वृद्धि हुई है। म.प्र. में 68 वर्ग किमी वनक्षेत्र बढ़ा है, जबकि मणिपुर में 499 वर्ग किमी वन क्षेत्र की कमी हुई है।
- 2019 वन रिपोर्ट अनुसार भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य म.प्र. है (वन क्षेत्र म.प्र. 77482 वर्ग किमी)

18. अखबारी कागज कारखाना नेपानगर की स्थापना हुई?
(A) 1947 (B) 1974
(C) 1965 (D) 1972
उत्तर :- (A) 1947
व्याख्या :- नेपा लिमिटेड बुरहानपुर मूलतः निजी उद्यमी द्वारा 1947 में स्थापित हुआ, यह 1959 में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम बना। यह देश का प्रथम अखबारी कागज कारखाना है।

19. म.प्र. में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र प्रदेश के किस क्षेत्र में है?
(A) पूर्व
(B) पश्चिम
(C) उत्तर
(D) दक्षिण क्षेत्र
उत्तर :- (C) उत्तर
व्याख्या :- प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड नीस तथा चम्बल द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। यह मिट्टी प्रदेश के उत्तर में मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों में लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है।

20. वन राजिक महाविद्यालय अवस्थित है?
(A) मण्डला
(B) मुरैना
(C) उज्जैन
(D) बालाघाट
उत्तर :- (D) बालाघाट
व्याख्या :- म.प्र. के बालाघाट में वनराजिक महाविद्यालय है तथा 08 वन विद्यालय क्रमशः बैतूल, अमरकंटक, शिवपुरी, लखनादौन, गोविन्दगढ़, पचमढ़ी, झाबुआ एवं ताला (उमरिया) में हैं।

21. वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र अवस्थित है?
(A) भोपाल
(B) छिन्दवाड़ा
(C) जबलपुर
(D) रीवा
उत्तर :- (B) छिन्दवाड़ा
व्याख्या :- वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से संबद्ध म.प्र. में निम्न संस्थान हैं -
(1) भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल
(2) वानिकी अनुसंधान, छिन्दवाड़ा
(3) उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान, जबलपुर
(4) राज्य वन अनुसंधान, जबलपुर

22. म.प्र. राज्य खनिज निगम का स्थापना वर्ष है?
(A) 1956 (B) 1984
(C) 1960 (D) 1962
उत्तर :- (D) 1962
व्याख्या :- म.प्र. खनिज निगम 1962 में स्थापित किया गया। प्रदेश में प्रमुख रूप से 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है।
हीरा, मैंगनीज, पायरोफिलाइट, ताम्र अयस्क उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।
- खनिज उपलब्धता की दृष्टि से म.प्र. राष्ट्र का चौथा खनिज संपन्न राज्य है।

23. सिडोली प्रथा संबंधित है?
(A) जन्म से
(B) मृत्यु से
(C) विवाह से
(D) उपनयन से
उत्तर :- (B) मृत्यु से
व्याख्या :- म.प्र. की कोरकू जनजाति में मृतक की समाधि पर लकड़ी का स्तम्भ 'मण्डो' लगाने की प्रथा है तथा मृतक को देव पितर में शामिल करने के लिए सिडोली पर्व (मृत्यु भोज एवं नृत्य) भी मनाने की परंपरा है।

24. जनजाति व उनसे संबद्ध सांस्कृतिक प्रथा में असंबंध है?
(A) कोरकू जनजाति - जिरोती
(B) कोल जनजाति - दहका नृत्य
(C) गोंड जनजाति - लमसना विवाह
(D) भारिया - पिठौरा चित्र
उत्तर :- (D) भारिया - पिठौरा चित्र
व्याख्या :- भील जनजाति की पिठौरा (पिथौरा) भित्ति चित्र कला अत्यंत समृद्ध है।
- भील निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है।

25. क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केन्द्र इन्दौर से 2021 में विकसित गेहूं की दो नई किस्में हैं?
(A) अहिल्या - वाणी
(B) महिष्मति - अवन्ति
(C) जाबालि - ग्वाला
(D) देवी - राधा
उत्तर :- (A) अहिल्या - वाणी
व्याख्या :- दो नवीन विकसित किस्में हैं अहिल्या एवं वाणी। इनका वैज्ञानिक नाम है।
एच.आई. - 1633 (पूसा वाणी)
एच.आई. - 1634 (पूसा अहिल्या)

26. म.प्र. में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है?
(A) छिंदवाड़ा (B) बैतूल
(C) बालाघाट (D) श्योपुर
उत्तर :- (C) बालाघाट
व्याख्या :- म.प्र. में सर्वाधिक वन क्षेत्र 4932 वर्ग किमी बालाघाट जिले में है जो जिले के कुल क्षेत्र का 53.44% क्षेत्र है।

- जितेन्द्र सिंह भदौरिया
(लेखक प्रतियोगी परीक्षा संबंधी विषयों पर लेखन करते हैं।)

जागो ग्राहक जागो

उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग सतर्कता एवं सजगता से करें

भोपाल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज़ अहमद किदवई ने 'जागो ग्राहक जागो' महाभियान के तहत आम जनता से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति सतर्क और सजग रह कर उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। श्री किदवई ने बताया कि रेल अथवा बैंकिंग के क्षेत्र में यदि आपने किसी सुविधा विशेष के लिए भुगतान किया है और वह सुविधा आपको प्रदान नहीं की जाती तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

रेल यात्री करें अपने अधिकारों का उपयोग

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि यात्रा के दौरान वातानुकूलित डिब्बे में एयर कंडिशन काम नहीं कर रहा है, तो यात्री रेल्वे से शिकायत करने का हकदार है। यात्रा शुल्क के अंतर की वापसी के लिए वह टीटीआई अथवा गार्ड से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करे। इसके साथ किराये की राशि में भोजन तथा बिस्तर के लिए शुल्क लिया गया हो और सुविधा प्रदान नहीं की गई हो अथवा सुविधा गुणवत्ता पूर्ण न हो तो यात्री उपयुक्त धनराशि की वापसी के हकदार हैं। ट्रेन यात्रा में घटित दुर्घटना या डकैती की परिस्थिति में यात्री मुआवजे के लिए हकदार हैं। यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रेल्वे की है। इसके साथ यात्रा के दौरान कोई शिकायत दर्ज कराना चाहें तो स्टेशन मास्टर या महाप्रबंधक के पास उपलब्ध शिकायत पुस्तिका में अवश्य शिकायत दर्ज करायें।

उपभोक्ता सजगता से करें एटीएम का उपयोग

प्रमुख सचिव ने एटीएम उपभोक्ताओं से कहा कि एटीएम का उपयोग आज जितनी तेज गति से हो रहा है, उससे उपभोक्ताओं की लापरवाही के कारण धोखाधड़ी की घटनाएं भी काफी तेजी से बढ़ी हैं। एटीएम के प्रयोग के समय उपभोक्ता को ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई अन्य व्यक्ति न हो जो आपके पिनकोड और पासवर्ड पर निगाह रखे हुए हो। पैसे की निकासी में कठिनाई आने पर ट्रांजेक्शन तुरंत कैंसिल कर दें। अनजान व्यक्ति की सहायता न लें।

जॉब अलर्ट

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई

पद का नाम - इंजीनियर/अनुसंधान विकास पेशेवर- मुख्य प्रबंधक/उप-महाप्रबंधक (कैटेलिस्ट स्केल-अप), मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक (एनैलिटिकल), मुख्य प्रबंधक/उप-महाप्रबंधक (इंजिन), सहायक प्रबंधक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल, सहायक प्रबंधक इंजिन, सहायक प्रबंधक/प्रबंधक पेट्रो-केमिकल्स और पॉलीमर्स, अधिकारी बायो-प्रोसेस, अधिकारी क्रूड और फ्यूल रिसर्च, इंजीनियरिंग-मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन
पदों की संख्या - 01, 01, 01, 02, 02, 01, 01, 01, 01.
इंजीनियरिंग - 120, 30, 25, 25
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 15 अप्रैल 2021
www.hindustanpetroleum.com

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कोलकाता

पद का नाम - प्रदर्शिनी सहायक- 'ए'
पदों की संख्या - 02
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 9 अप्रैल 2021
www.ncsm.gov.in

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

पद का नाम - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय-उपसचिव (बौद्धिक संपदा अधिकार), कार्पोरेट कार्य मंत्रालय-उपसचिव, शिक्षा मंत्रालय- उपसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-उपसचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय-उपसचिव
पदों की संख्या - 01, 01, 01, 01, 01
योग्यता - पदानुसार अलग-अलग
अंतिम तिथि - 03 मई 2021
www.upsconline.nic.in

सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत

पद का नाम - गैर शैक्षणिक पद- कार्यालय परिचर
पदों की संख्या - 17
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 19 अप्रैल 2021
www.svnit.ac.in

नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली

पद का नाम - उप विमानन सुरक्षा अधिकारी/डीएएसओ, वरिष्ठ विमानन सुरक्षा सहायक/एसएएसए, स्टाफ कार ड्राइवर- ग्रेड I, II और सामान्य ग्रेड
पदों की संख्या - 08, 08, 05, 01, 01
योग्यता - पदानुसार अलग-अलग
अंतिम तिथि - 19 मई 2021
www.bcasindia.gov.in

विद्युत अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली

पद का नाम - कोर्ट मास्टर, पर्सनल असिस्टेंट
पदों की संख्या - 03, 05
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 1 मई 2021
www.aptel.gov.in

टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

पद का नाम - तकनीकी अधिकारी (सी), परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी (सी), परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी (बी)
पदों की संख्या - 01, 01, 01
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 9 अप्रैल 2021
www.tifrh.res.in

मित्रानिकेतन कृषि विज्ञान केंद्र, तिरुवनंतपुरम्

पद का नाम - कार्यक्रम सहायक (कृषि प्रबंधक)
पदों की संख्या - 01
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 19 अप्रैल 2021
www.mitrakvk.org

एडमिशन अलर्ट

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर

पाठ्यक्रम का नाम - पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट-एमबीए. 2021-26
योग्यता - बारहवीं कक्षा या समकक्ष पास, (2019-20) 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण, इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी आवेदन के पात्र हैं।
अंतिम तिथि - 5 मई 2021
www.iimidr.ac.in

जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ, नोएडा, जयपुर, इंदौर

पाठ्यक्रम का नाम - पीजीडीएम/एमबीए प्रोग्राम्स, दो वर्षीय 2021-23
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
www.jaipuria.ac.in

वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान

पाठ्यक्रम का नाम - यूजी+पीजी - इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेथमेटिकल एंड फिजीकल साइंसेस, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डिजाइन, लॉ, लाइफ साइंसेज, अर्थसाइंस, एविएशन, मैनेजमेंट स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, ह्यूमेनिटिज एंड सोशल साइंसेस, एजुकेशन, होम साइंस, नर्सिंग
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 30 अप्रैल 2021, लेट फीस के साथ 15 मई 2021
www.banasthali.org

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, संबलपुर

पाठ्यक्रम का नाम - एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स 2021-22
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 31 मई 2021
www.iimsambalpur.ac.in

एमिटी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर

पाठ्यक्रम का नाम - यूजी और पीजी प्रोग्राम्स-मैनेजमेंट, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस/आईटी, लिबरल आर्ट्स, लॉ, बॉयोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, सायकोलॉजी, फैशन
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - प्रवेश आरंभ है।
www.amity.edu/gwalior

पर्ल एकेडमी, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर, मुंबई

पाठ्यक्रम का नाम - यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स इन डिजाइन, फैशन, बिजनेस एंड मीडिया
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - प्रवेश प्रक्रिया आरंभ।
www.pearlacademy.com

एमआईटी-एडीटी यूनिवर्सिटी, पुणे

पाठ्यक्रम का नाम- बी.टेक इन बॉयोइंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड एम.टेक इन बॉयोइंजीनियरिंग (5 वर्षीय), एम.टेक इन इनवायरमेंटल बॉयोइंजीनियरिंग, बॉयोटेक्नोलॉजी, बॉयोइंफॉर्मेटिक्स, बॉयोमेडिकल एंड बॉयोमटेरियल्स
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - प्रवेश प्रक्रिया आरंभ।
www.mitbio.edu.in

स्कॉलरशिप और इन्टर्नशिप अलर्ट

कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटक टेस्ट-2021 (COMEDK UGET-21)

संस्था का नाम - यूनी-गाउज-ई, बेंगलुरु
किसके लिए - मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल में यूजी करने के लिये कर्नाटक के कॉलेजों के लिये एंट्रेंस एक्जाम देने वाले छात्रों के लिये।
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 20 मई 2021
www.unigauge.com

धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम-2021 राजपत्र में प्रकाशन के साथ प्रदेश में लागू

भोपाल, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 गजट नोटिफिकेशन के बाद तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू हो गया है। विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम राज्यपाल की अनुमति के बाद मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 27 मार्च 2021 को प्रकाशित हो गया है।

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में एक धर्म से अन्य धर्म में विधि विरुद्ध संपरिवर्तन का प्रतिषेध, धर्म संपरिवर्तन के विरुद्ध परिवाद, धारा के उपबंधों के उल्लंघन के लिये दण्ड आदि का प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन करने के आशय के साथ किया गया विवाह अकृत तथा शून्य होगा। इस संबंध में संपरिवर्तित व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता या सहोदर भाई या बहन या न्यायालय की अनुमति से किसी व्यक्ति जो रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण संरक्षकता या अभिरक्षा जो भी लागू हो, द्वारा स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य प्रश्न - सामान्य भूगोल

1. **सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है?**
(अ) मध्यप्रदेश (ब) झारखण्ड
(स) छत्तीसगढ़ (द) गुजरात
2. **छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ?**
(अ) 1 नवंबर 2000
(ब) 20 नवंबर 2000
(स) 11 जनवरी 2001
(द) 25 जून 2000
3. **पेंद्दा कृषि पद्धति का संबंध है?**
(अ) फार्मिंग कृषि
(ब) डेयरी कृषि
(स) स्थायी कृषि
(द) अस्थायी कृषि
4. **छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है?**
(अ) मध्यप्रदेश (ब) महाराष्ट्र
(स) उत्तरप्रदेश (द) ओडिशा
5. **छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है?**
(अ) साल (ब) सागौन
(स) बीजा (द) बांस
6. **छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है?**
(अ) कोरिया (ब) बलरामपुर
(स) सूरजपुर (द) उपरोक्त सभी
7. **छत्तीसगढ़ को किस उपनाम से जाना जाता है?**
(अ) धान का कटोरा
(ब) हर्बल स्टेट
(स) जीरो पावर कट स्टेट
(द) उपरोक्त सभी
8. **छत्तीसगढ़ राज्य देश का कौन से नम्बर का राज्य है?**
(अ) 25वां (ब) 26वां
(स) 28वां (द) 29वां
9. **छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय कहां है?**
(अ) रायपुर (ब) दुर्ग
(स) बस्तर (द) बिलासपुर
10. **छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है?**
(अ) मध्यप्रदेश (ब) ओडिशा
(स) झारखण्ड (द) बिहार
11. **दण्डकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है?**
(अ) महानदी (ब) गोदावरी
(स) इन्द्रावती (द) नर्मदा
12. **छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पायी जाती है?**
(अ) काली मिट्टी
(ब) जलोढ़ मिट्टी
(स) बलुई मिट्टी
(द) लाल और पीली मिट्टी
13. **छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद है?**
(अ) इन्द्रावती नदी (ब) शबरी नदी
(स) महानदी (द) ईब नदी
14. **महानदी की प्रमुख सहायक नदी है?**
(अ) हसदो नदी
(ब) शिवनाथ नदी
(स) मांड व मनियारी नदी
(द) इनमें से कोई नहीं
15. **किस नदी पर मिनीमाता परियोजना स्थित है?**
(अ) महानदी
(ब) हसदेव नदी
(स) शिवनाथ नदी
(द) इनमें से कोई नहीं
16. **कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है?**
(अ) महानदी
(ब) इन्द्रावती नदी
(स) शिवनाथ नदी
(द) हसदेव नदी
17. **चित्रकोट जल प्रपात किस नदी पर है?**
(अ) ईब नदी
(ब) इन्द्रावती नदी
(स) शिवनाथ नदी
(द) जोंक नदी
18. **छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनीमाता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है?**
(अ) युवा कल्याण
(ब) महिला उत्थान
(स) अहिंसा
(द) पर्यावरण संरक्षण
19. **छत्तीसगढ़ के किन जिलों में यूरेनियम के भण्डार हैं?**
(अ) राजनांदगांव (ब) रायपुर
(स) धमतरी (द) कवर्धा
20. **सरगुजा के तातापानी क्षेत्र में पाया जाता है?**
(अ) चूना पत्थर (ब) खनिज तेल
(स) कोयला (द) वॉक्साइड
21. **इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है?**
(अ) बिलासपुर (ब) सरगुजा
(स) बीजापुर (द) रायपुर
22. **छत्तीसगढ़ का लोकनृत्य 'सुआ नृत्य' किस पर्व में किया जाता है?**
(अ) दीपावली
(ब) होली
(स) मकर संक्राति
(द) इनमें से कोई नहीं
23. **'पंडवानी' गायन किस ग्रंथ पर आधारित है?**
(अ) महाभारत
(ब) रामायण
(स) शिवपुराण
(द) रामचरित मानस
24. **छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है?**
(अ) भील (ब) मुडिया
(स) उरॉव (द) गोण्ड
25. **छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?**
(अ) देवगढ़ (ब) बदरगढ़
(स) लाफागढ़ (द) रायगढ़
26. **वैदिककाल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है?**
(अ) दक्षिण कौशल
(ब) विन्ध्याचल
(स) महाकौशल
(द) इनमें से कोई नहीं
27. **प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है?**
(अ) जशपुर (ब) सरगुजा
(स) बस्तर (द) दंतेवाड़ा
28. **छत्तीसगढ़ से निर्यात किया जाने वाला लौह अयस्क किस बन्दरगाह से निर्यात किया जाता है?**
(अ) चेन्नई (ब) मुम्बई
(स) विशाखापट्टनम (द) कोच्चि
29. **किस जिले को 'साल' वनों का द्वीप कहा जाता है?**
(अ) कोरबा (ब) रायपुर
(स) बस्तर (द) सरगुजा
30. **छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां स्थित है?**
(अ) रायपुर (ब) भिलाई
(स) सूरजपुर (द) जगदलपुर
31. **छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है?**
(अ) तीजनबाई
(ब) मिनीमाता
(स) महर्षि महेश योगी
(द) इनमें से कोई नहीं
32. **निम्न में से किसे "छत्तीसगढ़ का खजुराहो' कहा जाता है?**
(अ) लक्ष्मण मन्दिर
(ब) भोरमदेव मन्दिर
(स) राजीव लोचन मन्दिर
(द) दंतेश्वरी मन्दिर
33. **महंत घासीदास संग्रहालय कहां स्थित है?**
(अ) धमतरी (ब) रायपुर
(स) बिलासपुर (द) महासमुन्द
34. **छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड का गठन कब किया गया?**
(अ) जुलाई 2004 (ब) जून 2000
(स) जुलाई 200 (द) सितंबर 2006

उत्तरमाला

1. स, 2. अ, 3. द, 4. द, 5. अ, 6. द, 7. द, 8. ब, 9. द, 10. द, 11. ब, 12. द, 13. स, 14. ब, 15. ब, 16. द, 17. ब, 18. ब, 19. अ, 20. स, 21. स, 22. अ, 23. अ, 24. द, 25. ब, 26. अ, 27. ब, 28. स, 29. स, 30. अ, 31. ब, 32. ब, 33. ब, 34. अ।

- डॉ. संदीप सारवान
(लेखक, शासकीय महाविद्यालय टोंकखुर्द, जिला देवास में भूगोल के सहायक प्राध्यापक हैं)

खेल चर्चा

स्विट्जरलैंड टूरिज़्म के ब्रांड एम्बेसडर बने रोजर फेडरर

बर्न, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को स्विट्जरलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। फेडरर ने स्विस नेशनल टूरिज़्म बोर्ड के साथ लंबे समय का करार किया है। उनका टूरिज़्म बोर्ड के साथ जुड़ने का मकसद देश में पर्यटन को बढ़ावा देना है। स्विट्जरलैंड टूरिज़्म के कार्यकारी अधिकारी मार्टिन निगेदर के मुताबिक, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोजर फेडरर उचित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि देश और उसकी प्रकृति ने रोजर फेडरर के कॅरियर में बेहतरीन योगदान दिया है। स्विट्जरलैंड का टूरिज़्म ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद रोजर फेडरर ने कहा, मैंने हमेशा यही सोचा कि जब टेनिस कोर्ट पर कदम रखूं तो स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करूं। उन्होंने कहा कि देश के टूरिज़्म के साथ जुड़ना मेरे लिए खुशी की बात है।

छह गेंद में 6 छक्के

श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बने परेरा

कोलंबो, श्रीलंका के ऑलराउंडर थिसारा परेरा प्रफेशनल क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने घरेलू टूर्नामेंट मेजर्स कप लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट में आर्मी स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेलते हुए ब्लूमफील्ड क्लब के ऑफ स्पिनर दिल्हन कूरे के एक ओवर में 6 छक्के लगाए। परेरा ने 13 गेंद पर नाबाद 52 रन की पारी खेली। हालांकि खराब रोशनी के कारण मैच को रद्द करना पड़ा। परेरा जब पांच नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे तब पारी की केवल 20 गेंद बची थीं। आर्मी स्पोर्ट्स क्लब ने पहले खेलते हुए 41 ओवर में 3 विकेट पर 318 रन बनाए। बारिश के कारण मैच को 50 ओवर की जगह 41 ओवर का कर दिया गया था। लेकिन खराब रोशनी के कारण मैच को रद्द करना पड़ा और दोनों टीमों को दो-दो अंक मिले।

विश्व कप क्वालीफायर

जर्मनी को हराकर नार्थ मेसोडोनिया ने किया उलटफेर

डुइसबर्ग, नॉर्थ मेसेडोनिया की टीम ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया, 2014 के विश्व चैंपियन की फीफा विश्व कप क्वालीफाइंग में पिछले 20 वर्षों में पहली हार है। गोरान पांडेव ने पहले हाफ के इंजुरी टाइम में नॉर्थ मेसेडोनिया की तरफ से पहला गोल किया। जर्मनी ने 63वें मिनट में इल्की गुंडोगन के पेनाल्टी पर किए गए गोल से बराबरी की, लेकिन इलिफ इल्मास ने 85वें मिनट में नॉर्थ मेसेडोनिया को फिर से बढ़त दिला दी। जर्मनी इसके बाद बराबरी का गोल नहीं दाग पाया। इस जीत से नॉर्थ मेसेडोनिया ग्रुप-जे में जर्मनी से आगे दूसरे स्थान पर पहुंच गया। जर्मनी ने इससे पहले विश्व कप क्वालीफाइंग में अपना आखिरी मैच 2001 में इंग्लैंड से 1-5 से गंवाया था। इसके बाद वह लगातार 35 मैचों में अजेय रहा। इनमें से पिछले 18 मैचों में उसने जीत दर्ज की थी। नॉर्थ मेसेडोनिया कभी विश्व कप में नहीं खेला है, लेकिन वह इस साल यूरोपियन चैंपियनशिप में भाग लेगा।

इंग्लैंड का भारत दौरा

भारत ने 2-1 से जीती वन-डे सीरीज

पुणे, इंग्लैंड के साथ खेली गई 3 मैचों की वन-डे सीरीज पर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया है। भारत ने आखिरी निर्णायक और रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया। आखिरी निर्णायक वन-डे में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 48.2 ओवर में 329 रन के स्कोर पर ऑलआउट हुई। जवाब में इंग्लिश टीम 9 विकेट गंवाकर 322 रन ही बना सकी।

भारत को रोहित शर्मा और शिखर धवन ने अच्छी शुरुआत दिलाई, दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी को राशिद ने रोहित (37) को आउट कर तोड़ा। रोहित के बाद धवन (67) और कप्तान विराट कोहली तथा केएल राहुल भी जल्द पैवेलियन लौट गए। टीम इंडिया ने एक समय 157 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से ऋषभ पंत (78) और हार्दिक पंड्या (64) ने टीम को संभाला। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 73 बॉल पर 99 रन की पार्टनरशिप की। पंत ने 62 बॉल पर सबसे ज्यादा 78 रन बनाए। आखिर में शार्दुल ठाकुर ने 21 बॉल पर 30 रन बनाए और टीम के स्कोर को 329 तक पहुंचाया। सीरीज में पहली बार इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। पहली बार टीम ने शुरुआती 10 ओवर में विकेट गंवाए। 330 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 28 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। 155 रन पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। सैम करन ने आखिर में मोइन अली और आदिल राशिद के साथ मिलकर मैच जीतने की कोशिश जरूर की, लेकिन नाकाम रहे। करन ने राशिद के साथ 8वें विकेट के लिए 53 बॉल पर 57 रन की पार्टनरशिप कर टीम को जीत के करीब पहुंचाने की कोशिश की। 257 के स्कोर पर राशिद भी आउट हो गए, यहां से टीम वापसी नहीं कर सकी और लक्ष्य के खिलाफ 322 रन तक ही पहुंच सकी। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने 4, भुवनेश्वर कुमार ने 3 और टी नटराजन ने 1 विकेट चटकाए।

- भारतीय टीम ने घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार छठी द्विपक्षीय वन-डे सीरीज जीती है।
- सीरीज में 70 छक्के लगे जो 3 मैचों की वन-डे सीरीज में सर्वाधिक हैं।
- भारत ने पहली बार 6 वन-डे में लगातार 300 से अधिक का स्कोर बनाया।
- बतौर कप्तान कोहली का यह तीनों फॉर्मेट मिलाकर (टेस्ट, वनडे, टी-20) 200वां इंटरनेशनल मैच रहा।
- जॉनी बेयरस्टो मैन ऑफ द सीरीज और सैम करन मैन ऑफ द मैच चुने गए।
- भारतीय टीम ने दौरे पर आई इंग्लैंड टीम को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शिकस्त दी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 और 5 टी-20 मैचों की सीरीज में 3-2 से हराया।

आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप

पदक तालिका में शीर्ष पर रहा भारत

नई दिल्ली, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में अपने अभियान को अब तक के सबसे अधिक मेडलों के साथ खत्म किया। टोक्यो ओलिंपिक से पहले राइफल और पिस्टल निशानेबाजों के आखिरी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की पदक तालिका में शीर्ष पर काबिज भारत ने 15 गोल्ड सहित 30 मेडल अपने नाम किये। इसमें नौ सिल्वर मेडल और छह ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल हैं। वहीं पदक तालिका में अमेरिका 8 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर रहा। उसने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। जबकि इटली 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा।

डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भारतीय दिग्गज द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में किया शामिल

धर्मशाला, 'द ग्रेट खली' नाम से मशहूर भारतीय रेसलर दलीप सिंह राणा को 2021 डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई है। यह जानकारी इंस्टाग्राम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया ने साझा की है। इसके लिए 6 अप्रैल को एक समारोह आयोजित होगा। 7 फीट एक इंच लंबे रेसलर खली ने 20 जुलाई 2007 को 19 स्मैकडाउन सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करने के बाद स्मैकडाउन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी।

अर्जेंटीना में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की अगुआई करेंगे मनप्रीत

नई दिल्ली, मनप्रीत सिंह ओलिंपिक चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ होने वाले एफआईएच यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग मैचों में भारतीय टीम की अगुआई करेंगे। मनप्रीत निजी कारणों से हाल में यूरोप दौरे पर नहीं गए थे। इसके साथ ही अनुभवी ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह और वरुण कुमार की भी टीम में वापसी हुई है। वे चोटिल होने के कारण पिछले दौरे पर नहीं जा पाए थे। हॉकी इंडिया ने 22 सदस्यीय टीम घोषित की है, जो ब्यूनस आयर्स में 11 और 12 अप्रैल को अर्जेंटीना का सामना करेगी। भारत इसके अलावा जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलिंपिक की तैयारियों के सिलसिले में अर्जेंटीना के खिलाफ छह और सात अप्रैल तथा 13 और 14 अप्रैल को अभ्यास मैच भी खेलेगा।

भारतीय हॉकी टीम इस प्रकार है

मनप्रीत सिंह (कप्तान), रुपिंदर पाल सिंह, वरुण कुमार, पीआर श्रीजेश, कृष्ण बहादुर पाठक, अमित रोहिदास, गुरिंदर सिंह, सुरेंद्र कुमार, वीरेंद्र लाकड़ा, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राज कुमार पाल, नीलकांत शर्मा, शमशेर सिंह, गुरजंत सिंह, दिलप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, जसकरण सिंह, सुमित, शैलानंद लाकड़ा, आकाशदीप सिंह, रमनदीप सिंह, सिमरनजीत सिंह।

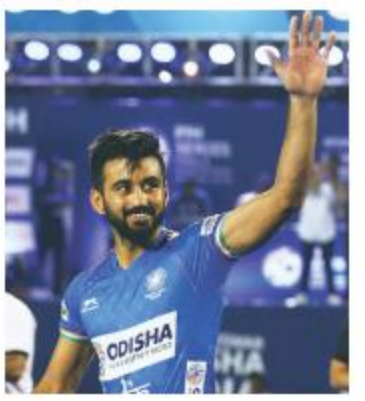

फीफा महिला विश्व कप 2023

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नौ शहरों में होंगे मैच

ज्यूरिख, महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 के मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नौ शहरों में खेले जाएंगे। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा के अनुसार महिला विश्व कप 2023 के मैच एडिलेड, ऑकलैंड, ब्रिस्बेन, डयूनडिन, हैमिल्टन, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी और वेलिंगटन में खेले जाएंगे।

पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा जबकि फाइनल सिडनी स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों एक-एक सेमीफाइनल की मेजबानी करेंगे।

यह पहला विश्व कप होगा जिसे दो अलग अलग परिसंघों के सदस्य संयुक्त तौर पर आयोजित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया 2006 में एशियाई परिसंघ से जुड़ गया था जबकि न्यूजीलैंड ओसेनिया परिसंघ का सदस्य है।

यही नहीं इस विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी। इससे पहले 2019 तक 24 टीमों के बीच विश्व कप खेला जाता रहा।

प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हमारे खिलाड़ी - खेल मंत्री

भोपाल, राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ी फराज खान और राजू सिंह भदौरिया ने खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया से सौजन्य भेंट की और उन्हें राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में अर्जित उपलब्धि से अवगत कराया। खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में हमारे खिलाड़ी लगातार पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं।

फराज और राजू ने प्रदेश को दिलाए दो स्वर्ण और एक रजत पदक

पिछले दिनों बेंगलुरु के अग्रम राइडिंग क्लब में सम्पन्न राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ी फराज खान और राजू सिंह भदौरिया ने दो स्वर्ण और एक रजत पदक मध्यप्रदेश को दिलाए। प्रतियोगिता में फराज खान ने हर्लीकेन अश्व पर प्रतिभा प्रदर्शन करते हुए कॉनकार्ड क्रॉस कन्ट्री नेशनल (सीसीएन) धन स्टार सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया। प्रतियोगिता के प्री नोवाइस टीम इवेन्ट में फराज खान ने अजान अश्व और राजू सिंह ने प्रताप अश्व पर प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया। प्रतियोगिता में राजू सिंह ने प्री-नोवाइस क्रॉस कन्ट्री व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रताप अश्व पर प्रदर्शन कर रजत पदक अर्जित किया। अकादमी के खिलाड़ी फराज खान, राजू सिंह भदौरिया ने घुड़सवारी अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक कैप्टन भागीरथ के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता में भागीदारी की।

घुड़सवारों की उपलब्धियां

घुड़सवारी अकादमी में वर्ष 2007 में प्रवेश लेकर खेल की बारीकियां सीख रहे फराज खान ने अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में 4 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित 11 पदक देश को दिलाए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में 27 पदक प्रदेश को दिलाए हैं। इनमें 11 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी तरह वर्ष 2016 से मध्यप्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी में प्रशिक्षणरत राजू सिंह भदौरिया ने अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक देश को दिलाया है। राजू सिंह ने राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में 25 पदक प्रदेश को दिलाए हैं, जिनमें 11 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं।

मियामी ओपन

नाओमी ओसाका को मारिया ने किया बाहर

मियामी, मारिया सकारी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका के 23 मैचों से चले आ रहे विजयी अभियान पर रोक लगाकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। चुनान की 23वीं वरीयता प्राप्त सकारी ने विश्व में नंबर दो ओसाका को आसानी से 6-0, 6-4 से हराया। जापानी खिलाड़ी ओसाका की फरवरी 2020 के बाद यह पहली हार है। इससे उनकी एश्ले बार्टी की जगह फिर से नंबर एक बनने की संभावना भी समाप्त हो गई है। बार्टी पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। सकारी का अगला मुकाबला कनाडा की आठवीं वरीय बियांका आंद्रेस्कू से होगा जिन्होंने सारा सोरिबेस टोर्मो को 6-4, 3-6, 6-3 से हराया। नाओमी ओसाका लंबे समय से मुकाबले और टूर्नामेंट जीतती चली आ रही थीं, लेकिन अब उनकी जीत का सिलसिला थम गया है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड

सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान 51वें दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा जाएगा। 3 मई को पुरस्कार वितरण होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान किया। पांच लोगों की ज्यूरी ने सिनेमा में रजनीकांत के योगदान को ध्यान रख नाम पर मुहर लगाई।

राउरकेला इस्पात संयंत्र सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

किसी देश के समावेशी विकास के लिए औद्योगिक उन्नति के साथ मजबूत आर्थिक संरचना जरूरी : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि किसी भी देश के समावेशी विकास के लिए औद्योगिक उन्नति के साथ मजबूत आर्थिक संरचना जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने हमारे देश के औद्योगिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश के समावेशी विकास के लिए औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ मजबूत सामाजिक-आर्थिक संरचना भी जरूरी है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि इस बारे में राउरकेला इस्पात संयंत्र संवेदनशील है। इसने न केवल औद्योगिक गतिविधियों में बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और खेल आदि के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सचेत प्रयास किए हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक यह क्षेत्र सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधा से वंचित था। उन्होंने आगे कहा कि छह साल

पहले प्रधानमंत्री ने एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में इस्पात जनरल अस्पताल को विकसित करने की नींव रखी थी और आज यह क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ने इस बात का उल्लेख किया कि यह अस्पताल न केवल ओडिशा, बल्कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती क्षेत्रों की सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा जरूरतों को भी पूरा करेगा।

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सुशासन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन दोनों ने मानव सभ्यता के विकास में बहुत योगदान दिया है। लेकिन पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की महत्ता ने दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व में अपना विशाल रूप दिखाया है। इस कठिन समय में हमारे चिकित्सक समुदाय ने एक अदृश्य और अज्ञात शत्रु के खिलाफ एक असाधारण लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि राउरकेला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सेल के चिकित्सा दलों ने अपने अथक प्रयासों से लोगों की रक्षा करने का सराहनीय काम किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा समुदाय द्वारा दी गई निस्वार्थ सेवाओं और मानवता के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा।

राष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों की भी उनकी अथक कोशिशों के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह केवल उनके लगातार प्रयासों से ही हुआ कि भारत में इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। साथ ही, भारत न केवल टीकों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि हम अन्य देशों को भी निःशुल्क या बहुत ही उचित मूल्य पर टीके उपलब्ध करवा रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। इनमें से एक सबक यह है कि एक देश के रूप में हमें स्वास्थ्य सेवा में सुधार और इसे सभी के लिए समान रूप से सुलभ बनाने का प्रयास जारी रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हाल के समय में हमने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अधिक निवेश किया है और इसके पीछे हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करके कम सेवा प्राप्त लोगों और दूरगामी क्षेत्रों तक पहुंच बनाना है। उन्होंने कहा कि लोगों की माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार समान रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं, राष्ट्रपति ने इस पर खुशी जाहिर की कि आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी इसका ध्यान रखा जा रहा है।

आकाश मिसाइल

नये संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण

सेना एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने जैसलमेर जिले की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश

- **यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इसे सेना एवं वायुसेना के लिए खासतौर पर बनाया गया है।**

मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पोकरण रेंज में एक प्लेटफॉर्म पर तैनात एक बड़े वाहन से मिसाइल को आकाश में दागा गया जिसने अचूक निशाना साधते हुए लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। इस अवसर

पर सेना एवं डीआरडीओ के अधिकारी और वैज्ञानिक दल मौजूद था। इस सफलता के बाद सेना की मारक क्षमता मजबूत होगी।

ताइवान की सीमा में चीन की घुसपैठ

ताइवान में चीन की घुसपैठ लगातार जारी है। चीन पिछले कुछ महीनों से लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रहा है।

अभी हाल ही में चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के दक्षिणी हिस्से में चार परमाणु बॉम्बर एच-6 के समेत 20 फाइटर जेट से घुसपैठ की जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए ताइवान के किलर फाइटर जेट ने चीन के विमानों को चेतावनी दी।

हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र करे शांति की पहल

भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिये अब संयुक्त राष्ट्र को पहल करनी चाहिए। अफगानिस्तान को

- **अफगानिस्तान के भीतर तालिबान के बढ़ते हमले और उसके प्रभाव के बीच भारत ने अपनी अफगान नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं।**

लेकर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए किसी भी सच्ची और

विस्तृत कोशिश का भारत हमेशा समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र की अगुआई में शांति बहाली के लिए क्षेत्रीय प्रक्रिया का भी समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व वहां इसकी तरफ से पारित सभी प्रस्तावों को सही मायने में लागू कराने और स्थायी शांति की राह की दिक्कतों को दूर करने में मददगार साबित होगा।

अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में बवंडर

अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में आए तेज आंधी-तूफान में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार तूफान के कारण अलबामा के काल्होन काउंटी और वेस्ट जॉर्जिया में घरों को नुकसान पहुंचा। अलबामा में 17, जॉर्जिया में 05, मिसिसिपी में 01 बवंडर की पुष्टि करते हुए आपदा नियंत्रण विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। पिछले वर्ष इसी तरह के बवंडर से टेनेसी में 25 लोगों की मौत हो गई थी। तूफान के कारण दक्षिण अमेरिका राज्य में प्राइमरी चुनाव के मतदान को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। तूफान की चपेट में आने के बाद स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है।

स्वेज नहर में फंसा हुआ शिप बाहर निकला

मिस्र की स्वेज नहर में फंसे हुए कंटेनर शिप को बाहर निकाल दिया गया है। इसके साथ ही नहर में आवागमन सामान्य हो गया

- **5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र पर बमबारी कर दी थी। उस वक्त बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, स्वीडन, पश्चिम जर्मनी और अमेरिका के 15 जहाज स्वेज नहर से गुजर रहे थे।**

है। पहली खेप में 43 जहाजों को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। शिप के फंसने के चलते यह मार्ग पिछले एक सप्ताह से बंद था, जिसकी वजह से नहर में 400 से अधिक जहाजों का जमावड़ा लग गया था। एवरग्रीन नाम के इस जहाज पर पनामा का झंडा लगा था। यह जहाज एशिया और यूरोप के बीच व्यापार करता है। एवरग्रीन

मरीन कॉर्प्स नामक ताइवान की एक शिपिंग कंपनी इस जहाज का संचालन करती है। स्वेज कनाल अथॉरिटी के चेयरमैन ओसामा रेबइ ने कहा कि शिप को निकालने के दौरान किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। शिप को निकालने के लिए उसके नीचे की तीस हजार क्यूबिक मीटर मिट्टी निकालनी पड़ी तथा 11 छोटी और 2 बड़ी नौकाओं का सहारा लेना पड़ा। ज्ञात रहे कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस मार्ग के जरिए एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीका घूमकर नहीं जाना पड़ता है। नहर से प्रतिदिन साढ़े नौ अरब डॉलर का कारोबार होता है। कुल वैश्विक कारोबार का लगभग 12 फीसदी इसी नहर के माध्यम से होता है। यहां से गुजरने वाले वाहनों से मिस्र को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। जहाज के फंसने से कनाल अथॉरिटी को प्रतिदिन 14 से 15 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था।

यूएन शांति रक्षकों के लिए भारत ने भेजे टीके

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन से जुड़े शांति रक्षकों के लिए कोविड-19 रोधी टीकों की दो लाख खुराक भेंट कीं।

इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार और देशवासियों का आभार प्रकट किया। ज्ञात रहे कि शांति रक्षक कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। टीके की खुराक कतर एयरवेज के विमान के जरिए मुम्बई से रवाना की गई। यह खेप कोपेनहेगन जाएगी, जहां से विभिन्न मिशन तक पहुंचाई जायेगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक जनवरी 2021 तक विश्व में कुल 12 शांति अभियानों में 85 हजार 782 कर्मी तैनात थे।

गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019 और 2020 की हुई घोषणा

वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के (दिवंगत) महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया जा रहा है। वहीं वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जा रहा है। महामहिम सुल्तान काबूस एक दूरदर्शी नेता थे, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में संयम और मध्यस्थता की जुड़वां नीति ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा और सम्मान दिलाया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय विवादों और संघर्षों में शांति प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम सुल्तान काबूस भारत और ओमान के बीच विशेष संबंधों के शिल्पकार थे। उन्होंने भारत में पढ़ाई की थी और हमेशा भारत के साथ एक विशेष संबंध बनाए रखा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने

महामहिम सुल्तान काबूस के निधन पर भारत-ओमान संबंधों में उनके योगदानों को याद करते हुए कहा था कि वे 'भारत के सच्चे दोस्त थे और उन्होंने भारत एवं

- **पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकला/हथकरघा से बनी वस्तु दी जाती है।**
- **गांधी शांति पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की जाती है और इसमें दो पदेन सदस्य होते हैं, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल हैं।**
- **दो प्रतिष्ठित सदस्य भी जूरी का हिस्सा हैं, इनमें लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के संस्थापक श्री विंदेश्वर पाठक शामिल हैं।**

ओमान के बीच एक रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व प्रदान किया था'। प्रधानमंत्री ने उन्हें 'दूरदर्शी नेता और राजनेता' और 'हमारे क्षेत्र और विश्व के लिए शांति के प्रतीक' के रूप में भी याद किया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बंगबंधु मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के अग्रणी प्रणेता थे। वह भारतीयों के लिए भी एक नायक हैं। उन्होंने कहा कि बंगबंधु की विरासत और प्रेरणा ने दोनों देशों की विरासत को अधिक व्यापक और कहीं अधिक मजबूत बनाया है। बंगबंधु द्वारा दिखाए गए मार्ग ने पिछले एक दशक में दोनों देशों की साझेदारी, प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव रखी है।

इसके पहले यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वालों में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जूलियस न्येरे, जर्मनी के डॉ. गेरहार्ड फिशर, रामकृष्ण मिशन, बाबा आम्टे (श्री मुरलीधर देवदास आम्टे), दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. नेल्सन मंडेला, बंग्लादेश ग्रामीण बैंक, दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप डेसमंड टूटू, श्री चंडी प्रसाद भट्ट और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम शामिल हैं। हाल के विजेताओं में साल 2015 में विवेकानंद केंद्र, साल 2016 में संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन, भारत और सुलभ इंटरनेशनल, 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट और साल 2018 में जापान के श्री योही ससाकावा जैसे प्रख्यात लोगों के नाम शामिल हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

स्वामी "मध्यप्रदेश माध्यम" की ओर से प्रकाशक, मुद्रक डॉ. सुदाम खाड़े, मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित एवं डी.बी. कार्प द्वारा दैनिक भास्कर, प्लाट नंबर-10, सेक्टर-बी, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित। सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह।